यूनेस्को के सौजन्य से
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रगामी परियोजना

लेखक मडल
ऊषा नय्यर
सरोजिनी बिसारिया
स्वर्ण चौपड़ा
लाज रुहेला
रुद्रपाल सिंह

पाठ्य सामग्री

महिला शिक्षा विभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली - 110016

प्रस्तावना

वास्तविक स्थिति और अनुसंधान यह प्रमाणित करते है कि महिलाओ और बालिकाओं को यदि शिक्षित किया जाये और समान प्रशिक्षण दिया जाये तो वह कोई भी कार्य करने में सक्षम हैं। लेकिन यह सुविधा देश में कुछ गिनी चुनी लड़कियों और महिलाओं को ही प्राप्त है जो कि शहरों या नगरों में बसी हुई हैं। बहुत से भ्रामक विचारो के कारण जैसे महिलायें उपयोगी नही है, केवल एक बोझ हैं, कमजोर हैं, उनके साथ बचपन से ही पक्षपात होने लगता है। पुत्री के जन्म पर परिवार दुःखी हो जाता है, बीमार पड़ने पर उसकी देखभाल मे इस हद तक लापरवाही बरती जाती है कि वह छोटी उम्र में ही मृत्यु का शिकार हो जाती है। भाईयों के मुकाबले उसको भोजन भी कम मिलता है। जब परिवार के प्रमुख सदस्य पुरुष या स्त्रियां बेरोजगारी या निपट गरीबी से जूझ रहे होते हैं तो घर का सारा कार्यभार, बच्चो की देखरेख, पानी, ईंधन और चारा जुटाना यह सब कार्य नन्ही बालिका के सिर पर आ जाता है। एक ओर गरीबी तथा दूसरी ओर समाज का बनाया हुआ नकारात्मक रवैया लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखता है। देखते ही देखते यह बालिकाएं छोटी-छोटी उम्र में ही विवाह के बंधन में बांध दी जाती हैं और जीवन की चक्की मे पिसने लगती हैं। यह समस्या आज हमारे सामने है और इसका हल हमे ढूढना ही होगा।

लड़कियों व महिलाओं की स्थिति सुधारने में शिक्षक तथा शिक्षितों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें एकजुट होकर यह प्रयास करना होगा कि लड़कियां पाठशाला में दाखिला ले और अपनी पढ़ाई जारी रखे तथा अपनी आकांक्षा तथा क्षमता के अनुसार उच्च स्तरीय शिक्षा भी प्राप्त करे। शिक्षा सब बच्चो का मूल अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का भेद भाव, रंगभेद और जाति भेद चाहे वह पाठ्यक्रम अथवा पुस्तको में पाया जाये या समाज शास्त्र, विज्ञान, भाषा, गणित या किसी भी विषय को पढ़ाने में हो अथवा अध्यापकों के प्रशिक्षण में हो, इसका उन्मूलन भी हमें ही करना होगा।

इस गोष्ठी का आयोजन कुछ विशेश मुद्दो को लेकर किया जा रहा है जिसमें बालिकाओ की शिक्षा, उसके अभाव से क्षति और उनके शिक्षित होने से देश को, समाज को और स्वयं को लाभ होता है। इस पुस्तिका मे हम हरियाणा की बालिका शिक्षा की समीक्षा करेंगे। जिससे उनके लिए शिक्षा सबंधी निर्धारित नीतियां, योजनाए और कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जा सकें और उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो सके।

आशा है कि इस कार्य मे आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा।

उषा नय्यर

विषय-सूची

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों तथा वंचित वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अग्रगामी परियोजना

भारत सरकार 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक/बालिकाओ को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण भी इसी दिशा में बढ़ता हुआ प्रमुख कदम है। हाल ही मे "सभी के लिए शिक्षा" से संबंधित अनेक व्यापक तथा ज़ोरदार परियोजनाएं प्रारम्भ की गई है। ऐसा अनुभव किया गया है कि राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर नीति निर्माता समस्याओं तथा प्रतिबन्धो को समझते तो हैं और इसके प्रति प्रतिबद्ध भी हैं, परन्तु सभी स्तरो पर क्रियान्वित करने वाले लोग इस नीति की पूरी सूझ-बूझ नही रखते तथा स्त्री-पुरुष समानता के प्रति जागरुक नहीं है। इसलिए 'नीति संबंधी कथन' तथा 'व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त' नवीन विचारों के प्रसारण की कमी के कारण कार्यरूप धारण नहीं कर पाए हैं।

अतः इस परियोजना का लक्ष्य शैक्षिक प्रशासकों, अध्यापकों, प्रशिक्षको, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संकाय (Faculties) को स्त्री-पुरुष समानता के प्रति जागरुक करना तथा इस विषय पर उन्हे प्रशिक्षित भी करना है। यह समन्वित बहुस्तरीय कार्यक्रम न केवल राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम स्तर के मुख्य कार्यकर्ताओं को जागरुक करेगा बल्कि उन्हें एक जुट होकर एक ही दृष्टिकोण से कार्य करने में सहायक भी होगा। इन कार्यक्रमो के लिए आवश्यकतानुकूल विशिष्ठ अनुसंधान एवं अध्ययन पर आधारित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी जो क्षेत्रीय आवश्यकता, विशेष रूप से स्त्रियों के सामाजिक स्तर को ऊँचा करने में उनकी शिक्षा एव विकास पर प्रभाव डालेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत समन्वित प्रशिक्षण, रुढ़िगत प्रशिक्षण प्रणालियो से बहुत ही भिन्न होगे।

परियोजना तथा उसकी अवधारणा :-

- ग्रामीण तथा सुदूर के क्षेत्रो में रहने वाली बालिकाओ तथा वंचित वर्ग के लोगो को निर्विघ्न अवसर प्रदान करना।

- भारतीय संविधान द्वारा आश्वस्त समानता के ढाँचे मे ही स्त्रियों का सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु शैक्षिक विषयवस्तु तथा प्रक्रिया मे अन्तःक्षेप करा कर वर्तमान स्थिति में पुरुषो के प्रति पक्षपात की भावना तथा रूढ़िवादिता को दूर किया जा सके।

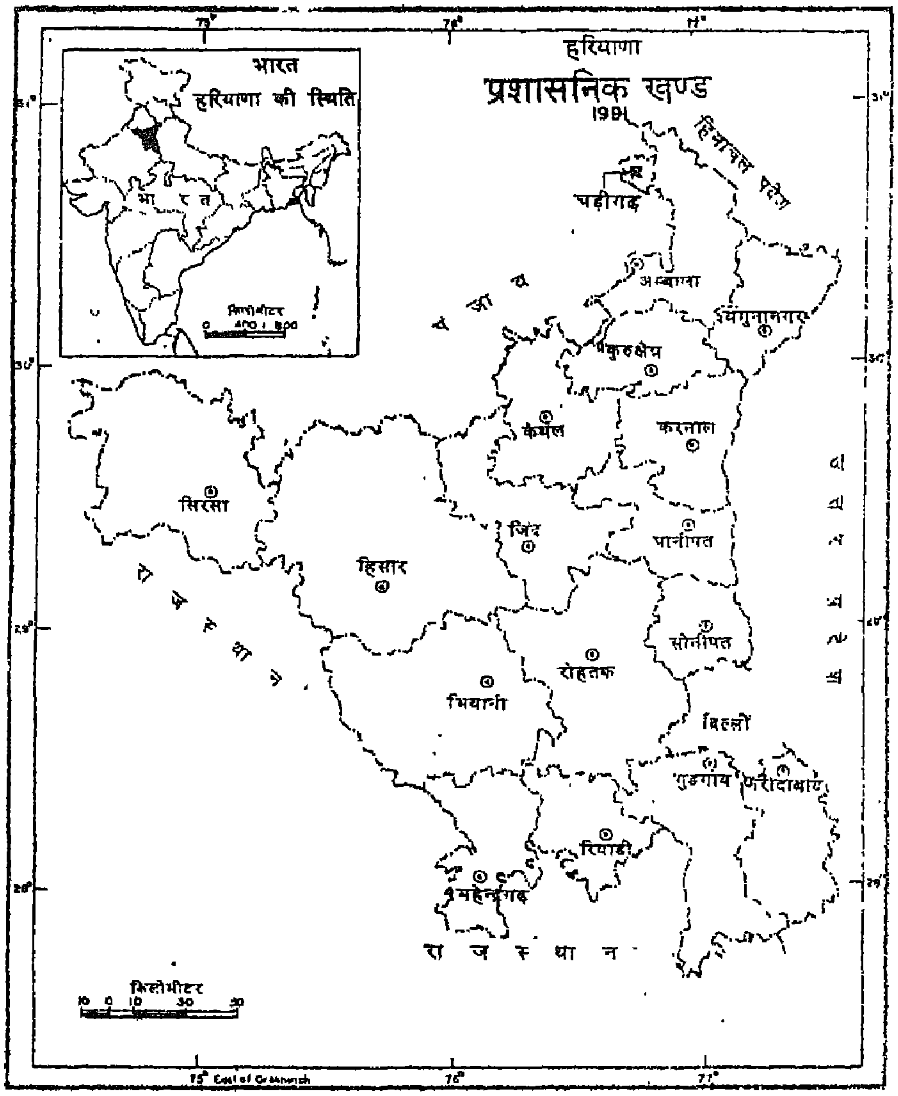
हरियाणा के लिए ही ऐसा क्यों?

- हरियाणा राज्य वर्ष 1995 तक प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु प्रतिबद्ध है। लगभग सभी क्षेत्रों के स्कूलो मे शिक्षा देने की सुविधाएँ प्रदान की है।

- विशाल स्तर पर अध्यापको तथा समुदाय द्वारा चलाए गए प्रवेश सम्बन्धी अभियान के पश्चात् राज्य इस मोड पर पहुँच चुका है कि प्रवेश लिए हुए बच्चों को स्कूल में कैसे प्रतिधारित किया जाए ताकि बच्चे सफलता की ओर अग्रसर होते रहें।

- लड़कियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देकर हरियाणा सरकार उन्हें स्कूल में भर्ती करने तथा उनकी शिक्षा जारी रखने को अत्यधिक महत्व देती है और नीति निर्देश भी स्त्री शिक्षा मे सुधार करने हेतु उच्च स्तरीय राजनैतिक वर्ग तथा अधिकारी वर्ग की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं।

- वर्ष 1966, जब से हरियाणा अस्तित्व में आया है, तभी से इसने विकास के ढाँचे को समुन्नत करने में बहुत प्रगति की है। प्रत्येक गाँव में सड़कें बना दी गई हैं, बिजली पहुँचा दी गई है, सिचाई तथा दूर संचार के साधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं एवं उत्पादन तथा समृद्धि के स्तर को बढ़ाने हेतु कृषि तथा उद्योगों ने तीव्र गति से उन्नति की है परन्तु स्त्रियों के सामाजिक स्तर जैसे कि महिला मृत्युदर, जन्मदर, शिशु-मृत्यु दर, विवाह की औसत आयु, महिला श्रम-शक्ति दर आदि में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। प्रति 1000 पुरुषो (एक हज़ार) के अनुपात मे स्त्रियों की सख्या 872 है जोकि काफी कम है और देश में सब से निम्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा मे स्त्रियों का सामाजिक स्तर काफी शोचनीय अवस्था मे है।



आकृति 1

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नवीन प्रारम्भिक परियोजना

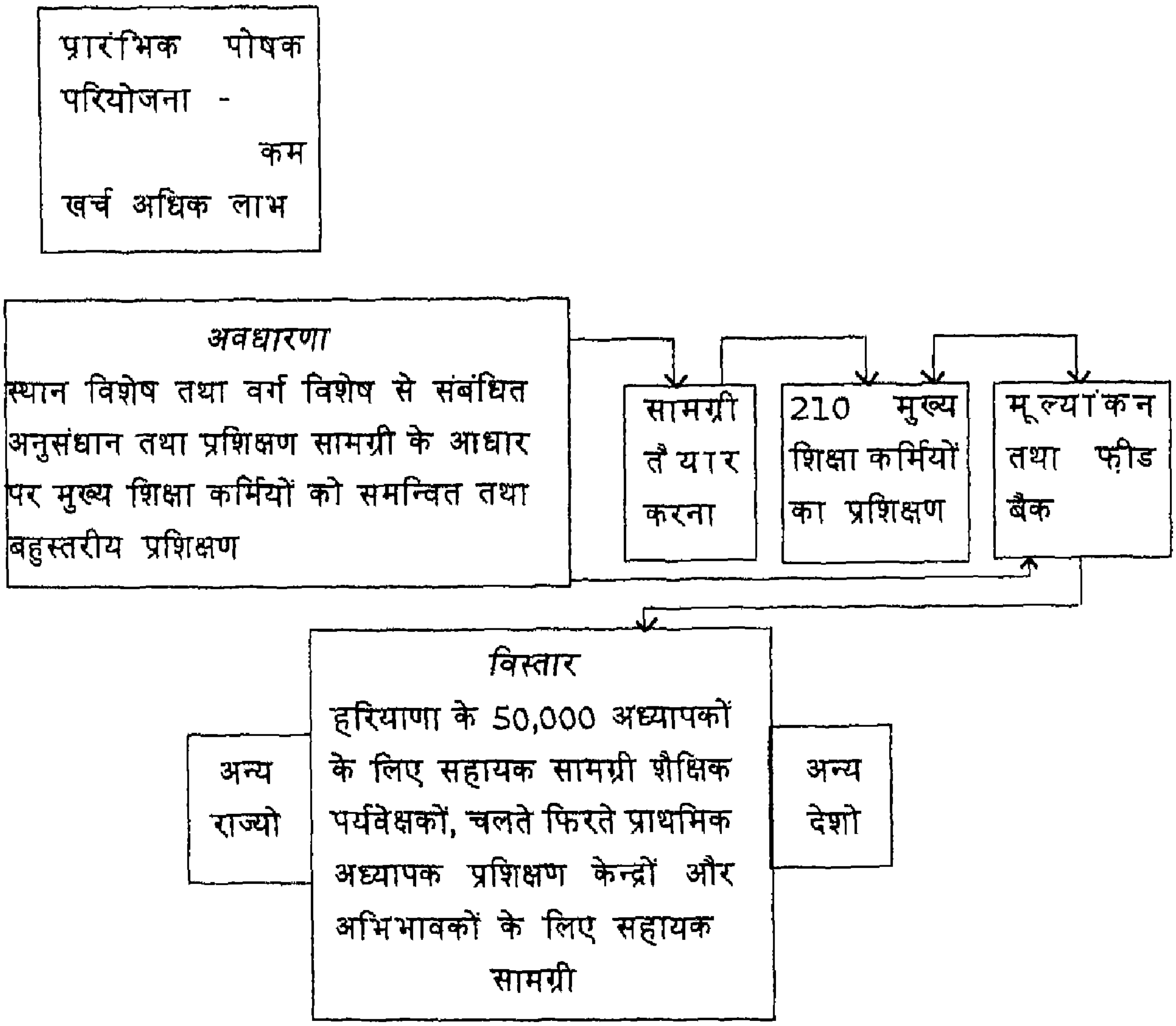
मुख्य बिन्दु :

ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियाँ तथा वंचित वर्ग।

उद्देश्य :

1— शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा तक पहुँच, नामाकंन, प्रतिधारण तथा उपलब्धि।

2— सभी क्षेत्रों मे लिंग समानता लाना।



परियोजना का प्रचालन

पहला चरण :-

ससाधनों का संकलन

- अन्य राज्यों में हो रहे नवाचारों सबधी कार्य की जानकारी प्राप्त करना।
- हरियाणा में महिला शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना।
- हरियाणा मे महिलाओ का सामाजिक स्तर।
- आँकड़े संबधी सामग्री तैयार करना।
- ग्राफ़िक सामग्री तैयार करना।

दूसरा चरण :-

सरकार से सहयोग प्राप्त करना

- हरियाणा के शिक्षा आयुक्त, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् आदि से सम्पर्क स्थापित करना।
- गहन सर्वेक्षण हेतु जिलो का पता लगाना।

तीसरा चरण :-

पता लगाने की प्रक्रिया

- खण्ड स्तर के अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियो से सम्पर्क।
- चुनिंदा ग्रामों तथा प्राथमिक विद्यालयो मे जाना।

चौथा चरण :-

पढ़ाई को बीच मे ही छोड़ जाने वाली छात्राओं के बारे में अध्ययन

- आँकड़ों का संग्रह और उनका विश्लेषण।

(अ) विधियों तथा प्रविधियों का विकास

1— ग्राम प्रधान संबंधी सूची
2— सस्था संबंधी सूची
3— घरेलू सूची
4— विद्यालय छोड़ने वाली लड़कियो की सूची
5— विद्यालय मे कभी प्रवेश न पाने वाली लड़कियों की सूची
6— अध्यापको सबंधी सूची

(ब) क्षेत्रीय कार्य

(स) आँकड़ों का विश्लेषण

(द) रिपोर्ट तैयार करना।

प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए
चलता फिरता प्रशिक्षण केन्द्र (*मोबाइल ट्रेनिंग सैन्टर*)

ऐसा अनुमान है कि इस प्रकार जो श्रव्य-दृश्य और प्रकाशित सामग्री तैयार होगी वह सामग्री "चलते फिरते प्रशिक्षकों" के प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहायक होगी तथा कई गाँवों के अध्यापकों तक पहुँच जाएगी।

विस्तार

अन्य राज्य तथा देशों में विस्तार

यह नवीन (नवाचार) परियोजना इस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य में अनुरत भारत के दूसरे राज्यो तथा दूसरे देशों के लिए सदर्भिक विषय वस्तु के रूप मे कार्य कर सकती है।

1992 - 1993

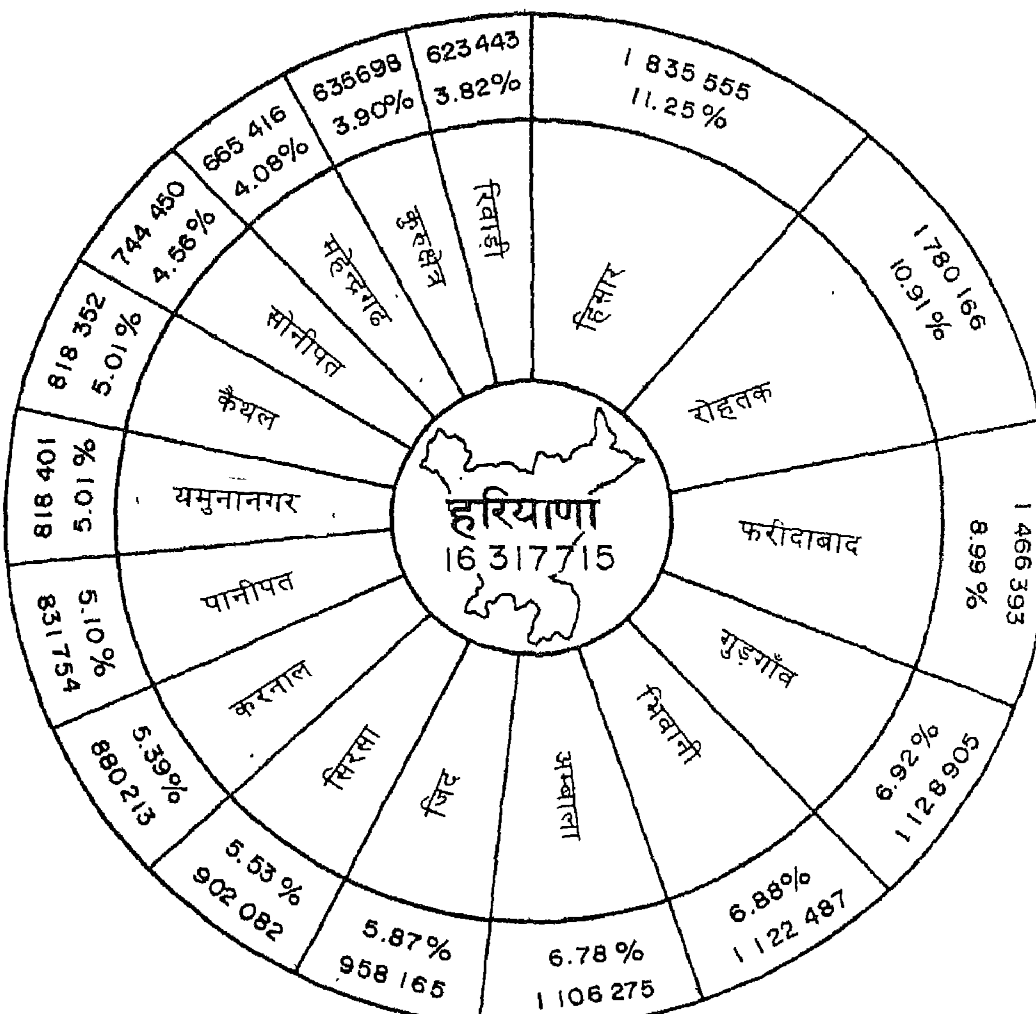
परियोजना कार्यक्रम

	अप्रैल से जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त
1. संसाधन का आधार तैयार करना	–	–	–	–	–									
2. सरकारी सहयोग प्राप्त करना			–	–	–									
3 पता लगाने की प्रक्रियाएँ				–	–									
4. पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली छात्राओं के बारे में अध्ययन														
5. शिक्षा कर्मियों के दृष्टिकोण का समन्वीकरण					–									
6. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना						–	–	–	–					
7. मुख्य शिक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण										–	–	–		
8. मूल्यांकन तथा फीड-बैक													–	

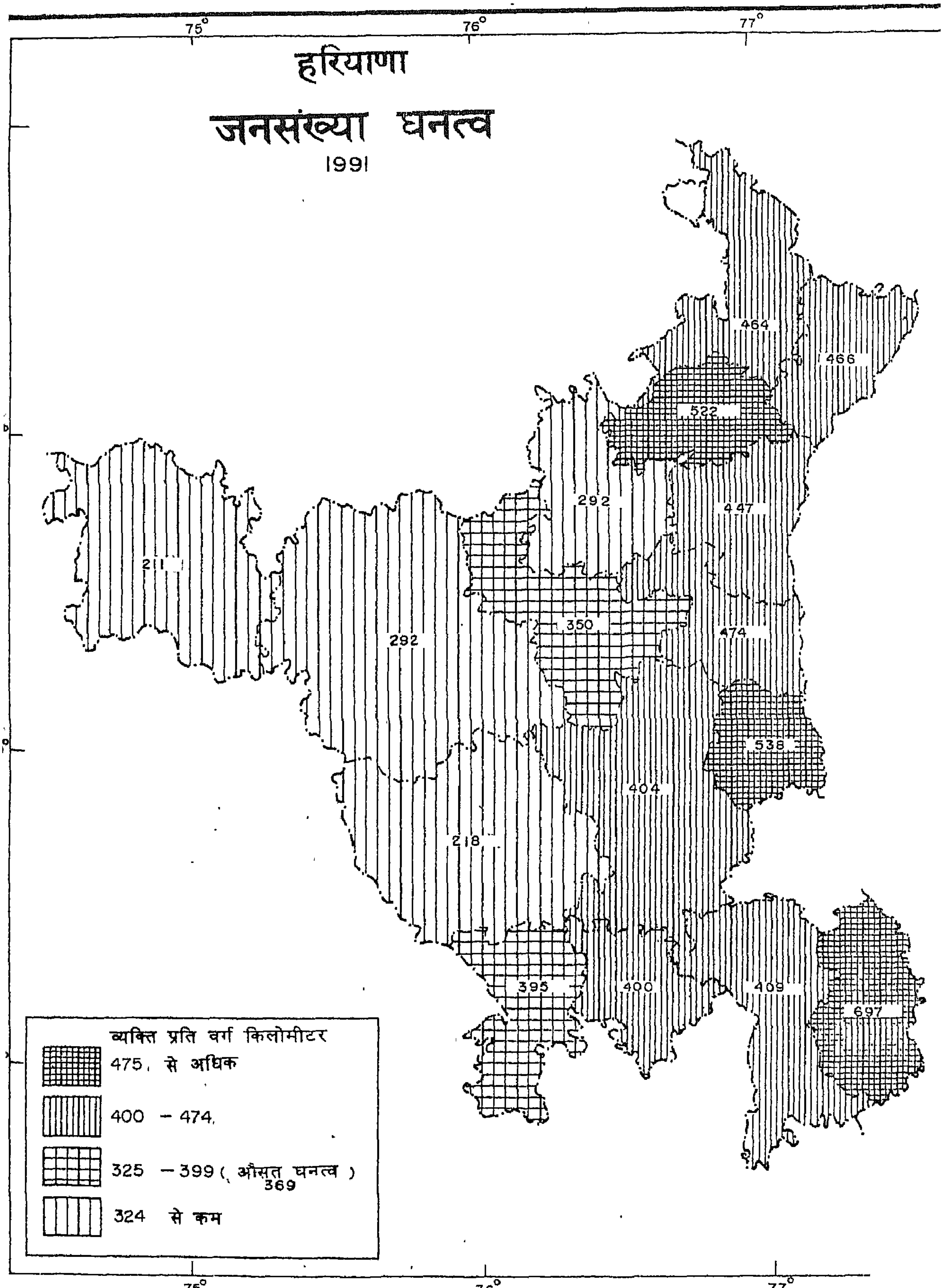
हरियाणा

जनपदवार जनसंख्या

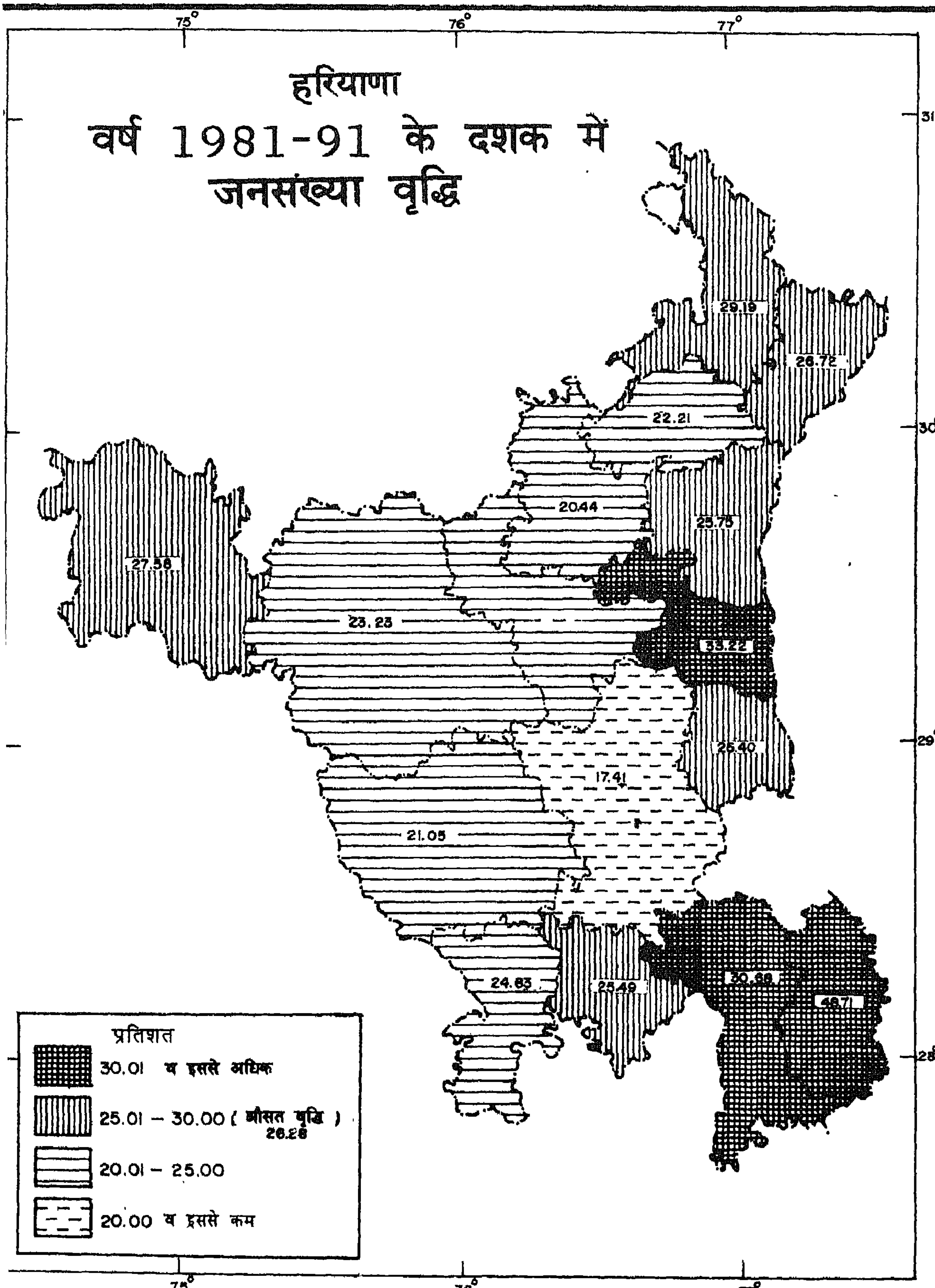
1991



आकृति 2


हरियाणा
जनसंख्या घनत्व
1991
75°
76°
77°
211
292
292
464
466
522
447
350
474
538
404
218
395
400
409
697
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
475 से अधिक
400 - 474
325 - 399 (औसत घनत्व 369)
324 से कम

आकृति 3 x



75°
76°
77°
हरियाणा
वर्ष 1981-91 के दशक में
जनसंख्या वृद्धि
31°
30°
29°
28°
29.19
26.72
22.21
20.44
25.75
27.58
23.23
33.22
25.40
17.41
21.05
24.83
25.49
30.68
46.71
प्रतिशत
30.01 व इससे अधिक
25.01 – 30.00 (औसत वृद्धि) 26.28
20.01 – 25.00
20.00 व इससे कम

आकृति 4

अध्याय 1

हरियाणा में शिक्षा का प्रसार : एक विवेचनात्मक अध्ययन

इस छोटे से राज्य हरियाणा का उदय एक नवम्बर 1966 को हुआ। चण्डीगढ़ नगर इस राज्य की राजधानी है। यह नगर पजाब की भी राजधानी है। इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ एक केन्द्रशासित प्रदेश भी है। हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब के साथ सांझा है। परन्तु हरियाणा का, अपना राज्यपाल, विधान सभा तथा सार्वजनिक सेवा आयोग है।

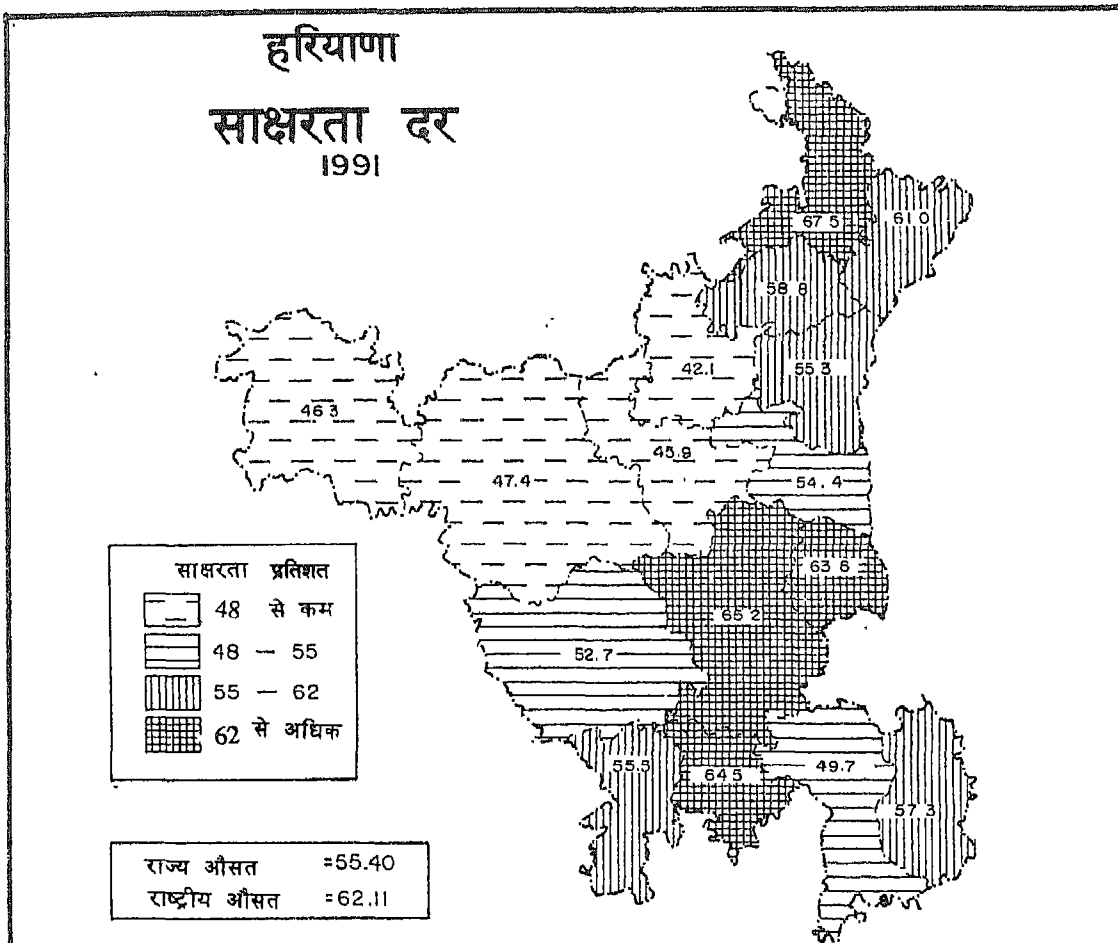
इस राज्य के उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। यमुना नदी राज्य की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। इस राज्य को दो-प्राकृतिक भागो में विभक्त किया जा सकता है।

(क) उप-हिमालय तराई का भाग, (ख) गगा सतलज का मैदान।

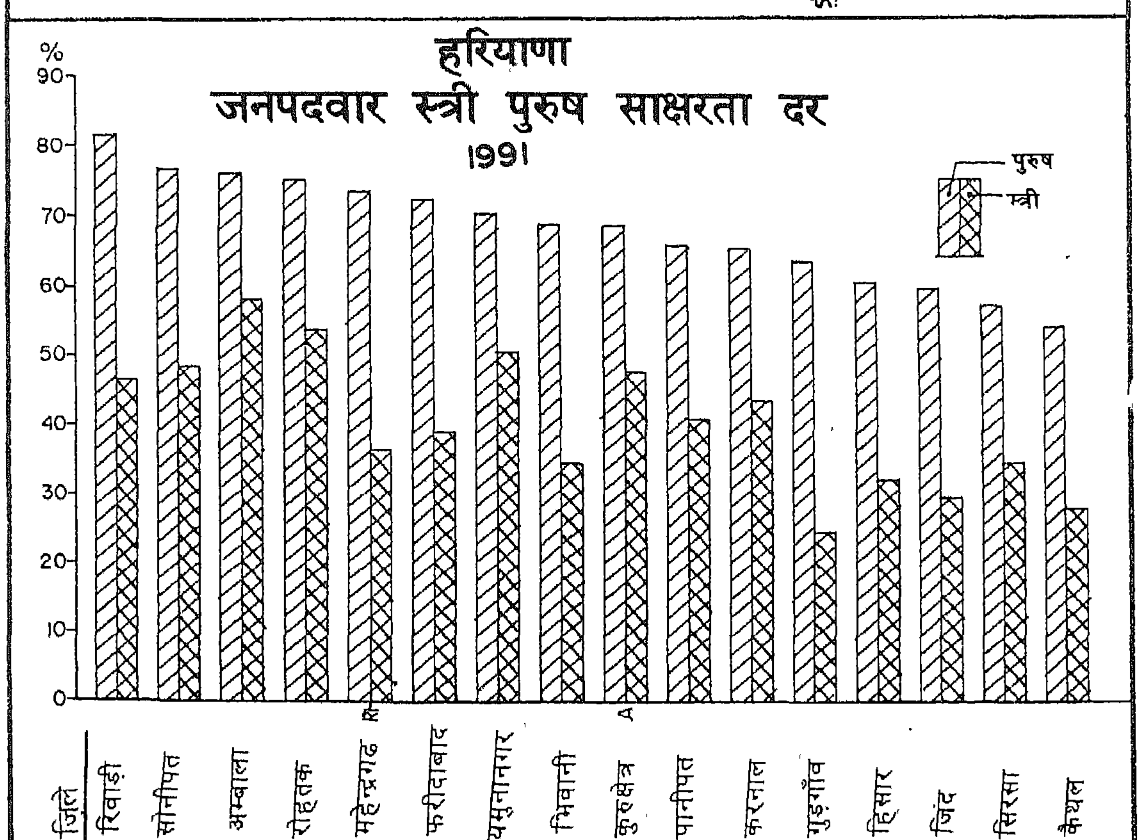
हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु मे खूब गर्मी और शीत ऋतु मे सामान्य सर्दी पड़ती है। यहा वर्षा का वितरण असमान है। वर्षा उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम को कम होती जाती है।

1971 की जनगणनानुसार हरियाणा की जनसंख्या लगभग एक करोड़ सैंतीस हजार थी। 1991 में यह एक करोड़ 63 लाख 18 हज़ार हो गई। अर्थात इस अन्तराल में जनसख्या की वृद्धि 62.5 प्रतिशत हुई। 1991 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्षेत्रफल 44212 वर्ग कि.मी. है जो कि राष्ट्र की भूमि का 1.3 प्रतिशत है। जनगणना के आँकड़ों अनुसार इसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत है। देश के 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व की तुलना मे इसका घनत्व 369 व्यक्ति वर्ग कि.मी है। घनी आबादी वाला यह प्रदेश विकास में कितना घना है?

चौबीस जनवरी 1992 के आधार पर इसमे 4 मण्डल, 16 ज़िले, 39 उपमण्डल, 55 तहसीलें, 30 उप तहसीलें तथा 124 शैक्षिक खण्ड हैं। शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का


हरियाणा
साक्षरता दर
1991
67.5
61.0
58.8
42.1
55.3
46.3
45.9
47.4
54.4
63.6
65.2
52.7
55.5
64.5
49.7
57.3
साक्षरता प्रतिशत
48 से कम
48 — 55
55 — 62
62 से अधिक
राज्य औसत =55.40
राष्ट्रीय औसत =62.11

आकृति 5


हरियाणा
जनपदवार स्त्री पुरुष साक्षरता दर
1991
%
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
पुरुष
स्त्री
जिले
रिवाड़ी
सोनीपत
अम्बाला
रोहतक
महेन्द्रगढ
फरीदाबाद
यमुनानगर
भिवानी
कुरुक्षेत्र
पानीपत
करनाल
गुड़गाँव
हिसार
जिंद
सिरसा
कैथल

आकृति 6

अनुपात लगभग 25:75 है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लोगो का प्रतिशत 19.07 है। 1971 में हरियाणा की साक्षरता दर 26.89 थी तथा भारत की सकल साक्षरता दर 29.46 थी। 1991 मे ये दरें क्रमशः 55.33 तथा 52.11 हो गई। इससे दो तथ्य प्राप्त होते हैं:-

एक तो यह कि हरियाणा की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। और दूसरे यह कि देश की साक्षरता दर से यह दर बढ़ गई है। किन्तु जब हम इसे महिला साक्षरता के संदर्भ मे देखते है तो वैसे ही रोना आता है जैसे मोर को अपने पैर देखकर।

यह तथ्य है कि महिलाओ की साक्षरता 1981 मे 26.89 प्रतिशत थी और पूरे एक दशक बाद 1991 में यह 40.94 प्रतिशत हुई किन्तु अभिप्राय यह है कि जो पुरानी गति-अवरोधक स्थिति थी, आज अभी भी बनी हुई है। आज भी हरियाणा की महिला जनसंख्या का 59.06 प्रतिशत भाग अनपढ़ है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रो मे तथा वहाँ पर भी वचित वर्गो की महिलाओं मे अधिक है। उपर्युक्त संरचनात्मक आकड़े सांख्यिकीय साराश, हरियाणा 1990-91 से लिए गए हैं।

तालिका –1

7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पुरुष व स्त्रियों की साक्षरता की जनपदवार तुलनात्मक स्थिति 1981 – 1991

		साक्षार पुरुष		साक्षार स्त्री		पुरुष साक्षरता		महिला साक्षरता		लिग समानता-सूचकाक	
क्र. सं.	जिला	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)	(1981)	(1991)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	अम्बाला	390	365	222	250	72.7	75.9	41.4	58.1	78.4	86.1
2.	यमुनानगर	-	252	-	159	-	70.2	-	50.5	-	82.8
3.	कुरुक्षेत्र	249	191	110	117	50.7	68.7	26.0	47.6	66.2	80.9
4,	कैथल	-	197	-	86	-	54.1	-	27.8	-	66.2
5.	करनाल	331	255	145	146	57.2	65.7	29.7	43.3	66.7	78.3
6.	पानीपत	-	244	-	128	-	65.9	-	40.8	-	75.0
7.	सोनीपत	242	254	97	136	65.6	76.7	30.3	48.2	61.6	75.8
8	रोहतक	395	591	164	364	68.4	75.1	32.5	53.7	62.9	82.4
9.	फरीदाबाद	283	477	98	214	63.3	72.3	27.7	39.1	58.1	68.3
10.	गुड़गाँव	215	315	77	147	59.2	63.8	24.3	33.7	56.7	67.9
11.	रिवाड़ी	-	217	-	114	-	81.3	-	46.3	-	71.8
12.	महेन्द्रगढ़	271	207	92	97	68.9	73.4	25.0	36.5	52.5	65.7
13.	भिवानी	230	336	69	151	60.1	68.9	20.1	34.6	48.9	65.7
14.	जिन्द	190	255	51	107	46.5	59.6	14.8	29.7	46.0	64.7
15.	हिसार	327	492	112	224	50.4	60.7	20.1	32.0	55.2	67.5
16.	सिरसा	145	225	61	119	47.9	57.0	23.0	34.2	63.7	73.9

शैक्षिक परिवेश

हरियाणा राज्य के उद्योपरान्त शैक्षिक सुविधाओ के प्रसार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है :-

तालिका – 2

स्कूलों की संख्या में वृद्धि

स्कूलों की संख्या

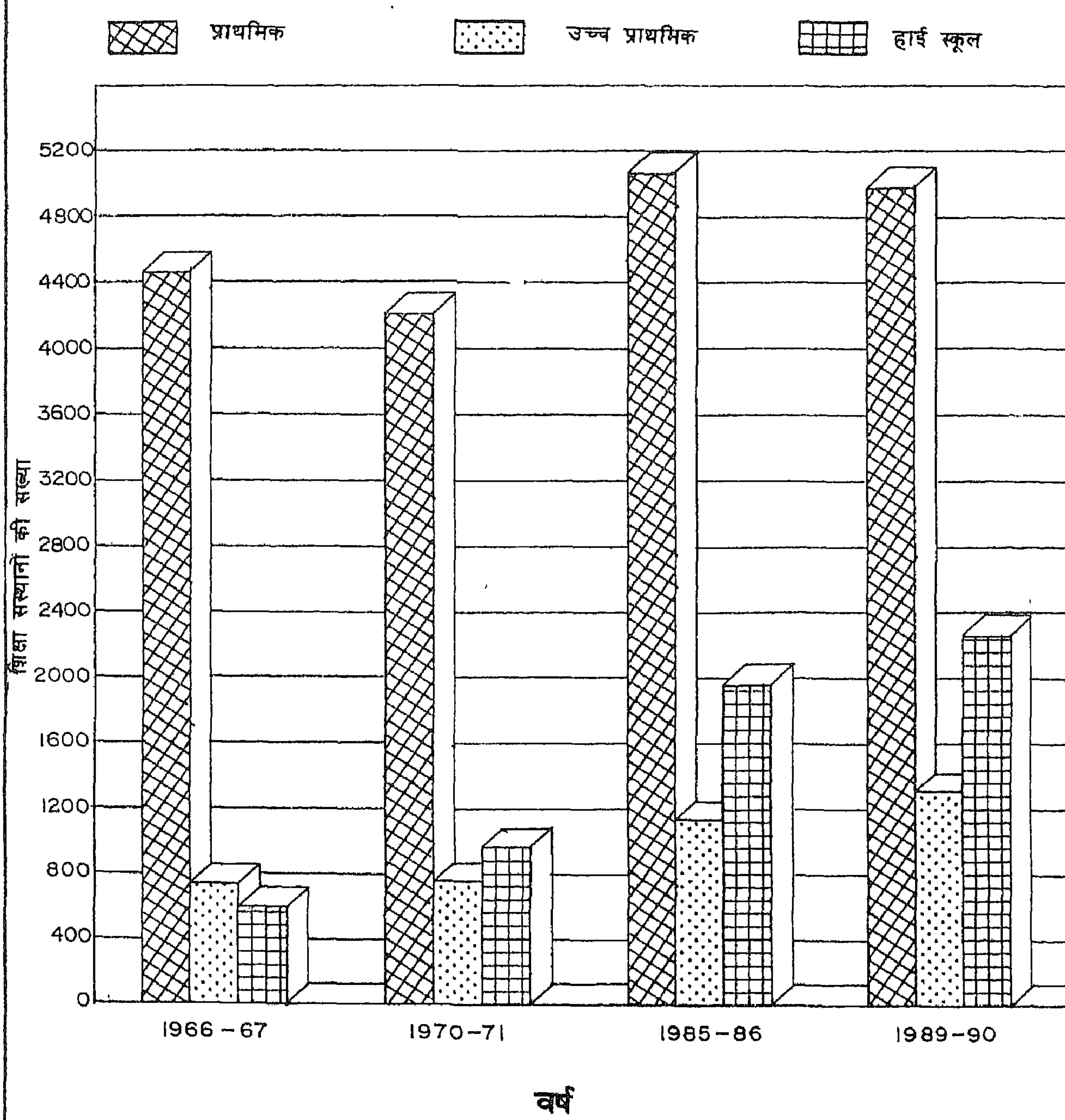
वर्ष	*प्राइमरी*	*मिडिल*	*हाई स्कूल*	*वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय*
1966-67	4447	735	597	-
1970-71	4204	760	975	-
1975-76	5149	758	1129	-
1980-81	4934	881	1473	100
1985-86	5078	1121	1946	132
1990-91	5136	1399	2356	325

इस तालिका से पता लगता है कि विभिन्न वर्गो के स्कूलो की संख्या मे काफी वृद्धि हुई है। वर्णनीय है कि लगभग सभी मिडिल तथा हाई स्कूलों के साथ प्राइमरी विभाग जुड़ा हुआ है। यदि बच्चों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से स्थिति का जायजा ले तो यह जानकर सन्तोष की अनुभूति होती है कि हरियाणा के बच्चों को प्राइमरी, मिडिल तथा हाई/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को अर्जित करने के लिए अपने ग्राम से क्रमशः 1.29 किलोमीटर, 1.94 कि.मी. तथा 2.45 कि.मी. से अधिक नही चलना पडता है।

स्कूलो की सख्या मे वृद्धि के फलस्वरूप छात्रो/छात्राओ तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है। गत वर्षों में विद्यार्थियो एवं अध्यापको की संख्या मे वृद्धि का दिग्दर्शन तालिका 3 से होता है।

हरियाणा

मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं



आकृति 7

तालिका – 3

स्कूलों में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की संख्या में वृद्धि संख्या (लाखों में)

वर्ष	*विद्यार्थियों की संख्या*			*अध्यापको की सख्या*		
	छात्र	*छात्रा*	*कुल*	*पुरुष*	*महिला*	*कुल*
1967	8.62	2.96	11.58	.24	.08	.32
1971	10.17	3.59	13.86	.40	.10	.50
1976	11.70	4.99	16.69	.35	.15	.50
1981	13.71	6.32	20.03	.39	.18	.57
1985	15.40	8.73	24.13	.42	.25	.67
1990	18.92	13.20	32.12	.44	.30	.74
अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अध्यापकों की सख्या				(.02)	(.005)	(.025)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि छात्र संख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। *छात्राओं की शिक्षा मे वृद्धि छात्रो की अपेक्षा अधिक रही है।* इसी प्रकार अध्यापिकाओ की सख्या मे वृद्धि भी अध्यापको की अपेक्षा अधिक रही है। यह ठीक है कि अध्यापिकाओं की संख्या मे निरन्तर वृद्धि हुई है परन्तु छात्रो की सख्या मे वृद्धि के अनुरूप अध्यापकों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। *अनुसूचित जाति से संबंधित अध्यापकों की कम सख्या निश्चय ही चिन्ता का विषय है ।*

यदि अनुसूचित जाति से सबंधित छात्र-संख्या मे वृद्धि हुई है तो इस जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि के बारे में सोचना होगा। *शैक्षिक परिवेश का एक अन्य पक्ष यह है कि छात्राओ की संख्या में वृद्धि होते हुए भी समान आयुवर्ग की कन्याओ की सख्या के अनुपात मे अधिक कन्याओं को स्कूलो में लाना अपेक्षित है। इस स्थिति की अत्यधिक आवश्यकता, प्रारम्भिक स्तर पर है यदि इस शताब्दी की समाप्ति से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का सपना हम लिए हुए हैं ।*

इस परिवेश की पृष्ठभूमि में विषमता सम्बन्धी विषय भी चिन्तादायक है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के हित मे व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओ को मिटाना होगा। वास्तव मे ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में प्रशासको तथा आयोजको का चिन्ताजनक होना उचित है।

इस सन्दर्भ में राज्य सरकार भी इस चुनौती से अनभिज्ञ नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को स्कूल में आकर्षित करने के लिए काफी प्रोत्साहन योजनाए चला रखी हैं। ये प्रोत्साहन मुफ्त वर्दी, लेखन एव पठन सामग्री, पुस्तकों आदि से संबंधित है। हाल ही में राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की बालिकाओं के लिए भी प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया है। फिर भी सभी कन्याओं, विशेषतःअनुसूचित जाति से संबधित कन्याओं को स्कूल में लाना एक भयंकर समस्या आड़े खड़ी है।

यह स्थिति निम्नलिखित तालिका मे झलकती है :-

तालिका – 4

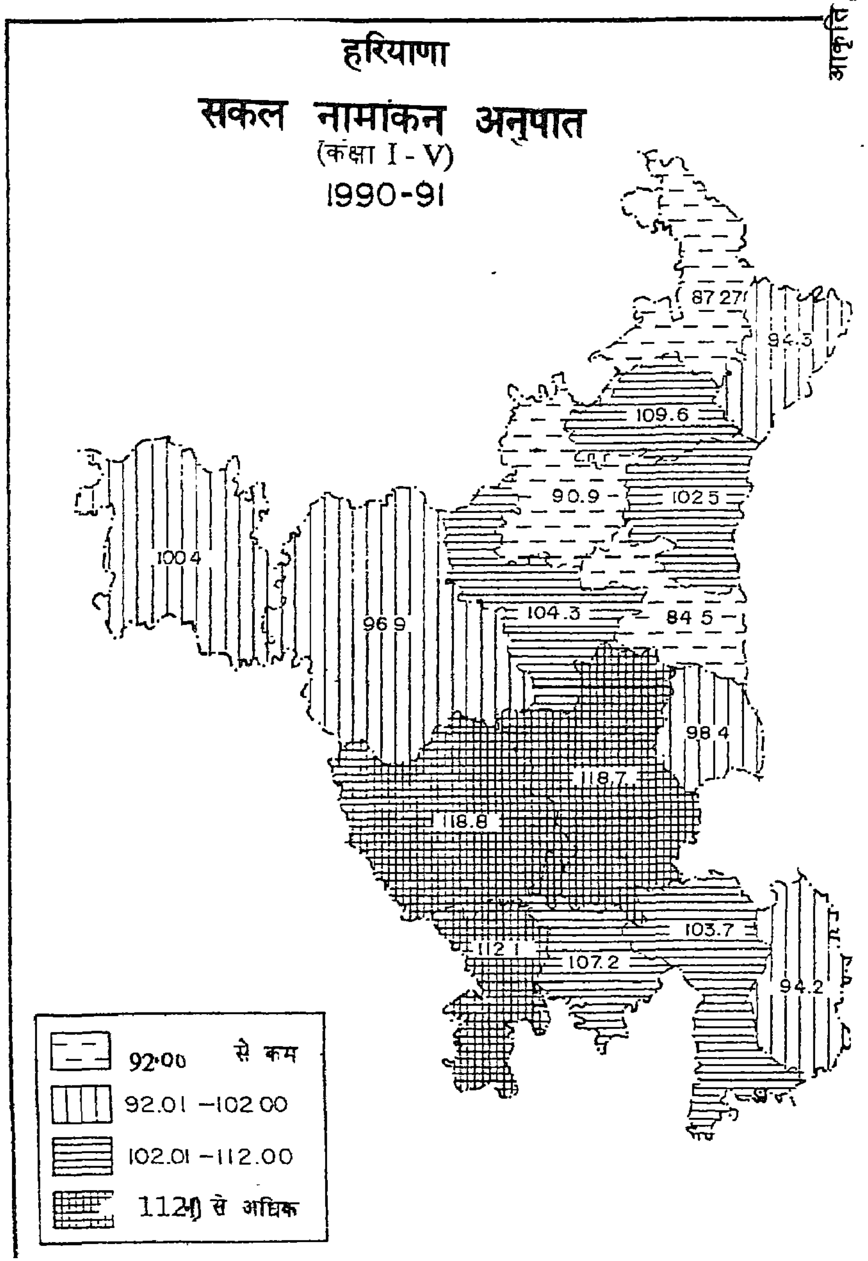
6-11 तथा 11-14 आयुवर्ग छात्रसंख्या अनुपात, 1990

(संख्या प्रतिशत मे)

	सभी वर्ग			*अनुसूचित जाति*		
आयुवर्ग	*बालक*	*बालिकाए*	*कुल*	*बालक*	*बालिकाएं*	*कुल*
6-11	95.3	77.3	86.5	अनुपलब्ध		
11-14	78.6	50.5	65.2	66.4	35.1	51.5

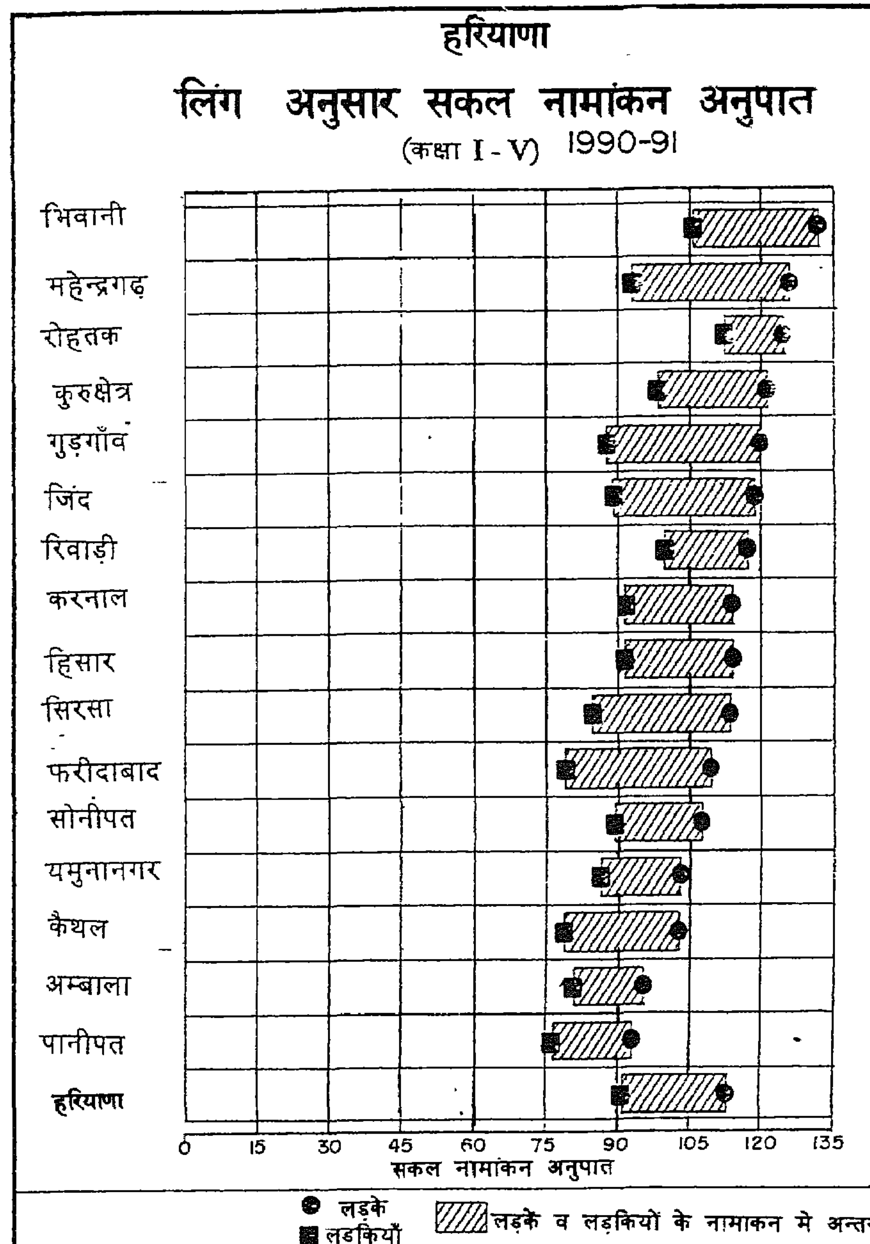
इस तालिका से स्पष्ट है कि 6-11 आयुवर्ग में अभी 100-120 की छात्र नामांकन दर तक पहुंचना एक स्वप्न बना हुआ है। 11-14 आयुवर्ग में तो स्थिति और भी विषम है। सम्भवतः अब समय आया है कि सामूहिक प्रयासो को तेज करने से क्षेत्रीय प्रयास अधिक सफल हो सकते है। यह बात केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित एक ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है। इस प्रकार प्रोत्साहन योजनाओं में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना श्रेयस्कर हो सकता है।

हरियाणा शिक्षा विभाग ने 1990-91 के पूर्व एक वृहत् नामांकन अभियान चालू किया जिसमें शिक्षकों ने अभिभावको से सम्पर्क स्थापित करके प्राथमिक स्तर पर 4.75 लाख अतिरिक्त बच्चे स्कूलों में सम्मिलित किए। 6-11 वर्ष की लड़कियो का 91 प्रतिशत और लड़कों का 113 प्रतिशत नामाकन किया गया। ज़िलावार विवरण तालिका 5 में दिखाया गया है।



हरियाणा
सकल नामांकन अनुपात
(कक्षा I - V)
1990-91
87.27
94.3
109.6
90.9
102.5
100.4
96.9
104.3
84.5
98.4
118.7
118.8
103.7
112.1
107.2
94.2
92.00 से कम
92.01 –102.00
102.01 –112.00
112.01 से अधिक

आकृति 8



हरियाणा
लिंग अनुसार सकल नामांकन अनुपात
(कक्षा I - V) 1990-91
भिवानी
महेन्द्रगढ़
रोहतक
कुरुक्षेत्र
गुड़गाँव
जिंद
रिवाड़ी
करनाल
हिसार
सिरसा
फरीदाबाद
सोनीपत
यमुनानगर
कैथल
अम्बाला
पानीपत
हरियाणा
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
सकल नामांकन अनुपात
लड़के
लड़कियाँ
लड़के व लड़कियों के नामाकन मे अन्तर

आकृति 9

तालिका – 5

राज्य में जनपदवार प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात

(6-11 आयु वर्ग) 1991

जिला		*बालक*	*बालिका*	*योग*
1.	अम्बाला	95.08	79.60	87.27
2.	भिवानी	131.92	105.95	118.84
3.	फरीदाबाद	108.91	78.61	94.24
4.	गुड़गाँव	120.07	87.33	103.60
5.	हिसार	109.47	91.11	100.38
6.	जिंद	118.61	89.36	104.31
7.	कैथल	102.75	78.61	90.91
8.	करनाल	113.49	91.40	102.51
9.	कुरुक्षेत्र	121.15	98.04	109.57
10.	महेन्द्रगढ़	125.74	98.04	109.57
11.	पानीपत	92.42	76.36	84.53
12.	रिवाड़ी	117.11	97.64	107.15
13.	रोहतक	125.00	112.22	118.68
14.	सिरसा	109.04	84.74	96.87
15.	सोनीपत	107.23	89.18	98.36
16.	यमुनानगर	103.20	86.24	94.27
	हरियाणा	**112.90**	**91.04**	**102.02**

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मात्र स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का सुनिश्चित अवस्था में पहुचना कठिन है। वर्ष 1986 में पांचवा शैक्षणिक सर्वेक्षण किया गया था। तब यह देखने में आया था (वस्तुतः स्थिति मे अभी भी कोई विशेष परिवर्तन नही आया है) कि अम्बाला/यमुनानगर जिले, जिनकी गिनती राज्य के गतिशील ज़िलो में होती है, मे माध्यमिक विद्यालय स्तर की सुविधाएं जनसख्या के 85.5 को 3 कि.मी. की परिधि में उपलब्ध थी, जबकि जीन्द जो कि शैक्षिणिक दृष्टि से पिछड़ा ज़िला जाना जाता है, मे उक्त सुविधाए जनसंख्या के 97.01% को तीन कि. मी. की परिधि मे उपलब्ध थी। परन्तु छात्र सख्या दर अम्बाला ज़िले मे जीन्द ज़िले की अपेक्षा कही अधिक है।

जहाँ तक सेकण्डरी शिक्षा प्रसार का सम्बन्ध है, में क्षेत्रीय विसंगतियां कहीं अधिक हैं। इस स्तर की शिक्षा का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण से गहरा सम्बन्ध है। अतः इस न्यूनता की ओर भी देखना आवश्यक प्रतीत होता है।

हरियाणा राज्य में + 2 शिक्षा प्रणाली का आरम्भ वर्ष 1985-86 में किया गया था। इस समय यह प्रणाली स्कूलों के साथ-साथ कॉलिजो में भी चल रही है। +2 शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक धारा, शिक्षा विभाग से सम्बन्धित न होकर औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में है। यह व्यावसायिक प्रणाली 65 संस्थानों मे लागू है। इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि +2 कक्षाओं में कम्पयूटर सांइस, मनोविज्ञान आदि विषयों को भी आरम्भ किया जाए।

तालिका — 6

शिक्षा सम्बन्धी अन्य आकड़े

क्रम स.	क्षेत्र	मद	1966-67 की स्थिति	1990-91 की स्थिति	इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	वर्ष	(क) उच्च शिक्षा	22.25 लाख रू.	50 93.00 लाख रु.	22789.88
		(ख) प्राइमरी शिक्षा	86.97 लाख रु.	13369 लाख रु.	15271.96
		(ग) सेकण्डरी शिक्षा	168.03 लाख रु.	12321 लाख रु.	7232.61
		कुल योग	277.25 लाख रु.	30783 लाख रु.	11002.97
2.	प्रवेश देने की संख्या	(क) सिविल	70	115	64.28
		(ख) मैकेनिकल	90	155	72.22
		(ग) इलैक्ट्रिकल	90	145	61.11
		(घ) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन	x	113	x
		(ङ) कम्पयूटर इंजीनियरिंग	x	60	x
		(च) अन्य	x	28	x
		(छ) योग	250	616	146.4

1	2	3	4	5	6
3.	विद्यालय मे जाने वाले विद्यार्थियों क प्रतिशत	(क) 6-11 आयुवर्ग			अन्तर %
		(अ) लड़के	80.7	96.0	15.3
		(आ) लड़कियां	34.7	73.1	38.4
		(इ) कुल	58.9	84.5	25.6
		(ख) 11-14 आयुवर्ग			
		(अ) लड़के	56.2	78.8	22.6
		(आ) लड़कियां	16.3	49.5	33.2
		(इ) कुल	37.3	64.8	27.5
		(ग) 14-17 आयुवर्ग			
		(अ) लड़के	25.9	32.3	6.4
		(आ) लड़कियां	6.3	16.4	10.1
		(इ) कुल	18.7	24.8	8.1
				इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत	
4.	छात्र-अध्यापक अनुपात	(क) प्राइमरी कक्षाएँ	43	46	6.97
		(ख) माध्यमिक कक्षाएँ	30	36	20
		(ग) उच्च/उच्चतर मा. कक्षाएँ	18	20	11.1
		(घ) वरिष्ठ मा. कक्षाएँ	18	46	155.55

(स्रोत : हरियाणा सांख्यिकीय सारांश 1990-91 क्षेत्र 1, पृष्ठ 139, क्षेत्र 2, पृष्ठ 138, क्षेत्र 3, पृष्ठ 785, क्षेत्र 4 पृष्ठ 140)

यह आंकड़ें सांख्यिकीय सारांश हरियाणा, 1984-85 से लिए गये हैं।

1— सारणी —5 के आँकड़ो का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इस अन्तराल में उच्च शिक्षा पर अधिक खर्च हुआ है। इसकी वृद्धि 228 गुना हो गई है। इससे कम प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि 153 गुना रही तथा सबसे कम माध्यमिक शिक्षा का खर्च 72 गुना बढ़ा।

2– व्यावसायिक संस्थाओं की प्रवेश संख्या मे लगभग 1/2 गुना वृद्धि हुई है।

6 से 11, 11 से 14, 14 से 17 इन तीनों आयु वर्गों में लड़कियो की प्रवेश संख्या अधिक हुई हैं। इन प्रतिशतों का अन्तर क्रमशः 36.6%, 33.2%, 10.1% आया है। इनमे भी 6 से 11 आयु वर्ग का प्रतिशत अन्तर सबसे अधिक है। अतः सरकारी अभियानों से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है।

छात्र-अध्यापक अनुपात बढ़ा है। इससे एक निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है कि जिस अनुपात मे छात्रों की संख्या बढ़ी है उस अनुपात में अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ी। स्तरानुसार यह अनुपात भी उत्तरोत्तर बढ़ गया है। प्राथमिक कक्षाओं मे यह वृद्धि 7% माध्यमिक कक्षाओं में 20% उच्च विद्यालयी कक्षाओ में 11.1% तथा वरष्ठि माध्यमिक कक्षाओ मे 155.5%: है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए छात्र-अध्यापक अनुपात उत्तरोत्तर कम होना चाहिए परन्तु वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओ में शिक्षण भार 150% से अधिक हो गया है अर्थात् इसमे डेढ़ गुना वृद्धि हुई है जो एक विचारणीय बिन्दु है परन्तु विकासशील प्रदेशों में उपयुक्त योग्यता के अध्यापको के उपलब्ध न होने अथवा नियुक्ति न होने पर कई बार उच्चतम कक्षाओं में शिक्षण भार बढ़ना स्वाभाविक हैं। अतः प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे भारो को अन्य प्रगति के क्षेत्रों के लिए प्रेरणा स्त्रोत मानना होगा। अर्थात् शिक्षण भार के बढ़ने पर यदि एक अध्यापक उस स्थिति में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तो ऐसी अन्य स्थितियों में अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी भी कार्य करने की प्रेरणा ले सकें।

हरियाणा राज्य बनने के समय शिक्षा मे विकास के लिए शैक्षिक मूल्यांकन तथा शैक्षिक और व्यावसायिक सदर्शन के दो अनुभाग थे तथा एक विज्ञान अनुभाग था। अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद् के अन्तर्गत 13 अनुभाग हैं जिनके नाम हैं:-

1. अध्यापक शिक्षा एव प्रसार सेवा, 2. शैक्षिक मूल्याकन एवं अनुसंधान, 3. संदर्शन अनुभाग, 4. विज्ञान अनुभाग, 5. शैक्षिक तकनीकी अनुभाग, 6. पाठ्य पुस्तक अनुभाग, 7. भाषा एव प्राथमिक अध्यापक प्रकाशन, 8. जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ, 9. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य अनुभाग एव कम्प्यूटर केन्द्र, 10. अशक्त बालको की समायोजित शिक्षा (आई.ई.डी.), 11. पर्यावरण शिक्षा, 12. ज़िला अग्रेजी केन्द्र तथा 13. महिला शिक्षा अनुभाग।

ये अनुभाग शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्षेत्रो में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त गुड़गाव तथा सोनीपत ज़िलों मे ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ज़िला स्तर पर शैक्षिक सुधार तथा प्रशिक्षण में कार्य कर रहे हैं। हरियाणा में नवोदय विद्यालय आदि शिक्षण संस्थाएं मेधावी छात्रों एव छात्राओं को शिक्षा के अवसर सुलभ करवा रही है। नेहरू युवा केन्द्र, ज़िला खेल-कूद संस्थान विद्यार्थियों/युवकों के भौतिक/भावनात्मक विकास में पूर्ण योगदान दे रहे हैं।

ठीक है कि हरियाणा विकास की ओर बढ़ रहा है। हर क्षेत्र के आयामों में वृद्धि हुई है और हर आयाम के संख्यात्मक तथा गुणात्मक आँकड़ो में भी वृद्धि हुई है। ये कीर्तिमान जहाँ एक ओर हरियाणा की बहुमुखी प्रगति के परिचायक हैं वहीं प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी हैं।

गुणात्मक सुधार :-

उपयुक्त वर्णित शैक्षणिक प्रसार की कहानी अर्थहीन ही रहेगी जब तक इसमे गुणात्मक सुधार हेतु प्रयास नहीं किए जाते हैं।

कोठारी आयोग (1965-66) ने अपनी रिपोर्ट के आरम्भ में कहा है कि भारत के भविष्य का निर्माण कक्षा-कक्ष मे हो रहा है। इस सन्दर्भ में अध्यापक का महत्व सर्वोपरि हो जाता है। अतः शिक्षा में गुणात्मक सुधार और सुयोग्य अध्यापक पर्यायवाची है। राज्य मे प्रायोजित स्कीम के तहत दो ज़िलों मे (गुड़गाव एवं सोनीपत) प्रशिक्षण सस्थान क्रियान्वित किए जा चुके है। ये संस्थान ज़िला स्तर पर अध्यापक के प्रत्येक पहलू की माग को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। इसमें पूर्व सेवा प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम सचालन, प्रबन्ध, कार्यानुभव आदि शामिल है। इन दो संस्थानो के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अध्यापकों की बढ़ती हुई माग को दृष्टिगत रखते हुए 8 अन्य संस्थान खोले हैं। ये सस्थान पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व निभाते हैं। इनके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.) भी अध्यापकों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु कृतसंकल्प है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अन्य कई स्कीमों को क्रियान्वित किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने हेतु अनेक अनुभाग क्रियाशील हैं। अनुभागो के नाम इस प्रकार से हैं :-

1. अध्यापक शिक्षा एवं प्रसार सेवा
2. शैक्षिक मूल्यांकन एवं अनुसधान
3. संदर्शन एवं परामर्श
4. विज्ञान
5. शैक्षिक तकनीकी
6. पाठ्य पुस्तक
7. भाषा एवं प्राथमिक अध्यापक प्रकाशन

8. जनसंख्या शिक्षा

9. समाज उपयोगी उत्पादक कार्य एवं कम्प्यूटर शिक्षा

10. अशक्त बालको की समायोजित शिक्षा

11. पर्यावरण शिक्षा

12. ज़िला अंग्रेजी केन्द्र

13. महिला शिक्षा अनुभाग

उपर्युक्त अनुभागों की सूची से स्पष्ट है कि स्कूलों के विभिन्न पक्षो में गुणात्मक सुधार लाने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं। *परन्तु क्या बढ़ती हुई छात्र-सख्या के दृष्टिगत शिक्षा में गुणात्मक सुधार की मात्रा बरकरार रखी जा सकी है? निर्विवाद रूप से इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की प्रक्रिया क्षीण होती जा रही है। विभिन्न वर्गों के अध्यापकों की रिक्तियां भरी नहीं जा सकी है। अध्यापको की माग और सप्लाई में समन्वय नहीं बिठाया जा रहा है। अतिरिक्त अध्यापकों के पद नहीं जुटा पा रहे हैं। अध्यापकों में नैतिक मूल्यो के प्रति आस्था में कमी आई है। विद्यार्थियों में नकल का दौर भयंकर रूप धारण कर रहा है। शिक्षा के लिए हम पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहे हैं। स्कूलों में भौतिक सुविधाओं का अभी भी अभाव बना हुआ है। स्कूलों के भवनों की वर्तमान दशा तथा अपर्याप्तता की समस्या एक अटल पर्वत की भाँति सम्मुख खड़ी है ।*

इन कुछ गम्भीर समस्याओं से निपटने के लिये कुछ प्रयास करने होंगें और शिक्षा स्तर मे गिरावट को रोकना होगा। वास्तव में ऊपर वर्णित प्रत्येक समस्या के निदान के लिए बहुत कुछ लिखा जा सकता है। परन्तु इनका उल्लेख इस लघु-लेख मे करना युक्तियुक्त न होगा, फिर भी मुख्य रूप से निम्नांकित उपाय संख्यात्मक एव गुणात्मक सुधार के लिये कुछ कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

1— प्रशासनिक सुधार :-

वर्तमान प्रशासनिक प्रणाली हरियाणा राज्य के निर्माण से भी पुरानी है। सम्भवतः यह प्रणाली अब सामयिक नहीं रही। इसमे आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सचिवालय स्तर पर एक संयुक्त निदेशक पद के समाज स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए जो शिक्षा की समूची प्रक्रिया से पूर्णतया अवगत हो। स्कूली शिक्षा को एकरुपता प्रदान करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा से सार्वजनीकरण के हित में मण्डल स्तर पर एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो

अधीनस्थ जिलों में समूची शिक्षा को एकरुपता प्रदान कर सकें। ऐसे ही स्कूल के मुखियों को और अधिक शक्तियाँ दी जाएं और उन्हें गुणात्मक सुधार के लिये उत्तरदायी ठहराया जाए।

2-- वित्तीय प्रबन्ध :-

यह ठीक है कि शिक्षा के बजट में निरन्तर वृद्धि हुई है। परन्तु कुल बजट व्यवस्था के अनुपात में यह राशि काफी कम है। कोठारी आयोग (1964-66) ने संस्तुति की थी कि कुल बजट की 6% राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जानी चाहिए। परन्तु इस स्तर तक हम अभी नहीं पहुच पाए हैं। इसके साथ ही जो राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जाती है उसका पूर्णतया उपयोग भी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में विशेषतः क्रय-प्रक्रिया सुदृढ़ नहीं है। वास्तव में शिक्षा विभाग में एक क्रय सेल अलग से होना चाहिए जो स्कूलों की सभी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता हो। इससे न केवल वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा सकेगा, वरन् उनकी गुणवत्ता भी उत्कृष्ट होगी। इसके स्थापित होने के बाद शिक्षा सम्बन्धी वस्तुओ (टाटपट्टी, डेस्क, चाक इत्यादि) के निर्माणार्थ संस्थान भी कायम किए जा सकते हैं।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण :-

शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की भूमिका अपना महत्व रखती है। आज निरीक्षकों का अधिकांश समय प्रशासनिक कार्यों में लग जाता है। फलतः निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में काफी शिथिलता आई है। जब तक प्रत्येक स्कूल का वर्ष में कम से कम तीन बार निरीक्षण नहीं होता तब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार मात्र स्वप्न बन कर रहेगा। इसके लिये आवश्यक है कि उपमण्डल स्तर पर निरीक्षको को वाहन एवं पर्याप्त वित्तीय/प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करके अधिक समर्थ किया जाए। पेनल निरीक्षण का आवश्यक रूप से प्रावधान किया जाए। सस्था स्तर पर मुखिया द्वारा सभी अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करके स्व-निरीक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें :-

तेज़ी से बदलते हुए इस युग में आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम में समय-समय पर उचित संसोधन किए जाऐ और साथ ही पाठ्य पुस्तकों को उत्तम ज्ञान-प्राप्ति के माध्यम के रूप मे पठनीय बनाया जाए जिससे कि अध्यापक और छात्र बाज़ारी कुंजियों पर अवलंबित न हों। यह स्थिति तब तक रहेगी जब तक पाठ्य पुस्तकों को रोचक और परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश में एक स्वैच्छिक संस्था के माध्यम से विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया है जो मार्ग-दर्शक के रूप में काम कर सकती है, ऐसे ही कुछ प्रयास राज्य में किए जाने चाहिए। यह भी बेहतर होगा यदि

विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम के संदर्भ में पूरक सामग्री का निर्माण किया जाए जिससे विद्यार्थियो के ज्ञान में वृद्धि हो और परीक्षाओं की तैयारी मे भी उनको मदद मिले।

मूल्यपरक शिक्षा

मूल्यपरक शिक्षा का अर्थ है सामाजिक आदर्शों और लोकव्यवहार के निर्वाह के लिए नियत किए गए आचार का विकास करना अर्थात् मूल्यपरक शिक्षा व्यक्ति के आचरण एवं सामाजिक आदर्शों के विकास की द्योतक है। यह व्यवहार की वह पद्धति है जिससे अपना कल्याण हो और दूसरे को हानि न पहुंचे। प्रत्येक समाज शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों में ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ कुछ ऐसे गुणों का विकास भी करना चाहता है जिससे वे अच्छे नागरिक बन सकें। शिक्षा के इसी पक्ष को मूल्यपरक शिक्षा कहा जाता है।

बदलते समय के साथ-साथ सामाजिक मूल्य भी बदलते हैं, लेकिन हमे स्वीकार करना होगा कि कुछ मूल्य शाश्वत हैं और उनकी अवहेलना करने से समाज एव राष्ट्र में अव्यवस्था फैल जाती है।

आज के युग मे राक्षसी के मुंह की भांति बढ़ता हुआ आंतकवाद, फैलता हुआ भाई-भतीजावाद, पनपता हुआ जातिवाद, जन्मती हुई संकुचित क्षेत्रीयता, घिनौनी स्वार्थ पूर्ति हेतु चोर बाज़ारी, काला धन कमाने के लिए वस्तुओं का कृत्रिम अभाव, जीने हेतु नितात आवश्यक खाद्य पदार्थों मे मिलावट, बाल मज़दूरी और बर्बरता से आक्रान्त नारी शोषण आदि नैतिक ह्रास के ही परिणाम है। ये सभी उपचारणीय बिंदु हैं।

किसी भी देश की महत्ता उसकी जनसंख्या पर आधारित नहीं होती बल्कि नागरिको के महान एवं निष्कलक चरित्र पर आधारित होती है।

परीक्षाओं में सुधार :-

आज विद्यार्थी परीक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ है और इससे उसके सर्वागीण विकास मे बाधा पहुँची है। भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी से भी उसे जूझना पड़ता है। विद्यार्थियों को योग्य अध्यापक पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उन्हें ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। फलस्वरूप परीक्षाओं में नकल तथा प्रश्न पत्रों की लीकेज जैसी भयकर समस्याओं ने जन्म लिया है। यहां तक कि अनेक राज्यों ने नकल की प्रवृति को एक दण्डयोग्य अपराध की सज्ञा दी है। ये सभी कुठाराघात एक सुखद भविष्य के लिए सकेत नहीं दे रहे है।

इन सभी प्रवृत्तियों से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय सोचने होंगे। पर्याप्त मात्रा मे अध्यापकों का प्रबन्ध करना प्रबन्धकों का दायित्व है। प्रश्न पत्रों के निर्माण, परीक्षाओं का संचालन, अध्यापकों में नैतिक उत्थान जैसी प्रक्रियाओं में रचनात्मक संशोधन लाना होगा तभी कुछ सुधार लाया जा सकेगा।

शिक्षा मे सुधार हेतु कुछ विवेचन किया गया है। आशा है कि शिक्षा से संबन्धित सभी पक्ष शिक्षा में सख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार लाने के लिए अपना-अपना कर्त्तव्य प्रभावकारी ढग से निभाएगे। यदि ऐसा होता है तो भी भय है कि इससे पदर्थवाद बनेगा। अतः सुझाव है कि सभी प्रयासो में समन्वय लाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो कम से कम व्यय पर शिक्षा में अधिकाधिक सुधार लाने के लिए प्रभावकारी सस्तुतिया दे। आज यदि हम इन चुनौतियो का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते है तो भविष्य का सामना करना कठिन होगा।

तालिका – 7

अन्य क्षेत्रों में प्रगति

क्रम स.	क्षेत्र	मद	वर्ष 1966-67	वर्ष 1990-91	इस अन्तराल में वृद्धि प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि	(क) आगमेण्टेशन टयूबवेल	200	1643	486.78
		(ख) नहरो द्वारा सिंचाई	13.25 लाख हैक्टेयर	20.38 लाख हैक्टेयर	53.81
		(ग) खाद्यान्न	25.92 लाख टन	96.00 लाख टन	270.37
		(घ) गन्ना	5.10	7.75	51.96
		(ङ) तेल के बीज	0.92 लाख टन	6.92 लाख टन	652.17
		(च) कपास लाख गाठें	3.05 लाख गाठें	11.5	277.04
		(छ) टैक्टर	4800	1.07 लाख	2129.16
		(ज) चीनी की मिलें	2	10	400.00
2.	पशुपालन	(क) पशु चिकित्सालय	125	495	296
3.	डेरी फार्म	(क) दुग्ध प्राप्ति	357 ग्राम प्रति व्यक्ति	539 ग्राम प्रति व्यक्ति	50.98
		(ख) मिल्क प्लांट	1 (5.12.70 से)	6	500.00
4.	स्वास्थ्य	(क) हस्पताल	56	79	41.07
		(ख) कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	141	166	17.73

1	2	3	4	5	6
		(ग) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर	88	394	347.72
		(घ) आयुर्वेदिक/यूनानी इन्स्टीटयूशन	143	414	109.51
5.	उद्योग	(क) पंजीकृत लघु इकाईयाँ	4519	106421	2254.96
		(ख) बड़ी तथा मध्यम इकाईयाँ	162	461	184.56
		(ग) ग्रामीण औद्योगिक इकाईयाँ	92 (1977-78)	42026	45580.43
		(घ) औद्योगिक उत्पादन	119.97 (1971-72)	445.18	271.07
		सूचकाक			
6.	ट्रांसपोर्ट	(क) वाहन (रोड़वेज़)	475	3478	632.21
		(ख) बस अड्डे	3	65	2066.66
		(ग) ओपरेटिड कि.मी. मीट्रेज	1 लाख	10.5 लाख	950.0
		(घ) दैनिक यात्री	0.98 लाख	16.35 लाख	1568.36
		(ङ) डिपो	3	18	500.00
7.	फूड सप्लाइज	(क) फेयर प्राइस शाप	2400	6615	175.62
8.	व्यावसायिक संस्थाएँ	(क) पौलीटेक्नीक्स	7	16	128.57
		(ख) आई.टी.आईज़	39	69	76.92
		(ग) वोकेशनल एजुकेशन	24	65	—

(स्त्रोत :- हरियाणा एट ए ग्लान्स-सिल्वर जुबली 1991)

उपर्युक्त आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन सभी क्षेत्रो में प्रगति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा परिवहन में अधिक उन्नति हुई है। टैक्टरो की संख्या मे वृद्धि 21 गुना तथा ग्रामीण औद्योगिक इकाईयो की संख्या में 455 गुना वृद्धि हुई है। बस अड्डों की संख्या मे लगभग 21 गुना तथा दैनिक यात्रियों की संख्या में लगभग $15\frac{2}{3}$ गुना वृद्धि हुई है।

अध्याय 2

नीति एवं कार्यक्रम

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तो के अन्तर्गत् संविधान की 45वीं धारा स्पष्ट रूप से घोषित करती है :-

"संविधान अधिग्रहण के 10 वर्षों में राज्य 14 वर्ष की आयु सीमा तक के सभी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा।"

अतः –

– राज्य (तत्कालीन पंजाब) द्वारा उपरोक्त वचनबद्धता को वर्ष 1960 तक पूरा कर देना चाहिए था।

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 इस वचनबद्धता को 1995 तक पूरा करने का संकल्प दोहराती है।

– मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र पर हमारे देश ने भी हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा पत्र प्रत्येक मानव के शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को स्वीकार करता है। इस घोषणा पत्र की 26वीं धारा के अनुसार –

"प्रत्येक मानव को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षा स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी ----"

उपरोक्त कथन के सन्दर्भ में प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारहै। बालक के इस अधिकार की रक्षा करना आवश्यक है।

हरियाणा राज्य ने इस अधिकार की रक्षा हेतु निम्न कदम उठाये हैं :-

सार्वभौमिक नामांकन –

– प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों द्वारा विद्यालयों के आसपास के क्षेत्रो

तथा गांवों में जाकर घर-घर सम्पर्क किया जाता है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में दाखिले व हर वर्ग के छात्र/छात्राओं को विद्यालय में भेजने हेतु माता-पिता/अभिभावको को प्रेरित किया जाता है। इस कदम के माध्यम से हरियाणा में लगभग सभी बालको को वर्ष 1991-92 में प्रवेश दिया जा चुका है तथा लगभग 90% छात्राओं का नामांकन भी किया जा चुका है।

1— सार्वभौमिक प्रतिधारण :-

- जिन छात्र/छात्राओं का विद्यालय में नामांकन हो जाता है उनको विद्यालय में रोके रखना शिक्षको की जिम्मेदारी है। शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि छात्र/छात्रा विद्यालय आना बद न कर दें। छात्र/छात्राओ की अनुपस्थिति की परिस्थिति में शिक्षक माता-पिता/अभिभावको से सम्पर्क कर पुनः उनको विद्यालय मे लाने का प्रयास करते रहते है।

  अतः सार्वभौमिक नामांकन एवं प्रतिधारण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये हैं :-
- 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु अनुसूचित, पिछड़े, कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्गों की बालिकाओ को विद्यालय में नामांकन कराने तथा उनके प्रतिधारण हेतु विशेष प्रोत्साहन सुविधाएँ प्रदान करना।
- अशक्त/अपंग छात्र/छात्राओं हेतु विशिष्ट सहायता योजना द्वारा उनको हर सम्भव सुविधा प्रदान करना/कराना।
- अल्प संख्यकों की शिक्षा हेतु गुड़गांव ज़िले के मेवात क्षेत्र में मेवात विकास मंडल की स्थापना तथा इसकी देखरेख में अतिरिक्त विद्यालयो को खोलना।
- विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना।

2— सेवाकालीन शिक्षक/शिक्षिकाओं हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन :-

हरियाणा में शिक्षा विभाग एस.सी.आर.टी तथा ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षको की शिक्षण क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए तथा शिक्षा क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से परिचय कराने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है —

- विषय वस्तु से संबंधित प्रशिक्षण। (भाषा, गणित, परिवेश अध्ययन से संबंधित)
- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत् मिलने वाली सामग्री के प्रयोग हेतु प्रशिक्षण।
- राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु प्रशिक्षण।

- कला शिक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण। (खिलौना प्रतियोगिता, पेन्टिंग प्रतियोगिता के माध्यम से)
- सुलेख सम्बन्धी प्रशिक्षण।
- संसदीय प्रणाली से परिचय सम्बन्धी प्रशिक्षण। (युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से)
- विद्यालयों के मुखियों हेतु प्रशिक्षण।
- अशक्त/अपंग, बालक/बालिकाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण।
- परामर्श एवं सदर्शन देने वाले अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण।
- पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा देने हेतु प्रशिक्षण।

3— प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठनः-

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर गुणवत्ता लाने के लिए तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत् प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का सैकण्डरी शिक्षा निदेशालय से अलग गठन किया गया है। इसी श्रृंखला में ज़िला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एव विद्यालय स्तर पर हैडटीचर नियुक्त किए गए हैं।

4— अन्य सराहनीय पग —

- डी.आर.डी.ए. की स्थापना।
- स्वयं सेवी संगठनों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन।
- महिलाओं हेतु स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त।
- वरीयता के आधार पर नये व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को खोलना।

नीति एवं कार्यक्रम — विस्तृत विवरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप हरियाणा में नारी शिक्षा के सदर्भ में अनेक सराहनीय कदम उठाए गए हैं। शिक्षा के सार्वभौमीकरण को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए केवल बालिका शिक्षा ही सशक्त और समर्थ माध्यम है। अतः कन्याओं और वंचित वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत् गुणवत्ता के आधार पर राष्ट्र की प्रगति में सहायक तो होते ही है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी के विकास और जीवन मूल्यों के अनुकरण मे भी सहायक होते हैं। भविष्य में महिला

साक्षरता तो बढ़ेगी साथ-साथ महिला-पुरुष समानता और महिला वर्ग का सशक्तिकरण (पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक) एवं प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होगी।

साक्षरता दर :-

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 63.86 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 39.42 प्रतिशत हैं। जबकि हरियाणा में पुरुषों की साक्षारता दर 55.97 एवं महिलाओं की साक्षरता दर 33.62 प्रतिशत है हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की साक्षरता दर 51.77 प्रतिशत है तथा महिलाओ का साक्षरता दर 27.09 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्र मे यही दर क्रमशः 68.65 प्रतिशत तथा 53.51 प्रतिशत है। यदि हम उपर्युक्त आँकड़ो पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से मात्र 15 प्रतिशत कम है जबकि ग्रामीण क्षेत्र मे यह अन्तराल 24.68 प्रतिशत है। सामान्य रूप से जिन ज़िलो मे साक्षरता दर कम है, उन ज़िलों में पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता में अन्तराल बहुत अधिक है। हरियाणा में कैथल, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी, जीद, हिसार, सिरसा सात जिले ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर 30 प्रतिशत से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाओं की साक्षरता दर निम्न प्रक्रार है :-

10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत

कैथल	19.04 प्रतिशत
फरीदाबाद	15.01 प्रतिशत

20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत

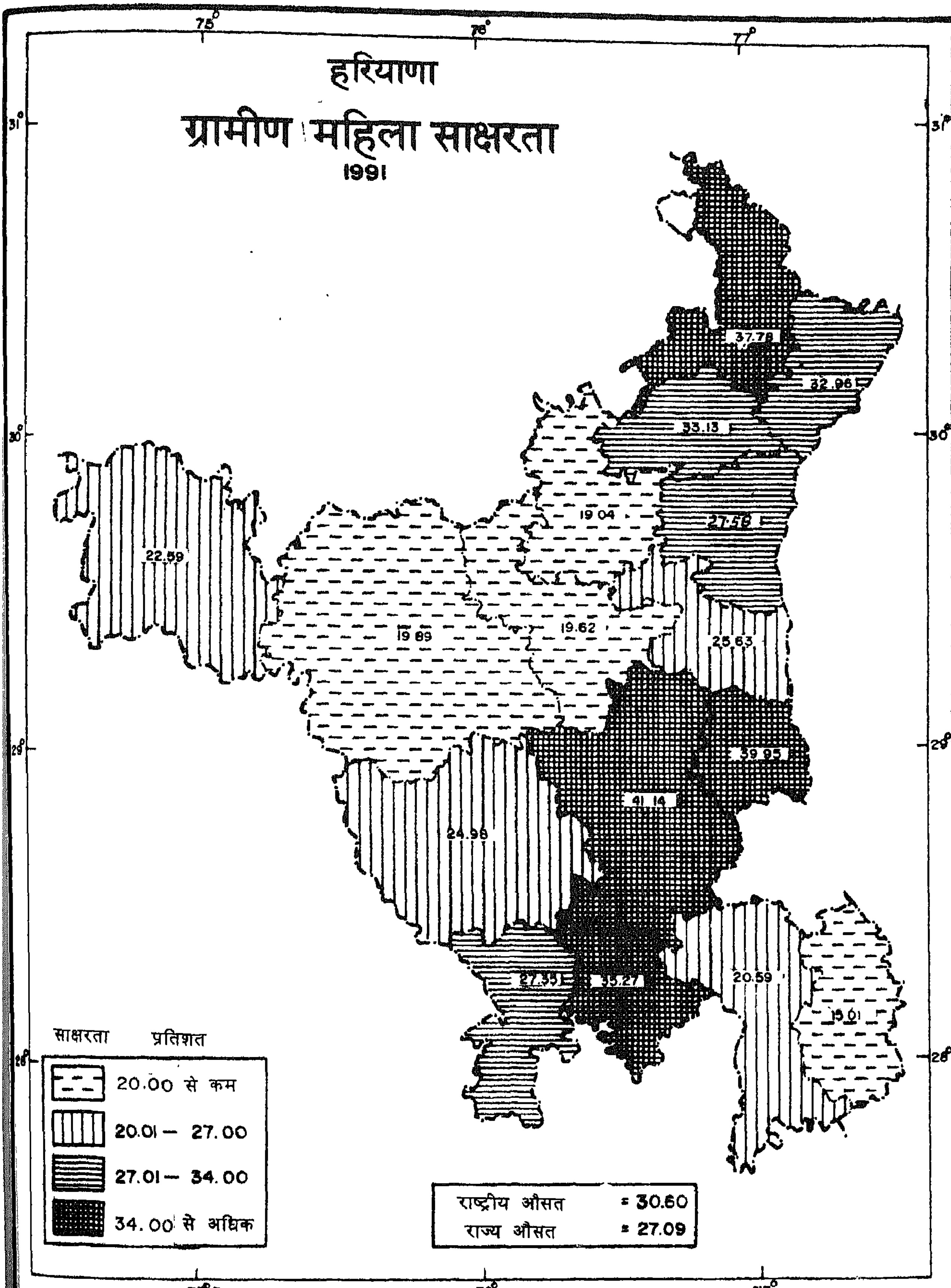
पानीपत	25.63 प्रतिशत
गुड़गांव	20.59 प्रतिशत
महेन्द्रगढ़	27.35 प्रतिशत
भिवानी	24.98 प्रतिशत
जींद	19.62 प्रतिशत
हिसार	19.89 प्रतिशत
सिरसा	22.59 प्रतिशत
करनाल	27.58 प्रतिशत

30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत

अम्बाला	37.78 प्रतिशत
यमुनानगर	32.96 प्रतिशत
कुरुक्षेत्र	33.27 प्रतिशत
रिवाड़ी	35.27 प्रतिशत

40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत

सोनीपत	39.95 प्रतिशत
रोहतक	41.14 प्रतिशत

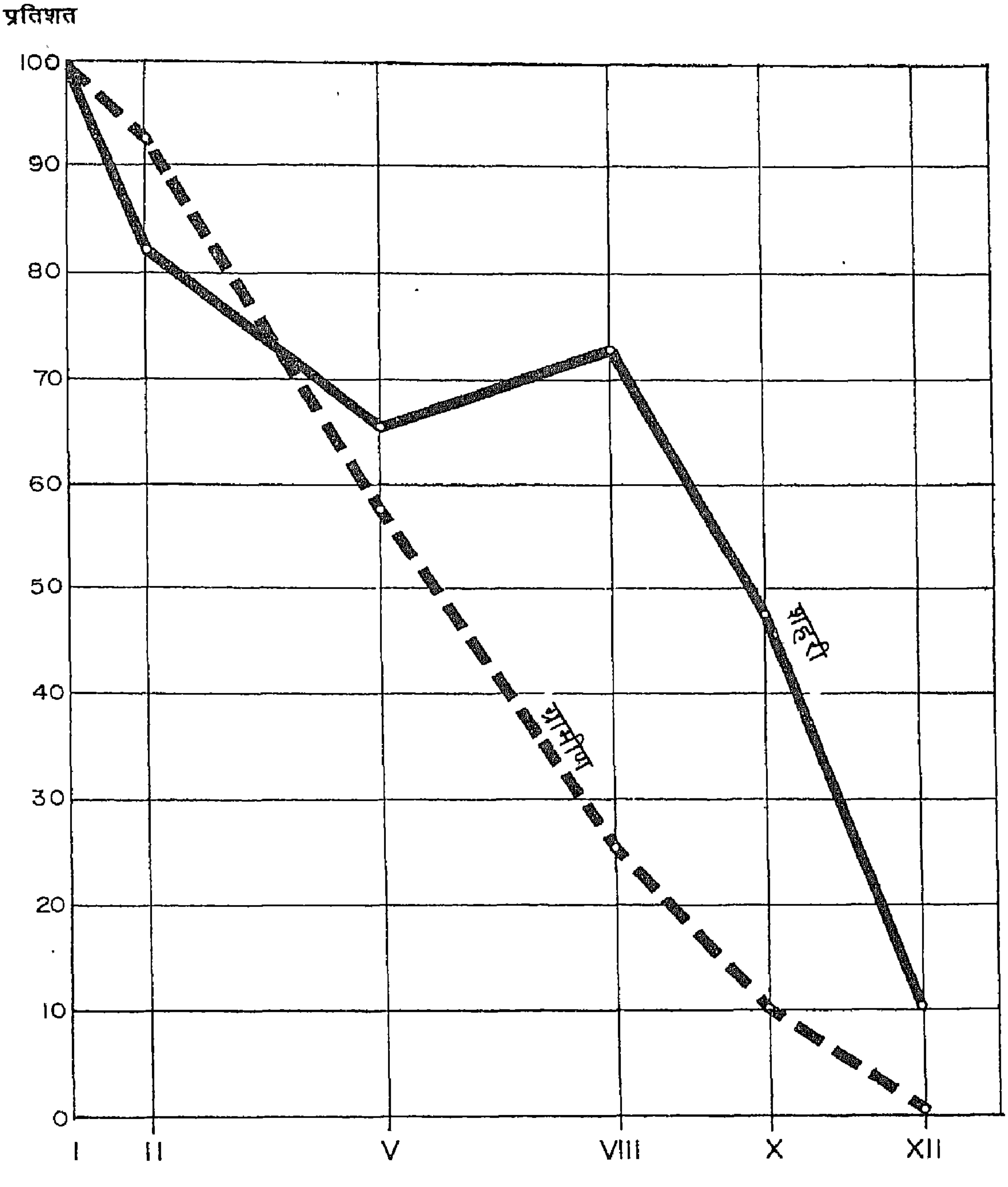

हरियाणा
ग्रामीण महिला साक्षरता
1991
37.78
32.96
33.13
19.04
27.58
22.59
19.89
19.62
25.63
39.95
41.14
24.98
27.55
35.27
20.59
15.01
साक्षरता प्रतिशत
20.00 से कम
20.01 – 27.00
27.01 – 34.00
34.00 से अधिक
राष्ट्रीय औसत = 30.60
राज्य औसत = 27.09
75°E
76°
77°
31°
30°
29°
28°

आकृति 10

हरियाणा

कक्षा एक की कुल नामांकित छात्राओं से आगे की कक्षाओं में छात्रा प्रतिशत

1986-87



आकृति 11

इस सारणी से यह स्पष्ट है कि हरियाणा में किसी भी ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर 41 प्रतिशत से अधिक नहीं है जोकि एक विचारणीय प्रश्न है।

वर्ष 1991-92 मे हरियाणा में बालक/बालिकाओं का स्कूलो में प्रवेश सबंधी एक अभियान चलाया गया जिसके अनुसार हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हरियाणा में लगभग 100 प्रतिशत बालक और लगभग 90 प्रतिशत बालिकाएँ प्रवेश पा चुके हैं। अतः वर्तमान में हरियाणा में प्राथमिक विद्यालयो की कमी होना स्वाभाविक है और इसके लिए अध्यापक/अध्यापिकाओं की भी आवश्यकता है। वर्तमान मे लगभग 2000 (दो हज़ार) पद रिक्त हैं परन्तु यह भी देखा गया है कि शहरी क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापको की संख्या आवश्यकता से अधिक हैं और देहाती क्षेत्र मे कम। इसी संदर्भ में एक बात और देखने को मिली है कि अधिकांश महिला शिक्षिकाएं शहरी विद्यालयों में कार्यरत हैं और गांव के विद्यालयों मे महिला शिक्षिकाओं की संख्या कम है। अतः ऐसी स्थिति मे जिन छात्र/छात्राओं का नामांकन विद्यालयों में हो चुका है, उन सभी छात्र/छात्राओ को प्रतिधारित करना भी अनिवार्य है और यह तभी सम्भव है जब विद्यालय संबधी सभी आवश्यक तत्वों एवं सुविधाओं को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में पूरा करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत् राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सौजन्य से इस ओर प्रयत्नशील है और प्रयास जारी भी हैं। परन्तु फिर भी इस सम्पूर्ण प्रयास को त्वरित करने की आवश्यकता है।

ड्रॉप-आऊट रेट

1987-88 में कक्षा 1—5 तक लड़कियों का ड्रापआउट रेट 32% था। जब कि लड़कों के लिए यह केवल 24% था। यद्यपि वर्ष 1992 के ड्राप आउट रेट के आकड़े उपलब्ध नहीं है परन्तु स्थिति में संतोषजनक सुधार दृष्टिगत नहीं होता। वर्ष 1986 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र मे लड़कियों की संख्या यदि प्रथम कक्षा में 100 थी तो कक्षा 5 मे 58, तथा 8 में 27, 10 में 10 और 12 वीं मे 0.29 पाई गई जबकि शहरी क्षेत्र में यह आकड़े क्रमशः 65, 73, 48 और 10 थे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में नारी शिक्षा के सम्बन्ध में कार्यनीति के निम्नलिखित बिन्दु उभरते हैं :-

— महिलाओं की अंतःक्षेप सकारात्मक भूमिका को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र को त्वरित करने की आवश्यकता है।

- सभी क्षेत्रो मे नारियो की स्थिति को सुधारने तथा उनके स्तर को उन्नत करने हेतु शिक्षा संस्थानों के माध्यम से एक सक्रिय कार्यक्रम अपनाना।
- लिंग पर आधारित मान्यताओं से संबंधित बाधाओ को तोड़कर महिलाओं की शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा तक पहुँच के लिए सुविधाए उपलब्ध करवाना।
- वर्तमान मे महिलाओं की स्थिति से संबधित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन पर काबू पाने हेतु एक गतिशील प्रबन्ध की व्यवस्था करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा सरकार ने इस ओर निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1— हरियाणा सरकार ने विद्यालयी सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत् प्राथमिक शिक्षा का निदेशालय का गठन सैकण्डरी शिक्षा निदेशालय से अलग किया है, जिससे प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर की ओर पूर्ण ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इस कड़ी में ज़िला स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों में सर्वप्रथम प्राथमिक ज़िला शिक्षा अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं। विद्यालय सुधार कार्यक्रम के तहत सभी ज़िलों मे प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रथम प्रयास से दो, दो राजकीय प्राथमिक विद्यालयो को अपनाने का निर्णय लिया हैं। इस योजना के अन्तर्गत् वर्ष 92-93 में 280 विद्यालय तथा चालू पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 96-97 तक कुल मिलाकर 700 राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

2— केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना (आपरेशन ब्लैक बोर्ड) के अन्तर्गत् हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से (Rural development department) जो कि जवाहर रोज़गार योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, की सहायता से वर्ष 90-91मे 878 अतिरिक्त कमरें तथा 75 शौचालयो का निर्माण कराया गया और 941 अन्य कमरे तथा 65 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

इसके अतिरिक्त 488 राजकीय प्राथमिक विद्यालयो के लिए ऐसे भवनों का निर्माण किया गया जिसमें प्रत्येक में दो कमरे एक बरामदा तथा शौचालय की व्यवस्था की गई। इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार से नवीं वित्त कमीशन की सिफारिश के आधार पर 4.88 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में प्राप्त हुई। बनाए गए भवनों का जिला अनुसार वितरण इस प्रकार है :-

तालिका – 8

राज्य में बनाये गये भवनों का जनपदवार विवरण, 1990 - 91

क्रमांक	*ज़िला*	*बनाए गए भवनो की संख्या*
1.	अम्बाला	39
2.	यमुनानगर	13
3.	करनाल	37
4.	पानीपत	37
5.	रोहतक	53
6.	हिसार	42 + 4 अतिरिक्त कक्ष
7.	सिरसा	36
8.	जींद	27 + 2 अतिरिक्त कक्ष
9.	सोनीपत	28
10.	महेन्द्रगढ़	27
11.	फरीदाबाद	29
12.	भिवानी	51
13.	कैथल	6
14.	रिवाड़ी	10
15.	कुरुक्षेत्र	51
16.	गुड़गांव	39

3– हरियाणा राज्य में स्कूली छात्राओं को दी जानेवाली सुविधाएँ :-

1– राजकीय विद्यालयो तथा स्नातक कक्षाओ मे शिक्षा ग्रहण कर रही सभी छात्राओ की ट्यूशन फीस पूर्ण माफ।

2– अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए मुफ्तवर्दी/दुप्पटा।

3– हरिजन/कमज़ोर वर्ग की छात्राओ के लिए उपस्थिति पुरस्कार (ऑपरचुनिटी कॉस्ट (एव स्टाईपैण्ड 15 रूपये एवं 20 रुपये)

4– हरिजन/कमजोर वर्ग की छात्राओ के लिए स्टेशनरी इत्यादि मुफ्त देना।

5– अनुसूचित जाति की छात्रा को जो कि 9वीं तथा 10वी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रही है, को तीन महीने के लिए विशेष कोचिग।

6– 9वीं कक्षा तथा 10वी कक्षा मे पढ रही व पढाई में कमजोर सभी छात्राओ को गणित, सांईस, इगलिश विषयों का तीन महीने के लिए विशेष कोचिंग।

7– योग्यता के आधार पर हरिजन छात्राओं को 30 रु. प्रतिमास छात्रवृत्तियाँ।

8– घुमन्तु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन प्रति बच्चे के हिसाब से एक रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया है।

9– कक्षा 12 की हरिजन छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त प्रदान करना।

4– बुक-बैंक की स्थापना :-

अधिकाश विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की गई है। इन बैको से गरीब तथा पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग की छात्र/छात्राओं को पाठ्य पुस्तकें पूरे सत्र के लिए अध्ययन हेतु दी जाती हैं। सत्र पूरा होने पर ये पुस्तकें पुनः बुक बैंक मे जमा करवा दी जाती है जिससे आगे आने वाले अन्य छात्र/छात्राएँ इस सुविधा से लाभान्वित हो सके।

5– अनौपचारिक शिक्षा :-

यद्यपि हरियाणा सरकार द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को बन्द कर दिया है परन्तु अनौपचारिक रूप से इस प्रकार के केन्द्र हरियाणा सरकार के निर्देशन में तथा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कार्यरत हैं। मुख्यतः कॉमर्स चैम्बर द्वारा स्थापित पी.एच.डी. प्रोग्राम के अन्तर्गत् गुड़गांव ज़िले में कार्यरत केन्द्र, विभिन्न ज़िलों मे ज्ञान-विज्ञान समिति द्वारा अपनाए गए साक्षरता संबधी अभियान, फरीदाबाद जैसे नगर में औद्योगिक इकाइयों का संचालन साक्षरता एवं जन जागरण संबंधी कार्यक्रम, श्रमिक विद्यापीठ द्वारा पुरुष/महिला श्रमिको के लिए अपनाए गए विभिन्न व्यवसायी प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के माध्यम से साक्षरता दर मे वृद्धि के लिए प्रयासरत हैं।

6– राज्य मे महिलाओं के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित राजकीय एजेन्सियाँ कार्यरत हैं:-

1– डी.आर.डी.ए. :-

इस एजेन्सी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को साक्षर करना तथा इनकी आमदनी के स्त्रोतों मे अभिवृद्धि करना है। इस सस्था के माध्यम से 2500 ग्रामीण महिलाएँ कार्य में संलग्न हैं। इस क्षेत्र मे 33 ग्राम सेविकाएँ कार्य कर रही हैं तथा कुल रिक्त पद 50 हैं।

2— मेवात विकास प्राधिकरण :-

गुड़गांव ज़िले के अल्प संख्यक क्षेत्र मेवात मे जनवरी 1980 में मेवात विकास मण्डल का गठन किया गया। इस मण्डल द्वारा शत प्रतिशत प्रवेश योजना के अन्तर्गत् उन ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाता है जिसमें 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के अधिकतम बच्चो को दाखिला दिलवाया गया हो। प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार 7500/- रुपये तथा तृतीय पुरस्कार 5000/- रुपये है। राशि के नकद पुरस्कार प्रति विकास खण्ड को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते है तथा इसका उपयोग विद्यालयों के कल्याण के लिए ही किया जाता है। वर्ष 85-86 से इस योजना के अन्तर्गत् पुरस्कार देने में उन विद्यालयो को प्राथमिकता दी गयी है जिसमें 6-11 वर्ष के आयु के बच्चों में लड़कियो को दाखिला दिलाने में प्राथमिकता दिखलाई हो और बच्चो की निरंतर उपस्थिति एवं अच्छे परीक्षा परिणाम तथा स्कूल की भलाई के लिए किए गए अन्य कार्य जैसे पेड़-पौधे लगाना व प्रांगण की सफाई आदि में विशेष योगदान दिया हो। किसी कार्य में विशेष योगदान देने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार तथा प्रशंसा-पत्र भी दिए जाते हैं।

— मेवात क्षेत्र के गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 100/- रुपये से 300/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृति प्रदान करने का प्रबन्ध भी इस मण्डल द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी कक्षा या कोर्स में प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण छात्र/छात्राओ को 500/- रुपये से 1000/- रुपये तक प्रोत्साहन राशि, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए दी जाती हैं। इसी क्षेत्र के औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने वाले गरीब छात्रो को प्रतिमाह 45/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृति दी जाती है। इसी क्षेत्र से संबंधित इसी विषय पर अनुसधान के लिए फ़ैलोशिप की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़गार युवको को रोज़गार प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए तैयारी एवं परामर्श हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गए हैं। इनमे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक युवक को 50/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृति एवं कोचिंग सामग्री प्रदान की जाती है। यह प्रशिक्षण निःशुल्क है।

— मेवात क्षेत्र में वंचित वर्ग की छात्र-छात्राओं के उचित विकास के लिए मेवात मॉडल स्कूल सोसाइटी द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस मण्डल द्वारा स्कूलो के भवन निर्माण एवं आर्थिक सहायता का दायित्व संभाला जाता है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर इन स्कूलों की स्थापना का प्रावधान है। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की सुविधा हेतु उनको लाने व ले जाने के लिए एक एक बस भी उपलब्ध करायी गई है।

— उच्च शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तावडू में मेवात विकास प्राधिकरण (अभिकरण) के प्रयासों के फलस्वरूप राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। स्कूल जाने वाली मेवाती छात्राओ को प्रोत्साहन राशि एवं वर्दी की व्यवस्था भी की गई है। यह सहायता गरीबी-रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के छात्राओं को उसी प्रकार दी जाती है जैसे हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की छात्राओं को प्रदान करती है। इस प्रकार मेवात विकास मण्डल में शिक्षा प्रसार हेतु महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जिससे इस क्षेत्र से अशिक्षा को जड़मूल निकाल कर फैंका जा सके।

हरियाणा में शिक्षा का विकास : एक अवलोकन :-

— हरियाणा में प्रति एक किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय, 2.06 किलोमीटर की परिधि में माध्यमिक विद्यालय तथा 2.50 किलोमीटर की परिधि में उच्च विद्यालय हैं।

— 1966 में इस प्रदेश में केवल 45 महाविद्यालय थे जिनकी संख्या बढ़कर अब 135 हो गई है।

— इस समय राज्य में 2356 उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं।

— हरियाणा में 9 स्थानों पर नवोदय विद्यालय है जो झज्जर तथा बुटाना (रोहत), खुगाकोठी (जींद), पावड़ा (हिसार), ओटा (सिरसा), छायसा (फरीदाबाद), कनीना (महेन्द्रगढ़), देवराला (भिवानी), तिवरम (कुरुक्षेत्र) में है।

— राई मे ज़िला सोनीपत मे मोती लाल नेहरू खेल विद्यालय है जहाँ खिलाड़ी छात्र/छात्राओ पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

— हरियाणा में 3 विश्वविद्यालय हैं। महार्षि दयानन्द विश्वविद्यालय (रोहतक), कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (कुरुक्षेत्र), कृषि विश्वविद्यालय (हिसार) जो उच्च स्तर पर छात्र/छात्राओ को विभिन्न वर्गों से संबंधित शास्त्रिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा तथा व्यवसायी शिक्षा प्रदान करते हैं। स्नातक स्तर तक ही शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है।

— करनाल ज़िले में नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीटयूट है जहाँ योग्य छात्र/छात्राओं को डेरी से सबधित पाठ्यक्रम, इन्जिनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण से संबधित डिग्री/डिप्लोमा की शिक्षा प्रदान की जाती है। चिकित्सा तथा इन्जिनियरिंग की शिक्षा हेतु रोहतक में कुरुक्षेत्र, भिवानी, फरीदाबाद तथा मुरथल में इन्जिनियरिंग की शिक्षा हेतु व्यवस्था है।

— हरियाणा में 16 पॉलिटैक्निक, 69 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा 65 वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं जो विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

विश्लेषण :-

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि हरियाणा राज्य मे प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार ने अनेक सराहनीय कदम उठाये हैं परन्तु शत-प्रतिशत साक्षरता का उद्देश्य भी हम अभी तक प्राप्त नही कर पाए हैं। अतः हमें अपनी नीतियों तथा उनके तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का विश्लेषण करना चाहिए तथा इन कारणों का पता लगा कर वाँछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपचारात्मक कदम उठाने चाहिएं।

इस सम्बन्ध मे निम्न विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सकता है।

शिक्षा की माँग में कमी का दृष्टिकोण :-

— गरीब परिवार, वचित वर्ग तथा अल्पसख्यक वर्ग में आम धारणा है कि शिक्षा जब उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं करती तब इसको प्राप्त करने का क्या अर्थ रह जाता है। इनका ऐसा मत निम्न वास्तविकताओ पर आधारित है :-
    - अशिक्षा के कारण शिक्षा के महत्व से अनिभिज्ञ हैं।
    - शिक्षा इनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सीधे तौर पर सहायक नहीं है।
    - इन परिवारों से बालिकाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने माता-पिता की आयोपार्जन में सहायता करती हैं। अतः इन बालिकाओं के लिए औपचारिक विद्यालयों का समय उपयुक्त नहीं है।
    - इन परिवारो में लड़कियो की शिक्षा को लेकर असंगत धारणायें पनप चुकी हैं। अतः वे इनको विद्यालय मे भेजना पसद नहीं करते।

अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त वास्तविकताए यह सुनिश्चित करती है कि इन वर्गों के लोगो के लिए शिक्षा की माँग ही नहीं है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक ससाधनों की आपूर्ति में कमी :-

यदि यह मान लिया जाए कि 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु सीमा तक के सभी बालक/बालिकाओं का नामांकन करा दिया जाएगा तथा इन्हें विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने हेतु रोके रखा जायेगा (प्रतिधारण हेतु) तब क्या हम —

— उने लिए शिक्षा प्रक्रिया में आवश्यक सभी वांछित ससाधन जुटा पायेंगे? — नहीं।

— पिछड़े क्षेत्र तथा देहाती क्षेत्रों मे महिला शिक्षकों के अभाव को दूर कर सकेंगे? — नहीं।

- छात्र/छात्राओं को व्यवहारिक रूप से विद्यालय एक किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध करा पाये हैं? – नहीं।
- विद्यालयों के वातावरण को छात्र/छात्रओं की रुचि के अनुसार बना पाने में सफल रहे हैं?– नही।
- अपने सभी शिक्षकों में छात्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने (रैपट) की भावना को विकसित कर पाये हैं? – नहीं।

इस प्रकार के अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनका शिक्षा प्रक्रिया से सीधा संबंध है। और इन प्रश्नों का हल हम आज तक नहीं ढूढ पाये हैं इसका सीधा सा यह अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र मे आपूर्ति की भी कमी है। अतः माँग तथा आपूर्ति का सिद्धान्त असंतुलित होने के कारण सार्वभौमिक प्रतिधारण एवं उपलब्धि तथा शिक्षा के सार्वभौमिक नामांकन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

इस सम्बन्ध मे यदि यह कहा जाए कि यह उद्देश्य आगामी कुछ वर्षों में पूरा हो सकेगा, मात्र एक स्वप्न है। परन्तु इस ओर आशा और विश्वास के साथ बढ़ना होगा और एक अच्छे भविष्य की कामना लेकर निश्चयात्मक कदम उठाने होंगे :-

- औपचारिक शिक्षा के माध्यम से "सबको शिक्षा" का उद्देश्य पूरा होना दीर्घकालिक निराकरण है। क्योंकि न हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही सुविधाएँ जुटाने हेतु धन है। अतः वैकल्पिक निराकरण आवश्यक है और यह वैकल्पिक साधन केवल अनौपचारिक शिक्षा है।
- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो पर जो शिक्षक रखे जाएँ उनके लिए कन्डीसंड कोर्स की व्यवस्था की जाए।
- डिसटेंस एज्युकेशन को प्राथमिकता दी जाये, शिक्षकों के अभाव में यह अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है।
- प्रत्येक गाँव में या मण्डल स्तर पर संदर्शन एवं परामर्श इकाईयों की स्थापना की जाए।
- विलेज एजूकेशन कमेटी की स्थापना हर गाँव में की जाये तथा इसको लड़कियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाए।
- मोबाइल स्कूल की स्थापना की जाये, जो लड़कियों/वंचित वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए, उनके समयानुसार उन तक पहुँच कर शिक्षा प्रदान कर सकें।
- वंचित वर्ग के बच्चों व लड़कियों के लिए, गरीब तथा विकलाग छात्र/छात्राओं के लिए *"मेरिट कम मीन्स'* के आधार पर छात्रवृति योजना स्वीकार की जाये तथा हरियाणा में मिलने वाली समस्त सुविधाओं व प्रोत्साहन पुरस्कारो की राशि को बढ़ाया जाये जिससे कामकाजी बच्चों की इस रूप में अधिक से अधिक सहायता की जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सुझाव भी हो सकते है।

अध्याय 3

महिला एवं बालिका शिक्षा

सन् 1966 से आज तक हरियाणा ने हर क्षेत्र मे साधन जुटाने में प्रगति की है। राज्य ने अपनी रजत जयन्ती भी पिछले वर्ष बड़ी ही धूमधाम से मनाई। 25 वर्षों में यह राज्य एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत के मानचित्र पर उभर कर आया है। सभी क्षेत्रो मे सख्यात्मक तथा गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निरन्तर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित भी करती है लेकिन लक्ष्यों की कभी भी सीमा नहीं होती। जहाँ भी लक्ष्य की सीमा बाँधी, वहीं प्रगति रुकी। लक्ष्य का आगे से आं. बढ़ना ही सभी का उद्देश्य होना चाहिए और होता भी है। समय गतिशील है और उसके साथ साथ हमारे प्रयत्न भी गतिशील है लेकिन एक ओर जब हम हरियाणा राज्य के बहुमुखी विकास की बात करते है और उसकी प्रगति से प्रेरणा प्राप्त करते हैं यहीं हमें दूसरी ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर नज़र डालें तो हमें बड़ा ही दुःख होता है और वह क्षेत्र है महिलाओं का।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं के लिए समानता तथा सामाजिक न्याय की बात की है, अपनी पहचान बनाने की बात की है। लेकिन प्रायः महिलाएँ जो कि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं क्या अपनी पहचान बना पाई हैं? यह एक वास्तव में बहुत ही गम्भीर एवं विचारणीय प्रश्न है। सबसे पहले तो हम कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करें :-

लिंग अनुपात :

दुनिया के अधिकतर देशों मे औरतें मर्दों से अधिक संख्या में हैं लेकिन हमारे देश में यह स्थिति काफी गम्भीर है।

1901 मे लिग अनुपात – 972/1000

1951 में लिंग अनुपात – 957/1000

1981 तक आते आते यह अनुपात 933/1000 रह गया।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 874 औरतें हैं। 19.1.93 की ट्रिब्यून के अनुसार यह अनुपात घट कर 865 हो गया है।

पंजाब मे 879, उत्तरप्रेदश में 885, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में 972 है। आश्चर्य तो यह है कि पिछले 80 वर्षों मे हालत सुधरने की अपेक्षा बिगड़ी है। आँकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में लिंग अनुपात बेहतर है। अगर केरल मे 1014/1000 लिंग अनुपात हो सकता है तो हरियाणा में क्यों नहीं। हरियाणा में 1000 पुरुषों के अनुपात मे 874 स्त्रियों की सख्या को देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि हरियाणा में ऐसी स्थिति क्यों?

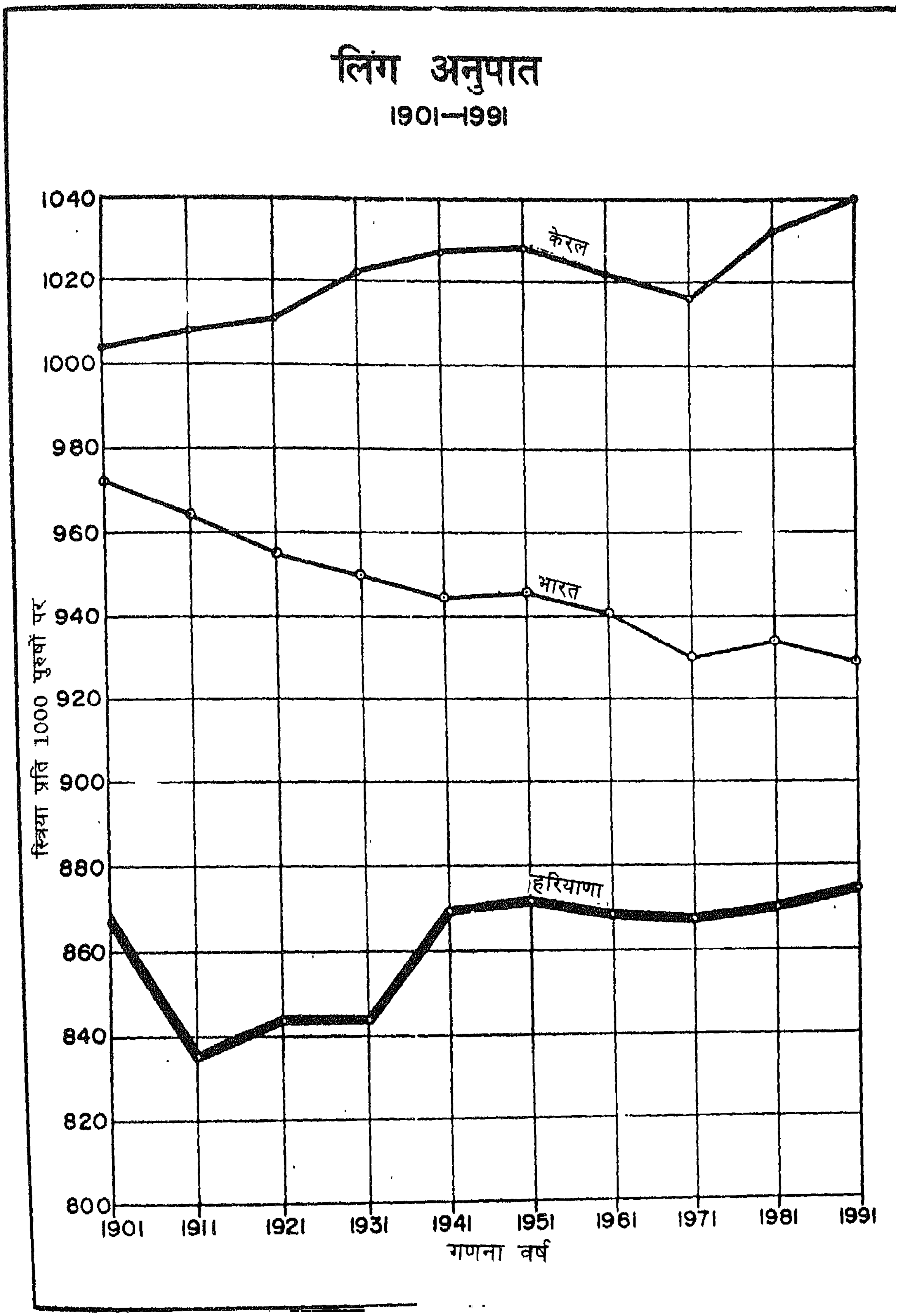
अधिकतर लोगो का यह कहना है कि स्त्रियो की कमी भगवान की ही देन है। यह धारणा गलत है। भगवान की देन मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना शोभा नहीं देता। वास्तव में यह सब कुछ हमारे समाज द्वारा रचा हुआ है जो कि हमारे लिए बदलना सम्भव है।

प्रजनन दर :

1981 के आँकड़ों के अनुसार हरियाणा की प्रजजन दर कुल 4.5, ग्रामीण क्षेत्रों की दर 4.9 तथा शहरी क्षेत्रों की 3.3 प्रतिशत है जो कि समूचे देश में दूसरे या तीसरे नम्बर पर है। हमारे देश मे वैसे तो लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है। परन्तु 1981 की जनगणना अनुसार शादी की औसत आयु शहरो में 17.8 और गाँवों में 16.5 वर्ष है। छोटी-2 बच्चियाँ ही नन्ही दुल्हनें तथा नन्हीं माँए बन जाती हैं। नन्ही माताओं का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कार्यक्षमता घट जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हर एक प्रसव के बाद अनेक आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है, जीवन से हाथ धोने का भय रहता है। अतः प्रजनन दर के प्रभाव तथा छोटी उम्र में शादी के कारण औरतों की अधिक मृत्यु होती है जिसके कारण लिंग अनुपात में भी कमी आना स्वाभाविक है।

भारत में $2\frac{1}{4}$ करोड़ औरतें कम हैं। ऐसा क्यों?

वैसे तो कहते है कि प्रकृति ने मादा को अधिक मजबूत बनाया है। हमारे बड़े-बूढ़ों का तो यह कहना है कि लड़की का क्या है, यह तो रुखी सूखी खा कर भी पल जाती है क्योंकि इनमे अधिक संख्या में बीमारी का शिकार लड़के ही होते हैं। पैदा होने के छः महीने की आयु तक हमारे देश मे भी लड़के अधिक मरते हैं और यही प्रकृति का नियम भी है। पर हमारे यहाँ 6 महीने की आयु के बाद 35 साल की उम्र तक लड़कियाँ ज्यादा


लिंग अनुपात
1901—1991
1040
1020
1000
980
960
940
920
900
880
860
840
820
800
स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर
केरल
भारत
हरियाणा
1901
1911
1921
1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
गणना वर्ष

आकृति 12

मरती हैं। भारत में हर वर्ष 1.2 करोड़ लड़कियाँ पैदा होती हैं। उसमे से 25 प्रतिशत लड़कियाँ 15 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाती हैं। कहने को तो लड़कियों को लक्ष्मी तथा देवी कहा जाता है परन्तु हर साल भारत में 3 लाख लड़कियाँ लड़कों से अधिक मरती हैं। सच बात तो यह है कि लाखों लड़कियों से जीने का अधिकार छीन लिया जाता है जिसे हम देवी कहते हैं, उसकी ही अवहेलना करते हैं। उसके प्रति भेदभाव का रवैया अपनाते हैं। हरियाणा में शिशु मृत्यु दर लड़कों की 87 प्रतिशत तथा लड़कियो की 119 प्रतिशत है।

लड़कियाँ ही ज्यादा क्यों मरती हैं :-

इसके पीछे कई कारण हैं :-

नवजात बेटी की हत्या

यह तो हम जानते ही हैं कि लगभग सभी घरो में जब बेटा पैदा होता है तो थाल बजाते हैं,चारों ओर का वातावरण खुशी से भर जाता है। जच्चा को अच्छी खुराक दी जाती है, उसकी खूब खातिर होती है। लड़की पैदा होने पर जैसे सभी को साँप सूंघ जाता है। चारो ओर खामोशी छा जाती है। उसकी माँ को चारो ओर से उलाहने दिए जाते है, खाने पीने को भी कम दिया जाता है। अगर दो तीन लड़कियाँ लगातार पैदा हो गई तो उसे तलाक तक भी दे दिया जाता है या बच्ची की हत्या और उसका पति अगर सरकारी नौकर नही है, तो दूसरी शादी की सलाह लेने मे किसी तरह की हिचकिचाहट महसूस नहीं करता।

भ्रूण हत्या :-

आजकल शहर के तथा शहर के आसपास रहने वाले ग्रामीण लोग बेटियो के साथ दुश्मनी निभाने मे एक कदम और आगे है। एक ओर बेटी को कम खुराक, लापरवाही आदि कारण जन्म के बाद ही मार दिया जाता है, दूसरी ओर सैक्स डिटर्मिनेशन के द्वारा पैदा होने से पहले भी मार दिया जाता है। अर्थात् पता लगने पर कि गर्भ में बेटी है तो उसे खत्म करवा दिया जाता है। इस टैस्ट के गलत इस्तेमाल को रोकने के तरीकों पर विचार करने की जरुरत है।

बेटी को पौष्टिक भोजन कम :-

इतनी मौतें भ्रूण से या कन्या वध से नहीं होती जितनी मौतें बेटियों को कम, कुपोषित भोजन देने से होती हैं। बहुत से गाँव व शहरो में की गई जाँच पड़ताल से भी यही बात

सामने आई है कि अधिकतर परिवारों में अच्छी एवं पौष्टिक खुराक पुरुषों और पुत्रों को तथा बचा खाना बेटियों और स्त्रियों को मिलता है। कई बार ऐसा भी सोचा जाता है कि अच्छी खुराक देने पर बेटियाँ जल्दी बड़ी हो जायेगी, या फिर लोगों की नज़र में आयेंगी। अर्थात् कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि यह भेद-भाव वहीं हो जहाँ गरीबी है, खाते-पीते घरो मे भी ऐसा पाया गया है। ऐसा भी पाया गया है कि बेटियों को माँए स्तन पान भी कम कराती हैं। कुपोषित भोजन मिलते रहने के कारण वे कमजोर हो जाती हैं और कई बीमारियों का शिकार भी जल्दी हो जाती हैं क्योंकि उनमे बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो चुकी होती है।

कम उम्र में शादी :-

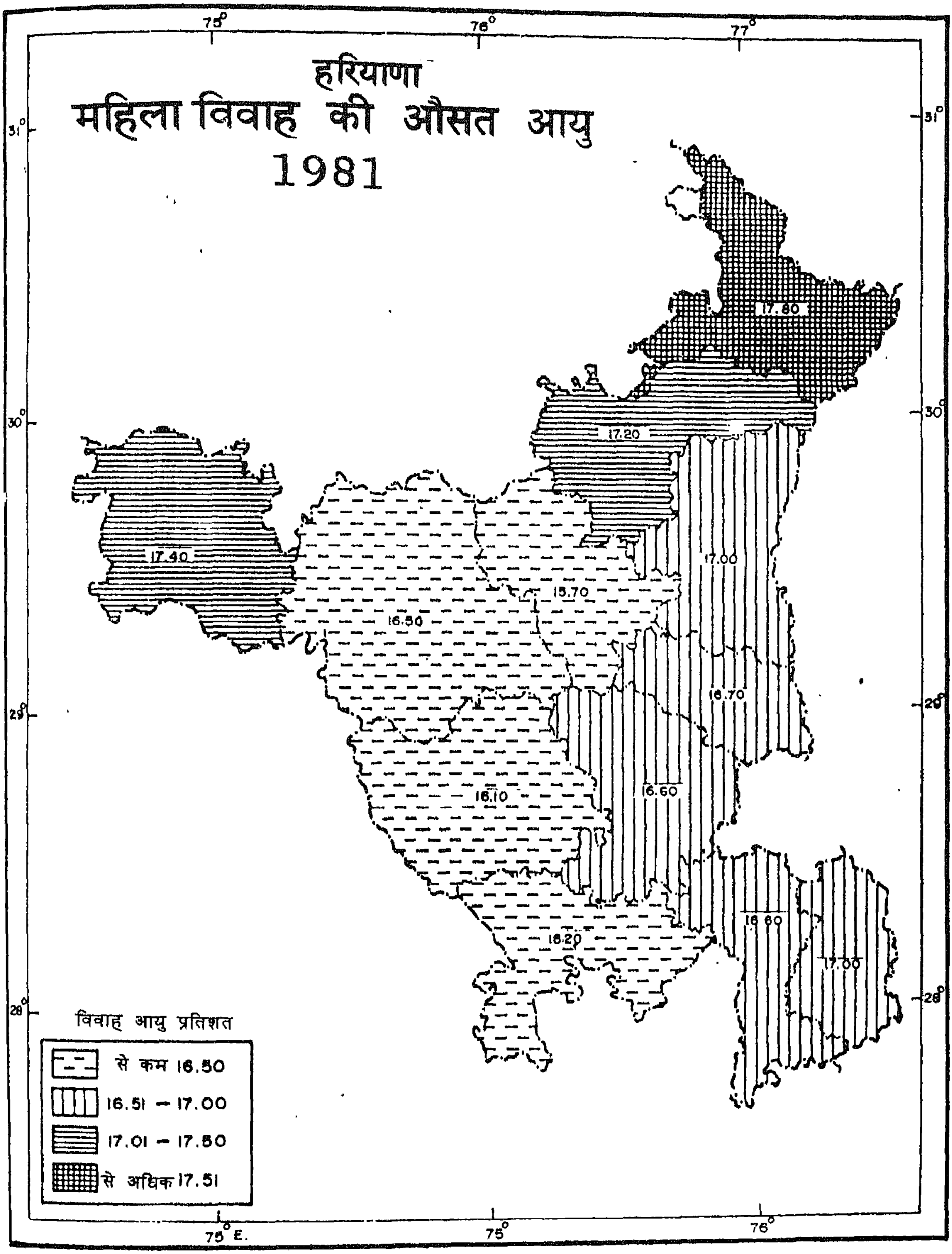
लड़कियो की मौत का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है। वह कुपोषित व कमजोर होने के कारण और प्रसव के दौरान पूरी खुराक न मिलने के कारण तथा खून की कमी जैसे अनियमित खतरो का शिकार हो जाती हैं। 24 वर्ष से कम आयु मे होने वाली मौतों में से 13 प्रतिशत मौतें प्रसव और बच्चे के जन्म के समय होती हैं। छोटी उम्र की माताओं के बच्चे भी अधिक मरते हैं।

लड़कियाँ बीमार ज्यादा - इलाज कम :-

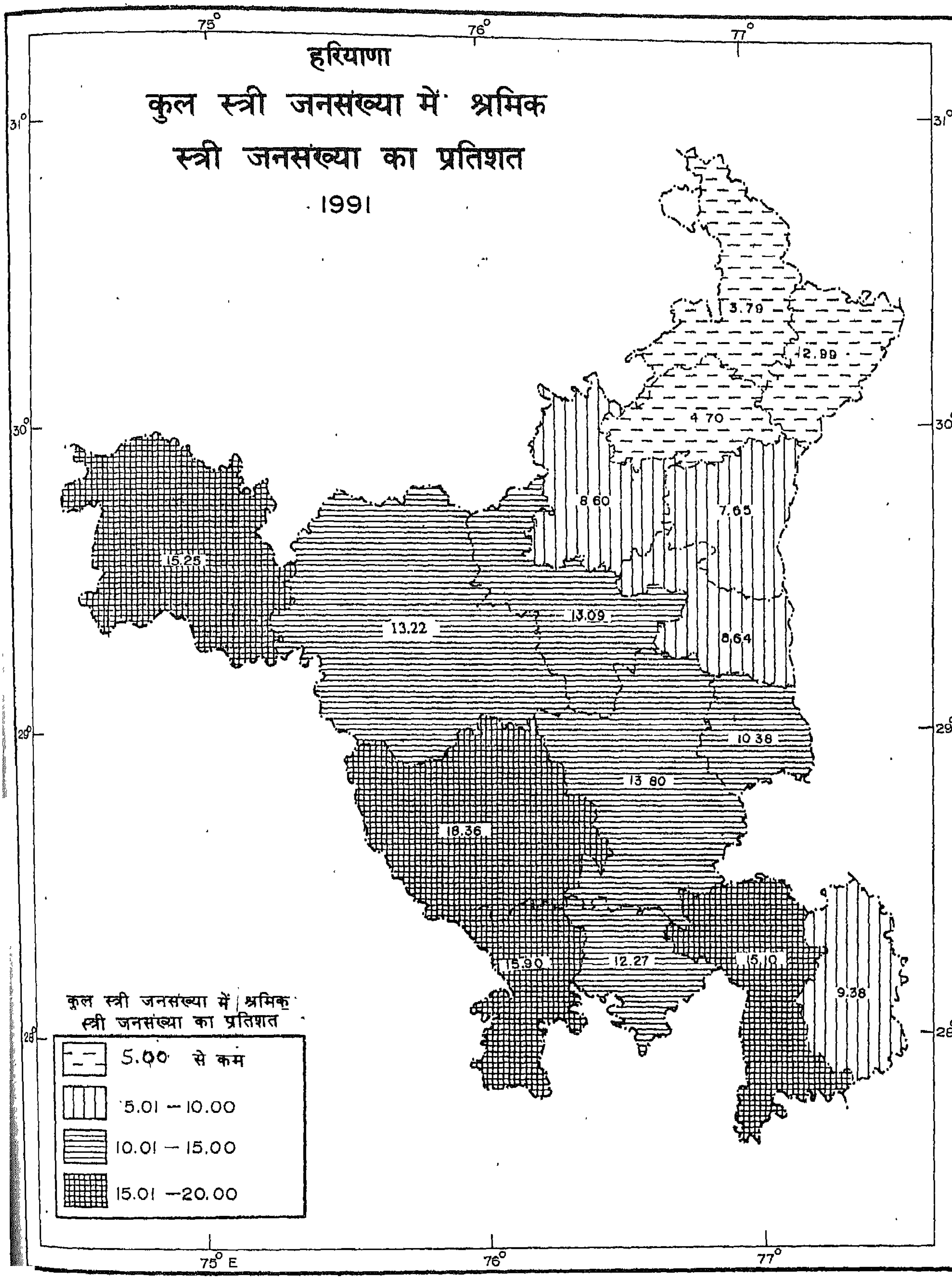
बेटियों के साथ अन्याय का अन्त नही है। अगर कमजोरी, कुपोषण और बीमारी ज्यादा होती है तो इलाज भी ज्यादा होना चाहिए। हस्पतालों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़की की देखभाल लड़के की तुलना में कम होती है। बेटियो को केवल आपातकालीन अवस्था में तथा बेटों के जरा से बीमार पढ़ने पर अस्पताल ले जाया जाता है। बेटियों के इलाज पर कम खर्च तथा बेटो के इलाज पर ज्यादा खर्च किया जाता है। ऐसी हालत में निश्चय ही बीमारी ज्यादा और इलाज कम होने से तो लड़कियो और औरतों की मृत्यु दर बढ़ेगी। यही कारण है कि लिग अनुपात कम हो रहा है।

लड़कियों का शोषण :-

लड़कियों को हमेशा पुरुषो द्वारा शोषण जैसे छेड़खानी तथा बलात्कार का खरता बना रहता है। उनका शोषण घर मे, कम उम्र में अधिक काम करके तथा घर से बाहर यौन के शोषण के कारण होता है। काम अधिक खुराक कम के कारण कमजोर और बीमार हो जाती हैं। जानते हुए भी उनके प्रति, उनकी बीमारी के प्रति अनजान बन जाते हैं। नही तो घर का काम कौन सम्भालेगा। आराम और इलाज की कमी के कारण भी उनकी मृत्यु जल्दी होती है।


हरियाणा
महिला विवाह की औसत आयु
1981
75°
76°
77°
31°
30°
29°
28°
17.80
17.20
17.40
17.00
15.70
16.50
16.70
16.60
16.10
16.60
16.20
17.00
विवाह आयु प्रतिशत
से कम 16.50
16.51 – 17.00
17.01 – 17.50
से अधिक 17.51
75° E.
75°
76°

आकृति 13



हरियाणा
कुल स्त्री जनसंख्या में श्रमिक स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत
1991
75°
76°
77°
31°
30°
29°
28°
75° E
3.79
2.99
4.70
8.60
7.65
8.64
15.25
13.22
13.09
10.38
13.80
18.36
15.90
12.27
15.10
9.38
कुल स्त्री जनसंख्या में श्रमिक स्त्री जनसंख्या का प्रतिशत
5.00 से कम
5.01 – 10.00
10.01 – 15.00
15.01 – 20.00

आकृति 14

निरक्षता सब से बड़ी शत्रु :-

जीवन में कुछ कर दिखाने व आगे बढ़ने की तथा अपने व्यक्तित्व को निखारने की प्रत्येक की लालसा होती है। इन सब चीजों के लिए शिक्षा जरूरी है। परन्तु आज़ादी के 44 वर्षों के पश्चात् भी अधिकतर लड़कियों को परम्परागत घरेलू शिक्षा के अलावा कोई अन्य शिक्षा नहीं मिलती है।

खाना कम, इलाज कम, काम ज्यादा, पैसे कम :-

देखने मे आया है कि ज्यो ही बच्ची हाथ पैर चलाने लायक होती है, त्यो ही वह नन्हीं बुजुर्ग बना दी जाती है। झाड़ू लगाना, छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, कुएँ से पानी लाना, दाल-रोटी पकाना, खेत पर काम करना, डंगर चराना, उन्हें चारा देना, पानी पिलाना आदि जैसे काम उसे दिन निकलने के तुरन्त बाद से रात तक करने पड़ते हैं। लड़कों से कोई भी काम नहीं करवाया जाता। उनका काम केवल खेलने का है। खाते पीते घरो में भी इस दशा मे ज्यादा सुधार नहीं है। घर में काम के साथ-साथ वह बाहर का काम भी करती हैं। माँ के साथ खेतों में, सड़क पर पत्थर कूटने, घरों में चल रहे छोटे मोटे धन्धो में भी वह व्यस्त रहती है। वह झाड़ू भी देती है, पतंग बनाती है, जिसे उसके भाई उड़ते हैं। कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसे मज़दूरी कम और मजदूरी कम के कारण सेहत खराब और सेहत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु की सम्भावना बढ़ जाती है।

शिक्षा की अनिवार्यता स्वीकार करने में हिचकिचाहट :- ऐसा क्यों?

— प्रायः परिवारों का ऐसा मत है कि लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं। उसका क्षेत्र केवल घर है और उनकी धारणा ऐसी है कि लड़की की पढ़ाई मे क्या रखा है, शादी ही तो करनी है। घर गृहस्थी चला ले, इतना ही बहुत है। इस रूढ़िवादिता को त्यागने के लिए उसके माता-पिता तैयार ही नहीं होते, यहाँ तक कि पढ़े लिखे मध्यमवर्ग के लोग भी लड़की को तब तक ही पढ़ाते हैं जब तक उसका कही रिश्ता नहीं हो जाता। क्योंकि ये शिक्षा की अनिवार्यता का महत्व नहीं समझते। अतः उसे पढ़ने का समय भी नहीं दिया जाता है।

— माता-पिता स्कूली शिक्षा को फायदेमन्द भी नहीं समझते। उनका कहना है कि ऐसी शिक्षा का उनके जीवन से बहुत कम संबंध होता है।

— गरीब लोग अपनी मजबूरी के कारण बालिकाओं को स्कूल नही भेजते। खर्च बचाने के लालच में वे शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकारने में हिचकिचाते हैं यद्यपि सरकार इस क्षतिपूर्ति के लिए कई प्रकार से प्रोत्साहन राशि देती है परन्तु माँ-बाप यह सोचते हैं कि कुछ न कुछ खर्च तो फिर भी बेटियों पर करना ही पड़ेगा।

— खेतीहर मजदूर लड़कियो को उनके भाई बहनों की देखभाल के लिए घर पर छोड़ देते हैं। माता-पिता तो मजदूरी करने चले जाते है। वे सोचते हैं कि अगर लड़की भी पढ़ने स्कूल चली जाएगी तो घर में माँ-बाप अथवा किसी को रहना पड़ेगा। उस नुकसान को वे सहन नहीं कर सकते। अतः लड़कियो को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते।

— अनुसूचित वर्ग की लड़कियों को तो प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृत्ति भी दी जाती है, वर्दी का कपड़ा भी दिया जाता है, परन्तु फिर भी वे स्कूल स्कूल छोड़ जाती हैं। माता-पिता सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु इनका नामांकन तो करा देते हैं परन्तु सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद उन्हें स्कूल भेजना बन्द कर देते है ताकि वे घर बैठकर छोटे भाई बहनों को देखरेख करें। उनकी शादी भी बहुत ही छोटी अवस्था में कर दी जाती है। नन्ही बच्चियाँ नन्ही माएँ बन जाती हैं। अपने दृष्टिकोण से ये शायद उन्हें शिक्षित करना ठीक भी सोचते हों परन्तु अपने संकीर्ण दृष्टिकोण को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। अतः बालिकाओं का विद्यालय जाना छूट जाता है। सरकार सभी जाति की लड़कियों को स्कूल लाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन भी दे रही है परन्तु फिर भी किसी प्रकार का उल्लेखनीय सुधार नज़र नहीं आता।

महिलाओं की स्थिति :-

महिलाओं की स्थिति को नगण्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी स्थिति के बारे में जानने के पश्चात् ही कल आने वाली महिलाओ के बारे में तथा उनके कल्याण हेतु योजनाओ को निर्धारित कर पाएंगे। अतः महिलाओ की स्थिति पर विचार करना भी अति आवश्यक है।अधिकाशतः महिलाएं बचपन में अपने पिता के घर, विवाह के पश्चात पति के घर, और वृद्धावस्था में अपने पुत्रो के हाथो से शोषित होती आई है। अतः महिलाओ के साथ हर स्तर पर दूसरे नागरिक जैसा व्यवहार किया जाता है। इसका कारण है — हमारा पुरुष-प्रधान समाज।

निर्णय लेने का अधिकार :-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओ को अधिकार प्रदान करने की बात की गई है। कितने आश्चर्य की बात है कि जिस गृह की वह स्वामिनी कही जाती है, उसी गृह में क्या हो रहा है, क्यो हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं मालूम। उसकी भूमिका केवल एक गुलाम की सी है। किसी मामले में भी उसकी सलाह नहीं ली जाती। उसके विकास से सम्बन्धित सभी फैसलों में भी उससे कुछ नही पूछा जाता अर्थात् उसकी डोर दूसरो के हाथो मे है। उसकी आवश्यकताएँ गौण हैं ही उसकी राय भी गौण है या गौण समझी जाती हैं।

पंचायतों में/राजनीति में पुरुष प्रधानता :-

जब स्त्रियाँ देश की जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग है तो क्या बात है कि पंचायत से लेकर राज्य और राष्ट्र की राजनीति में पुरुष छाए हुए हैं। वे ही सभी फैसले करते हैं।

महिलाओं के काम का कोई महत्व नहीं :-

महिला सारा दिन प्रातः से लेकर देर रात तक घरेलू कार्यों मे व्यसत रहती है। गाँवों मे वह खेतों में कितने ही काम करती है, लेकिन उसके काम का कोई मूल्य नहीं आँका जाता।

आइए ज़रा नज़र डालें कि वह घर में तथा बाहर कौन-2 से काम करती है :-

घर के कार्य	*घर से बाहर के कार्य, जिसमे उसे कोई पैसा नहीं मिलता*
बच्चे पैदा करना	कृषि
बच्चे पालना	अनाज साफ करना
घर की सफाई	रोपण
भोजन के लिए सामान खरीदना	गुड़ाई करना
भोजन तैयार करना	खेतों में खाद डालना
कपड़े धोना	फसल काटना
बर्तन साफ करना	छाँटना
नए कपड़े सीना, पुरानो की मरम्मत	भरना
बीमार की देखभाल	सुखाना
घर के सभी सदस्यों के प्रति प्यार एवं गरिमा	

- महिलाएँ कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत भाग है।
- 24 घण्टों मे से वे 16 घण्टे काम करती हैं।
- जायदाद के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से की वे मालिक हैं।
- पूरी आय का केवल 10 प्रतिशत भाग उसके हिस्से मे आता है।

इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत में स्त्रियों पर कितने ही अत्याचार हो रहे हैं।

संचार माध्यमों की भूमिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कन्याओं तथा महिलाओं के प्रति सवेदनशील होने की बात भी कही गई है। इस सदर्भ में महिलाओं तक उनके प्रति समानता की बात को गाँवों तक पहुंचाने के लिए संचार माध्यमों को एक सशक्त साधन माना है जिसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। देखने में आ रहा है कि ये साधन विज्ञापनों को आकृर्षित बनाने के लिए महिलाओं के रंगरूप का सहारा लेते हैं जो कि भड़काऊ होते है और पुरुषों को असामाजिक रूप में प्रभावित करते है।

- दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले नाटको, चल-चित्रो मे महिलाओ के साथ असामाजिक तत्वों की प्रताड़ना को अधिक से अधिक उभार कर दर्शाया जाता है। इन माध्यमों द्वारा अधिकतर सभी कार्यक्रमो में महिलाओं की कमज़ोर, आत्मसमर्पित, दबी तथा आज्ञाकारणी छवि को बढ़ावा दिया जाता है। उनके योगदान तथा उपलब्धियों को अगर नकारात्मक ढ़ंग से न दिखाकर सकारात्मक ढ़ग से दिखाया जाए तो यह कार्यक्रम काफी प्रभावशाली होंगे और महिलाओं की छवि सुधरेगी।

अतः टी.वी. तथा फिल्म निर्माता तथा निर्देशकों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वे महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने में एक सशक्त भूमिका निभा सकें।

अपनी पहचान के प्रति आस्था :-

अधिकांश तौर पर महिलाएँ शोषण, कुपोषण, बाल विवाह, खोये बचपन तथा लापरवाही से इतनी तंग आ जाती हैं कि वे यह सोचने लगती है कि क्यों पैदा हुई। मर जाती तो अच्छा था। यह भावना उनके मन में जीवन के प्रति नकारात्मक भाव को उत्पन्न करती है। उसके निराकरण हेतु शिक्षा एक ऐसा यन्त्र है जो उसे इस समस्या से उभार सकता है।

उपचारात्मक कदम :-

प्रशासनिक

महिलाओ के प्रति हो रहे इस भेदभाव, शोषण आदि को समाप्त करने हेतु सरकार निम्नलिखित कार्य कर रही है :-

- ज्ञान की सीमाओ को आगे बढ़ाने, मानव संसाधन विकसित करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पठन/पाठन सामग्री तैयार करवाई जा रही है।
- महिलाओं और पुरुषो में समानता लाने हेतु महिला और पुरुषों के वर्तमान रुख तथा मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है।
- पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों में विद्यमान पूर्वाग्रहों तथा योजना निर्माताओं को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ताकि वे महिला-पुरुष में समानता लाने के लिए सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभा सकें।

स्वय सेवी/स्वतः संस्थाएँ :-

महिलाओ की शिक्षा का महिलाओं की शक्ति से अटूट सम्बन्ध है। स्त्री-पुरुष समानता तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक न्याय कीबात राष्ट्रीय शिक्षा नीति मे कही गई है। इस संदर्भ में सरकार तो महत्वपूर्ण कदम उठा ही रही है, साथ ही साथ स्वय सेवी तथा स्वतः संस्थाएँ भी इस दिशा की ओर अग्रसर हो रही हैं। ये सस्थाएँ सभी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहीं हैं कि महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने के लिए महिला और पुरुषों के वर्तमान दृष्टिकोण और मूल्यों में परिवर्तन लाया जाए।

शिक्षा बालिकाओं मे अनेक अधिकारों के प्रति जागरुकता प्रदान करेगी। उन्हें सबल, समर्थ तथा सशक्त महिलाओ के रूप मे विकसित होने में सहायक होगी। अतः शिक्षा के माध्यम से–

- महिलाओ में आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की वृद्धि होगी।
- समाज, राजनीति, व अर्थव्यवस्था में महिलाओ के योगदान को मान्यता मिलेगी और महिलाओं की सकारात्मक छवि बनेगी।
- महिलाओं में समालोचनात्मक ढग से सोचने की क्षमता का विकास होगा।
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा।
- महिलाओं में आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान आदि प्राप्त कने की क्षमता विकसित होगी।
- महिलाओ में उनके अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी प्राप्त करने की क्षमता विकसित होगी।
- महिलाएँ विकासशील भारत को विकसित करने में राजनीतिक में प्रवेश कर, अपना पूरा सहयोग देकर सशक्त भूमिका निभाएगी।

नियोजन एवं प्रबंधन — बालिका शिक्षा के लिए

इस संदर्भ में हम तीन स्तरों पर चर्चा कर सकते हैं :-

1. हरियाणा में बालिकाओ की शिक्षा के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये है।
2. उद्देश्य की पूर्ति मे कमी कहाँ रह गई है? — एक अवलोकन
3. कमियो को दूर करके, उद्देश्य प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली युक्तियों पर विचार।

अतः सर्व प्रथम हमें हरियाणा की वर्तमान स्थिति से परिचय करना होगा —

1. **हरियाणा में महिलाओं की स्थिति :-**

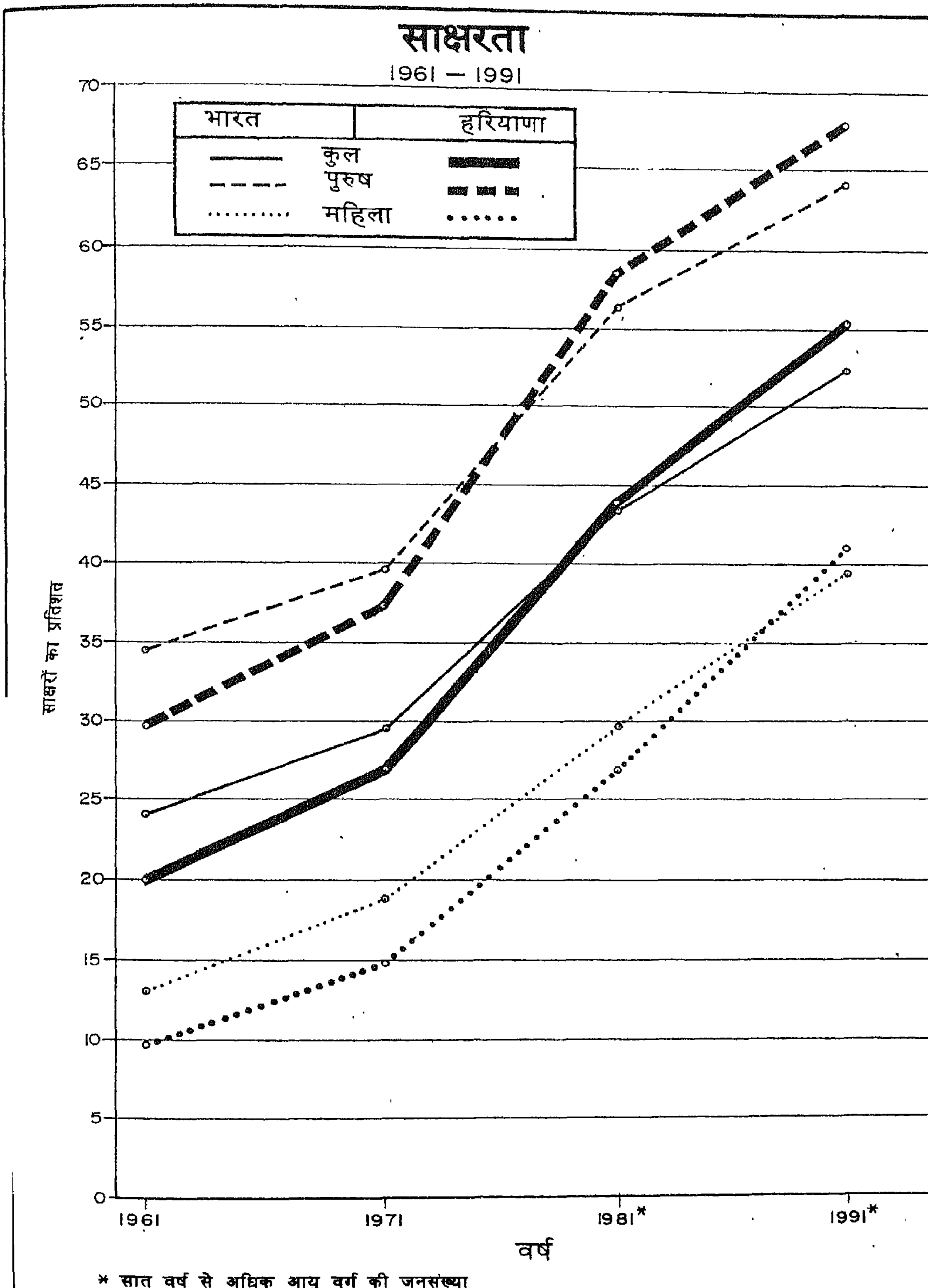
- हरियाणा की कुल जनसंख्या 16.32 लाख है जिसमें 8.71 लाख पुरुष तथा 7.61 लाख महिलाएँ हैं।
- हरियाणा के शहरी क्षेत्र की जनसख्या 4.05 लाख है जिसमें 2.17 लाख पुरुष तथा 1.88 लाख महिलाएँ हैं।
- हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 12.27 लाख है जिसमें 6.54 लाख पुरुष तथा 5.73 लाख महिलाएँ हैं।
- इस प्रकार औसत रूप से हरियाणा में, शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की संख्या, कुल सख्या का 46.6 प्रतिशत है।

1.1 **महिलाओं की साक्षरता दर :**

- हरियाणा राज्य में साक्षरता दर 55.32 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 67.84 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 40.94 प्रतिशत है जो कि हरियाणा की साक्षरता दर से 26.91 प्रतिशत कम है।
- साक्षरता के क्षेत्र में हरियाणा राज्य का देश में 21 वाँ स्थान है, जबकि केरल का प्रथम स्थान है। पुरुष साक्षरता का 16वाँ स्थान है तथा महिला साक्षरता का 23वाँ स्थान है।
- ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता की दर शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर की 50 प्रतिशत है जो कि अत्यन्त कम है।

1.2 **जन्म दर तथा मृत्युदर :-**

हरियाणा मे 1971, 1986 तथा 1991 में जन्म दर 42.4 प्रतिशत, 35.3 प्रतिशत था 34.8 प्रतिशत रही है तथा मृत्यु दर क्रमशः 9.9 प्रतिशत, 8.7 प्रतिशत तथा 8.4 प्रतिशत रही है। इन आँकड़ों से ज्ञात होता है कि जन्मदर तथा मृत्यु दर दोनों ही घट गई हैं।


साक्षरता
1961 — 1991
भारत
हरियाणा
कुल
पुरुष
महिला
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
साक्षरों का प्रतिशत
1961
1971
1981*
1991*
वर्ष
* सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या

आकृति 15

शादी की औसत उम्र :-

वर्ष 1971 एव 1981 के आँकड़ो के अनुसार
देश में पुरुषों की शादी की औसत आयु क्रमशः 22.36 तथा 23.27 रही है जबकि हरियाणा में यह आयु 20.52 तथा 21.67 रही है। इसी प्रकार महिलाओं की शादी की औसत आयु 1971 एव 1981 में क्रमशः 17.16 तथा 18.22 रही है। जबकि हरियाणा में यह आयु 16.84 तथा 17.87 रही है।
परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की शादी की औसत उम्र 1991 के आँकड़ों के अनुसार 16.5 तथा शहरी क्षेत्र में यही आयु 18.4 वर्ष है।
आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि गाँवों मे कन्याओं का विवाह शीघ्र ही कर दिया जाता है।

लिंग अनुपात :-

1991 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में यह अनुपात 874/1000 है। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में यह अनुपात अधिक है। केरल मे 1040/1000, उड़ीसा मे 972/1000 तथा पाँडूचेरी में 982/1000 है। हरियाणा में यह अनुपात कम है, यह प्रश्न भी अधिक चिन्तनीय है।

बालिकाओं की स्थिति

बालिकाओं को विद्यालय की उपलब्धता

हरियाणा में एक किलोमीटर की परिधि के अन्तर्गत् प्राथमिक विद्यालय तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी की परिधि के अन्तर्गत् अपर प्राथमिक विद्यालय बालिकाओ को उपलब्ध है। अतः प्राथमिक स्तर तथा अपर प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा बालिकाओ की पहुँच के अन्तर्गत् हैं।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालिकाओं की सख्या :-

वर्ष 1966-67 (141003) से वर्ष 1990-91 (365750) की अवधि में पूर्व प्राथमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों में सभी वर्ग की बालिकाओं की सख्या में 1/16 गुना वृद्धि हुई है जो कि 159.39 प्रतिशत है तथा अनुसूचित वर्ग की बालिकाओं की इसी अवधि में (8396-99725) 11 गुना वृद्धि हुई है जो कि 1087.67 प्रतिशत है। अतः सभी वर्ग की छात्राओं के प्रवेश संख्या में वृद्धि हुई है। परन्तु अनुसूचित वर्ग की छात्राओं के प्रवेश में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है।

2.3 मान्यता प्राप्त विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या :-

— वर्ष 1967 से 1990 तक की अवधि में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या 0.32 लाख से बढ़कर 0.74 लाख हो गई है। महिला अध्यापिकाओं की सख्या इस अवधि मे 0.08 लाख से बढ़कर 0.30 लाख हो गई है। यद्यपि इस अवधि में विद्यालयों में अध्यापको की वृद्धि निरंतर होती रही है परन्तु छात्राओं की वृद्धि के सापेक्ष में शिक्षकों/ महिला शिक्षकों की नियुक्ति में वृद्धि अधिक नहीं हुई है।

2.4 छात्र अध्यापक अनुपात :-

— प्राथमिक स्तर पर यह अनुपात वर्ष 66-67 मे 43 था तथा वर्ष 90-91 मे 46 रहा है। अतः इस अवधि में 6.97 प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण शिक्षक की गुणवत्ता में कमी आई है। जिस अनुपात में छात्रों की संख्या बढ़ी है, उस अनुपात मे शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ी है। अतः स्तरानुसार गुणवत्ता में कमी आई है।

2.5 साक्षरता दर :-

— 1981 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में 5 वर्ष से 10 वर्ष के आयुवर्ग की लड़कियों की साक्षरता दर 25.80 प्रतिशत तथा लड़कों की साक्षरता दर 55.36 प्रतिशत रही है।

— 10 वर्ष से 15 वर्ष के आयुवर्ग की लड़कियो की साक्षरता दर 25.81 प्रतिशत तथा लड़कों की साक्षरता दर 58.57 प्रतिशत रही है।

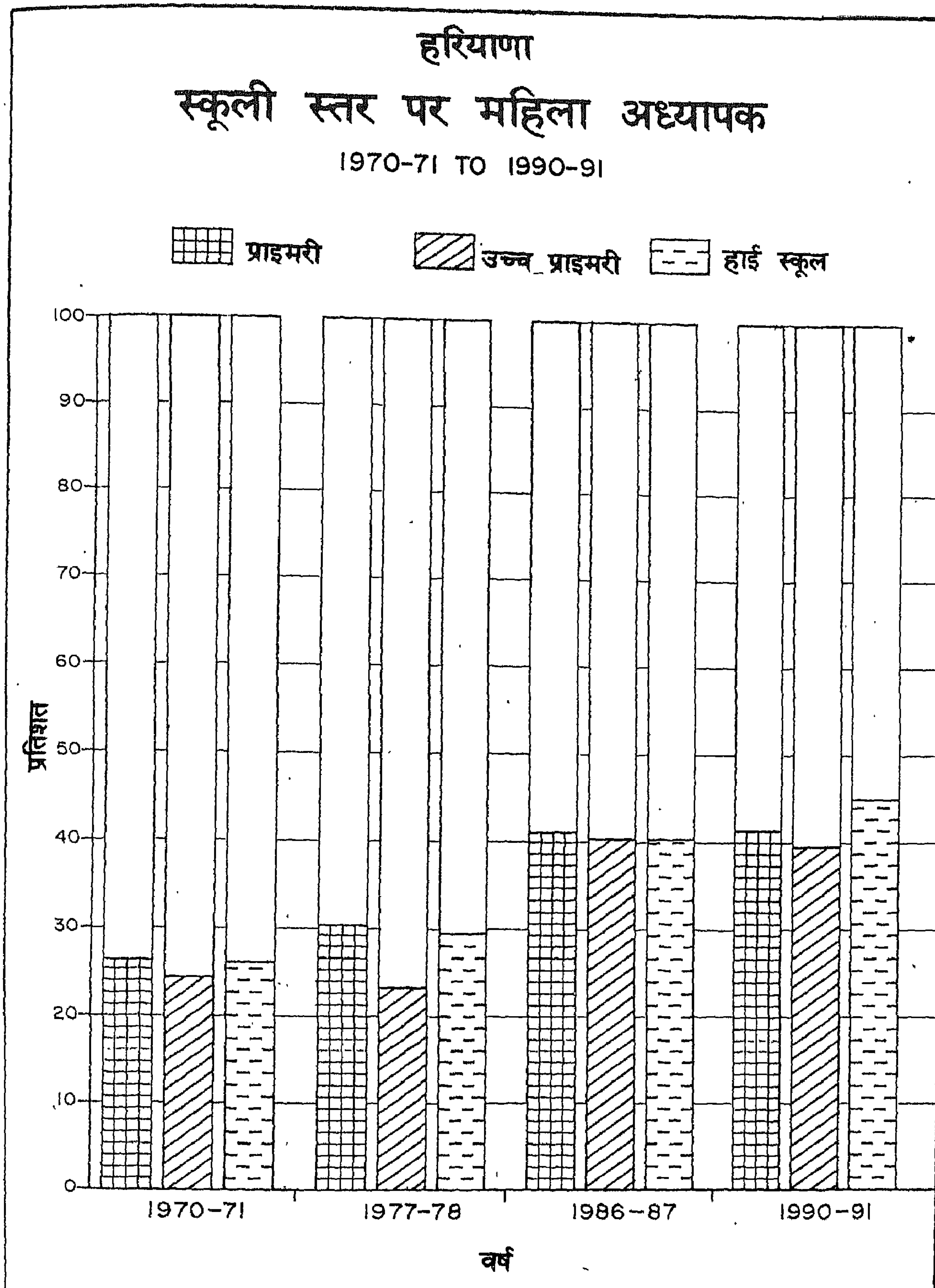
— इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि लड़कियो की साक्षरता दर में वृद्धि इस अवधि में नगण्य रही है और लड़कों की साक्षरता की दर से बहुत ही कम रही है। अतः 1991 के संदर्भ में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में प्रगति सन्तोषजनक नही हुई होगी।

3— बालिकाओं का स्तर

3.1 परिवार में :-

अधिकांश परिवारों मे बालिका —

— एक नन्हीं मजदूरिन है।


हरियाणा
स्कूली स्तर पर महिला अध्यापक
1970-71 TO 1990-91
प्राइमरी
उच्च प्राइमरी
हाई स्कूल
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
प्रतिशत
1970-71
1977-78
1986-87
1990-91
वर्ष

आकृति 16

- छोटे भाई बहिनों की देखरेख के लिए मुफ्त सेवादार है।
- कुपोषण की शिकार है।
- पराया धन समझी जाती है।
- कम उम्र में ब्याह दी जाती है।
- जन्म लेते ही कोसी जाती है।
- भाईयों के खाना खाने के बाद ही भोजन करने की हकदार है।
- भेदभाव की शिकार है।
- माता-पिता द्वारा अबला समझी जाती है।
- विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने को तरसती हैं। यद्यपि उसके माता-पिता उसे शिक्षा दिलाने में समर्थ हैं।
- लिंग भेद के कारण अनेक पाबदियों को सहती है।
- आम तौर से अस्वस्थता की हालत में इलाज से वचित रह जाती है।

3.2 **समाज में :-**

यह आम धारणा है कि बालिकाएँ :-

- जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं।
- नेतृत्व करने में अयोग्य हैं।
- जोखिम पूर्ण कार्यों को करने में असमर्थ हैं।

समाज बालिकाओं को –

- प्रतिबन्धित सीमाओं मे विकसित होने को उचित समझता है।
- बालकों से सहयोग लेने तथा उनको सहयोग देने, एवं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है।

यह सभी वास्तविकताएं बालिकाओं के स्तर को निर्धारित करती हैं कि वह परिवार में, समाज में किन कुठांओं के साथ विकसित हो रही है? विचार किया जाए –

4– शिक्षा की अनिवार्यता को स्वीकार करने में हिचकिचाहट क्यों?

एक विश्लेषण :-

- अधिकांश परिवार लड़कियों के लिए शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते उनकी

राय में शिक्षा लड़कों को ही लेनी चाहिए, लड़कियो को गृहस्थी का काम काज चलाने के लिए ही जिम्मेदार मानते हैं। इस रूढ़िवादिता को ये त्यागने को तैयार नहीं होते।

- पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग भी कन्या को तब तक पढ़ाने की सोचते हैं, जब तक उसका कहीं रिश्ता तय नहीं हो जाता। शादी के बाद उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। उनका उद्देश्य केवल शादी करना ही होता है।
- गरीब परिवार के लोग बालिकाओ को अपनी मजबूरी के कारण विद्यालय मे शिक्षा हेतु नहीं भेज पाते, ये खर्च बचाने के लालच में, इस अनिवार्यता को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। यद्यपि सरकार क्षति पूर्ति के रूप में प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।
- खेतिहर मजदूरों के परिवारों की लड़कियाँ अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख के लिए घर पर रहती है तथा माता-पिता मजदूरी करने चले जाते हैं। यदि लड़की विद्यालय पढ़ने जायेगी तो माता-पिता में से किसी एक को कार्य छोड़ना पड़ेगा तथा इस स्थिति में उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, जिसे वे उठाना नहीं चाहते। अतः वे लड़कियों को विद्यालय नहीं भेजना चाहते।
- अनुसूचित वर्ग की लड़कियों को यद्यपि प्रोत्साहन के रूप में छात्रवृति दी जाती है, वर्दी का कपड़ा दिया जाता है फिर भी वे विद्यालय छोड़ जाती है। माता-पिता का उद्देश्य विद्यालय में लड़कियो का नामांकन कराकर इन सुविधाओं को प्राप्त करना होता है। ये बालिकाएँ घर पर बच्चो की देखरेख के लिए रुक जाती है, घर के काम काज में हाथ बटोने हेतु रुक जाती है। माता-पिता विद्यालय से इन लड़कियो की अनुपस्थिति को जानते हुए भी उन्हें स्कूल भेजने को ज़ोर नहीं देते। उनकी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। अपने इस दृष्टिकोण से ये ऐसा करना उचित समझते हैं।

5— राज्य सरकार के सराहनीय कदम

हरियाणा सरकार ने राज्य में लड़कियों की शिक्षा को त्वरित गति प्रदान करने हेतु विशेष कदम उठाये है :-

- विशेष प्रोत्साहन योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति की छात्राओ को मुफ्त वर्दी, मुफ्त स्टेशनरी तथा मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना।
- हरिजन छात्र जो 9 वीं से 12 वीं कक्षाओं में पढते हैं. को स्टाईपेंड देना (माता पिता आयकर न देते हों)।

- विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक स्तरीय छात्रवृति प्रदान करना।
- 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को आजीविका से वंचित रहने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 15/- रुपये मासिक अवसर मूल्य लाभ देना।
- विमुक्त/टपरीवास जाति के छात्रों को 6वीं से 8वीं तक 15/- रुपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान करना तथा 9वीं से 12वीं तक के छात्रो को 16/- रुपये प्रतिमास छात्रवृति प्रदान करना।
- विद्यालय में बुक बैंक की स्थापना करके छात्र/छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराना।
- सस्ते दाम पर सभी छात्रों को स्टेशनरी उपलब्ध कराना।
- ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्कीम के अन्तर्गत नये विद्यालयों को खोलना तथा नये अध्यापकों की नियुक्ति करना एवं आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक स्तर की शिक्षा के प्रसार तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाने एवं सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का गठन।
- जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों का भली भाँति संचालन हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियो को नियुक्त करना।
- प्राथमिक विद्यालयों में प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य तथा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन हेतु हेड अध्यापकों की नियुक्ति।
- सेवा पूर्ण तथा सेवाकालीन अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।
- विद्यालयो के वातावरण को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापकों को उत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना।

6— हरियाणा की सम्पन्नता

हरियाणा राज्य हर प्रकार से सम्पन्न है। हरियाणा ने अभी हाल ही में रजत जयंती मनायी है तथा अपनी प्रगति का प्रदर्शन जिला स्तर पर प्रदर्शनी के माध्यम व उत्सवों के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, परन्तु इस सम्पन्नता के बावजूद भी शिक्षा क्षेत्र में हम साक्षरता के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। यद्यपि हम अपने विद्यालयों में बालकों का लगभग 113 प्रतिशत नामांकन तथा 90 प्रतिशत के लगभग बालिकाओं का नामांकन करने में सफल हो पाये हैं, परन्तु

इसे प्रतिधारण करने में अभी सफलता नहीं मिली है। अतः शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विशेष कर सब बालिकाओं के लिए शिक्षा हेतु नियोजन एवं प्रबंधन करना अनिवार्य हो जाता है।

7— बालिकाओं की शिक्षा हेतु नियोजन — सार्वभौमीकरण के लिए सहायक

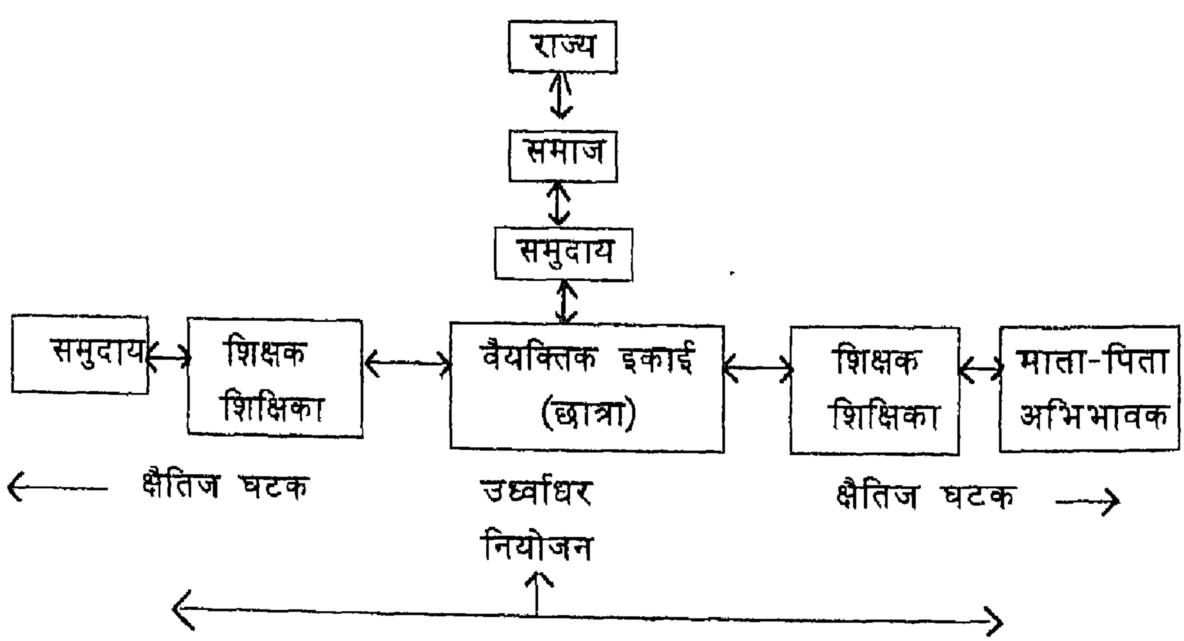
— *नियोजन की आरोही प्रक्रिया*

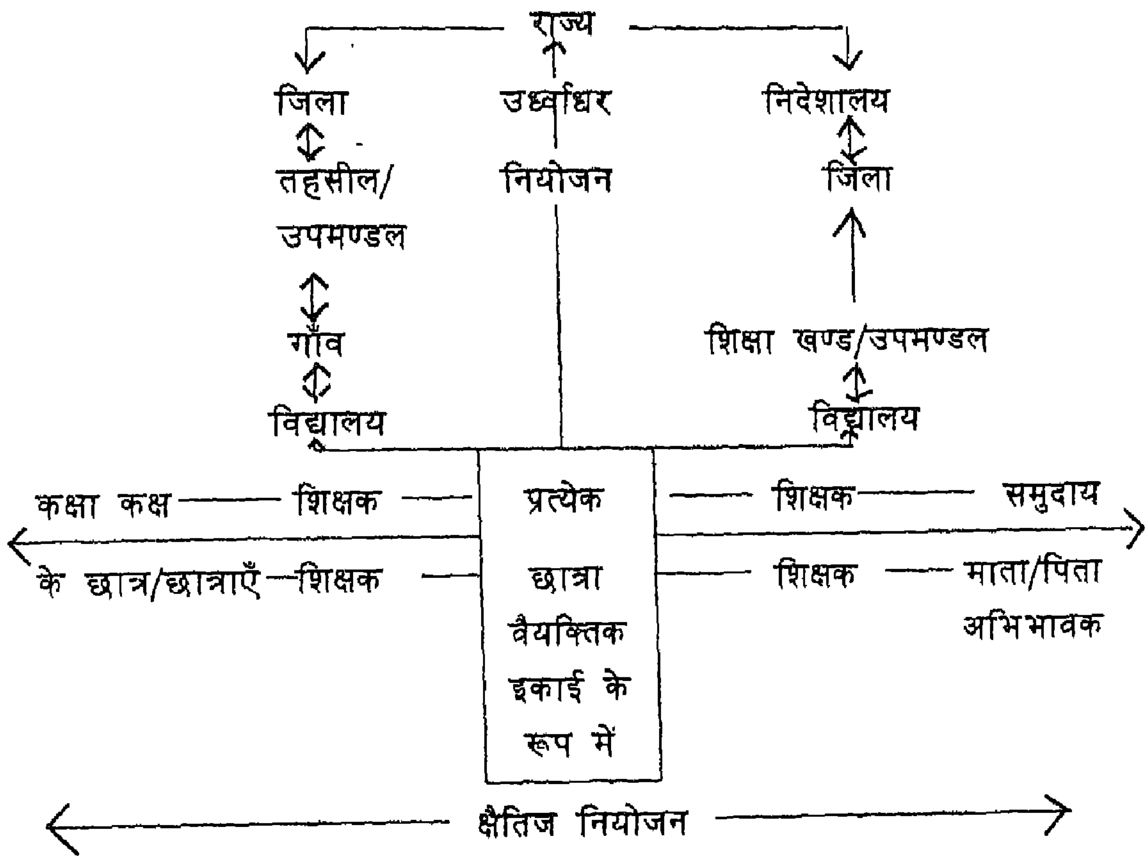
बालिका को "वैयक्तिक इकाई" माना जाए तथा इस इकाई को विद्यालय मे लाकर (नामाकर कर) उसे प्रतिधारित किया जाए तो समाज की हर इकाई शिक्षित हो जायेगी। इस प्रकार इकाई से समाज शिक्षित होगा तथा समाज से राज्य। अतः नियोजन की इस आरोही प्रक्रिया से लक्ष्य तक पहुंचा जाये।

इस प्रक्रिया के क्रियान्वन में शिक्षको द्वारा क्षैतिज घटको का सहयोग लिया जाये। जैसे :-

गाँव के घर घर से बालिकाओ को व्यक्तिगत् सम्पर्क कर "वैयक्तिक इकाई" के रूप में विद्यालय लाना तथा उनका नामांकन करना। प्रतिधारण हेतु — "वैयक्तिक इकाई" के माता-पिता/अभिभावक से सम्पर्क रखना तथा बालिका को विद्यालय में भेजते रहने का परामर्श देते रहना। विद्यालय में रुचि कर वातावरण तैयार करने में समुदाय का सहयोग लेना। कक्षा के अन्य छात्र/छात्राओं को "वैयक्तिक इकाई" के साथ मैत्रिक सम्बन्ध बनाने हेतु प्रेरित करना।

उपर्युक्त "नियोजन" का मॉडल निम्न रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है :-





7.1 नियोजन के क्षैतिज घटक

7.1.1 (अ) वैयक्तिक इकाई ---- शिक्षक/शिक्षिका ---- माता-पिता/अभिभावक/समुदाय

शिक्षक शिक्षा द्वारा माता-पिता/समुदाय से निरंतर सम्पर्क रखा जाए —

- छात्राओं की जानकारी हेतु
- संसाधनों की पूर्ति हेतु
- विद्यालयी पर्वों में सम्मिलित होने हेतु
- ग्रामीण विकास मण्डल से सहयोग प्राप्त करने हेतु
- छात्राओं की पारिवारिक समस्याओं के निदान हेतु
- छात्राओं के विद्यालय न आने की स्थिति मे अभिभावक माता-पिता को शिक्षा की अनिवार्यता बताने हेतु
- लड़को व लड़कियों को समान भोजन, कपड़ा, सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु इत्यादि।

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा वैयक्तिक इकाई से निरन्तर सम्पर्क रखा जाए —

— छात्राओं के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने हेतु
— उनकी रुचियों एवं अभिरुचियों को समझने हेतु
— उनके प्रति स्नेहमयी व्यवहार प्रदर्शन हेतु
— कक्षा कक्ष/विद्यालय मे घरेलू वातावरण उत्पन्न करने हेतु
— विद्यालय मे रोजाना उपस्थिति होने के लिए प्रेरित करने हेतु
— छात्राओं के अधिगम स्तर को परखने तथा निदान कर उचित उपचार करने हेतु
— ड्राप आऊट न करने के लिए प्रेरित करने हेतु

7.1.2 (ब) वैयक्तिक इकाई ---- शिक्षक/शिक्षिका ---- कक्षा कक्ष के अन्य छात्र/विद्यालय के अन्य छात्र

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा छात्रों में समता एवं समानता का भाव विकसित करने हेतु —

— छात्र/छात्राओं को खेल खेलने के लिए समान अवसर प्रदान कराये जाये।
— कक्षा में सफाई कराते समय छात्र/छात्राओं को समान रूप से सम्मानित किया जाए।
— छात्र/छात्राओ को कक्षा कक्ष मे अलग अलग न बैठाकर मिला जुला कर बिठाया जाए।
— मौखिक प्रश्नों को पूछते समय लड़के लड़कियों दोनो को सम्मिलित किया जाए
— बालसभा में लड़के/लड़कियो दोनों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए
— पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय लिग समानता, छोटे परिवार के प्रति जागरुकता, पर्यावरण के प्रति चेतना भाव जैसे विषयों पर लड़के तथा लड़कियाँ दोनों को चर्चा करने के समान अवसर दें।

7.1.3 (स) विद्यालय स्तर पर हैडटीचर द्वारा नामाकन, प्रतिधारण, ड्राप आऊट से संबंधित आंकड़े रिकार्ड किए जाये। ये आँकड़े अगले सत्र के लिए नियोजनार्थ प्रयोग किए जाये।

7.1.4 (द) अगले सत्र में ड्राप आऊट छात्राओं को पुनः विद्यालय में लाया जाए तथा नया नामाकन किया जाये एवं प्रतिधारण हेतु प्रयास किए जायें। इस प्रकार यही क्रम जारी रखा जाये।

7.2 नियोजन के उध्र्वाधिर घटक —

किसी भी गाँव की सभी लड़कियों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक क्षैतिज घटकों की सहायता से उसी गाँव के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उस गाँव के लिए सार्वभौमीकरण

की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जाये। यही क्रियान्वन खण्ड के प्रत्येक विद्यालय तथा प्रत्येक गाँव के लिये अपनाया जाये। जब हर खण्ड की सभी लड़कियाँ प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर पायेंगी तो ज़िला तथा राज्य की सभी लड़कियाँ स्वतः ही शिक्षित होती जायेंगी।

नियोजन के अनुसार –

हर गाँव, विद्यालय मे हर लड़की शिक्षा प्राप्त कर रही हो

↓

तब स्वतः ही हर तहसील/खण्ड में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहीं होंगी

↓

तब स्वतः ही हर ज़िले में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त करे रही होगीं।

↓

तब सम्पूर्ण राज्य में सभी लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहीं होंगी

↓

इस प्रक्रिया का निरंतर चलना अनिवार्य है।

8. बालिका शिक्षा हेतु प्रबन्धन :-

हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की कवांटिटी, क्वालिटी के तथा इक्वलटी के रूप में अवलोकन किया जाए।

8.1 *शैक्षिक साख्यिकी के प्राप्त आँकड़ों का अवलोकन करने के उपरान्त क्वांटिटी के सन्दर्भ में यह स्पष्ट है –*

- विद्यालयों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, छात्र/छात्राओं की संख्या, विद्यालय से बाहर बालक/बालिकाओं की संख्या, छात्र/छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं की सख्या, इत्यादि मे वृद्धि हुई है।
- विद्यालय में नामांकन बढ़ा है। इससे शिक्षक छात्र नियति, मानक नियति से बढ़ गई है जो क्वालिटी को प्रभावित करती है।
- अतिरिक्त अध्यापकों के पदों को बढ़ाने तथा उन पर नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

- वर्तमान में लगभग प्राथमिक अध्यापकों के राज्य में 2000 पद रिक्त हैं। छात्र/छात्राओं के और नये नामांकन के पश्चात् यह संख्या और भी बढ़ सकती है।
- नये दाखिले हुए छात्र/छात्राओं हेतु सुविधाओ की संख्याओं में भी वृद्धि होती है।

इन सभी मुद्दों के निराकरण एवं प्रबन्धन में प्रशासन का उत्तरदायित्व है। प्रशासन द्वारा इस प्रबन्धन/निराकरण में एक लम्बी अवधि व्यतीत हो जायेगी और सरकार पर आर्थिक दबाव भी पड़ेगा और इस तरह हरेक के लिए भविष्य का इन्तज़ार करना मूर्खता है। परन्तु प्रयास करते रहना चाहिए। अतः वर्तमान में जो संसाधन उपलब्ध हैं तथा एग्जस्टिंग सिस्टम जैसा है, उसी के अन्तर्गत रह कर प्रबन्धन हेतु सामजस्य करना होगा।

8.2 *क्वालिटी के सदर्भ में :-*

- यह निश्चित है कि शिक्षा की गुणवता में कमी आई है।
- यह कमी कुछ शिक्षकों में कर्त्तत्व के प्रति निष्ठावान न रहने के कारण माता-पिता का बालकों की शिक्षा में रुचि न लेने के कारण, राजनीति हस्तक्षेप के कारण, समुदाय तथा स्थानीय गुटबाज़ी के कारण और अधिक प्रभावी बन गई है।
- यह कमी उद्देश्य की पूर्ति में बाधक ही नही, घातक भी है।

अतः इसके लिए प्रबन्धन की आवश्यकता है। यह प्रबन्धन विद्यालयी स्तर से क्रियान्वित किया जाये और ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जाये। यदि ग्राम शिक्षा समिति कार्यरत नहीं है, तब हर गाँव में इसका गठन किया जाये।

- ग्राम शिक्षा समिति में निम्न सदस्य सम्मिलित किए जायें —

  1- प्रधान (सरपंच)

  2- सदस्य
  - 1- महिला सदस्य
  - 1- सेवानिवृत कर्मचारी
  - 1- स्वयं सेवी संगठन का एक सदस्य

  4- विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका

- कक्षा स्तर/विद्यालय स्तर पर प्रशासकीय प्रबन्धन के अतिरिक्त अन्य मदों से सम्बन्धित प्रबन्धन में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त किया जाये।
- विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व, उत्सव, मेले, प्रतियोगिता आदि के आयोजनों में शिक्षक सदस्य, ग्राम शिक्षा समिति को समुदाय के रूप में सहभागी बनाये। ऐसे अवसरो पर समिति से विद्यालयी क्रिया कलापों का अनौपचारिक निरीक्षण करवाकर कमियों का आकलन करवायें। इन कमियों को विभागीय अधिकारियों से, समुदाय से सम्पर्क कर दूर करने हेतु प्रयास किया जाये।

- शिक्षक के अभाव मे यह समिति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को जो सेवानिवृत है तथा पढ़ा लिखा है या ऐसा युवा जो पढ़ा लिखा है परन्तु व्यवसाय में नहीं है, को प्रेरित कर एक विकल्प के रूप में अध्यापन हेतु आमंत्रित किया जाये।
- समुदाय से प्राप्त हो सकने वाले मानवीय ससाधनो व भौतिक संसाधनो का उपोयग विद्यालय को अपनी आवश्यकता के अनुसार जब भी मौका मिले, कर लिया जाये। इकाई जितनी छोटी होती है, प्रबन्धन उतना ही सरल तथा सार्थक होता है। अतः प्रबन्धन विद्यालय स्तर पर ही किया जाये। यह प्रबन्धन निश्चय ही व्यवहारिक होगा।

8.3 *इक्वलिटी के सदर्भ मे* :-

बालिकाओं को समता तथा समानता (इक्वटी तथा इक्वलिटी) के भाव की शिक्षा प्रदान करने हेतु पुनः विद्यालयी प्रबन्धन ही श्रेयष्कर है। विद्यालय के शिक्षक किसी भी योजना को लागू करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हो जाएँ तो वे निश्चित ही योग्य शिक्षक है और अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा एवं गरिमा को स्थायी बनाये रखने मे समर्थ हैं। यदि योजना को लागू करने मे रुचि नहीं लेते तो विभाग आदेशात्मक भाषा का उपयोग कर, बलपूर्वक उस योजना को क्रियान्वित कराने का प्रयास करता है, परन्तु ऐसी योजना के सफल होने में आशका रहती है क्योकि क्रियान्वन इच्छा के विपरीत किया गया है। जो कार्य रुचि लेकर स्वेच्छा से किया जाता है उसका प्रभाव स्थायी होता है तथा उसके प्रतिफल उपयोगी होते हैं। विद्यालय स्तर पर प्रबन्धक (शिक्षक) स्वयं ही प्रबन्धन की जिम्मेदारी निभायेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी।

अतः शिक्षक द्वारा प्रबन्धन के अन्तर्गत –

- शिक्षण-प्रशिक्षण में, पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करते समय - बालिकाओं को बालको के समान ही हर क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाये।
- कक्षा नियंत्रण में बालिकाओं को भी "मानीटर" बनाया जाये
- पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में बालकों के साथ-साथ बालिकाओं को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाये तथा उन्हें भाँग लेने हेतु अवसर प्रदान किए जायें।
- खेलकूद के, कला शिक्षण व से प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से बालिकाओं तथा बालको में समता तथा समानता के भाव को विकसित किया जाये। कुछ प्रतियोगिताओ का संचालन लड़कियों द्वारा कराया जाये।
- समुदाय और बालिकाओं के परिवार के सहयोग से बालिकाओ को सभी क्रियाकलापो में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाये।

8.4 *प्रबन्धन में निर्देशन हेतु* :-

हरियाणा में खण्ड, ज़िला तथा निदेशालय स्तर पर महिला शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। इन प्रकोष्ठों का कार्य, इस क्षेत्र में करने वालों को प्रेरणा देना तथा उपलब्धियों के मूल्यांकन का कार्य सौंपा जाये। इन सभी प्रकोष्ठों का आपस में समन्वय भी होना चाहिए। अतः राज्य स्तर पर, एक संयोजक भी नियुक्त किया जाये, जो बालिका शिक्षा के सभी आयामों में समन्वय स्थापित कर सके।

समाज में शिक्षा की आवश्यकता को, शिक्षक ही पूरा कर पायेगा। "वैयक्तिक इकाई" का संरक्षक "शिक्षक" ही है, शिक्षक की नियोजन कर्त्ता है, तथा शिक्षक ही प्रबंधकर्त्ता है। अतः उसका व्यक्तिगत बहुमूल्य सहयोग "वैयक्तिक इकाई" को शिक्षित बनाकर ही रहेगा।

अध्याय 4

अन्तःक्षेप – पाठ्यक्रम शिक्षण में

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत, स्कूली कक्षाओ के छात्र/छात्राओं को जो विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते है, उनमें दस केन्द्रित तत्वों का समावेश है :-

– भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास
– संवैधानिक उत्तरदायित्व
– राष्ट्रीय पहचान के पोषक पाठ्यक्रमीय विषय
– भारत की समान सांस्कृतिक विरासत
– प्रजातंत्र एवं धर्म निरपेक्षता
– लिंग समानता
– पर्यावरण संरक्षण
– सामाजिक अवरोधो की समाप्ति
– छोटे परिवार के मानदण्ड को स्वीकार करना
– वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास

प्राथमिक स्तर पर निम्न विषयों को पढ़ाया जाता है – (पाँच वर्षीय)

– एक भाषा (मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा)
– गणित
– *पर्यावरण* परिवेश अध्ययन भाग-1, भाग-2
– कार्यानुभव
– कला शिक्षण
– स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों को पढ़ाया जाता है — (तीन वर्षीय)

— तीन भाषाएँ
— गणित
— विज्ञान
— समाज विज्ञान
— कार्यानुभव
— कला शिक्षण
— स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

नीति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शिक्षण के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए —

— महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा
— अनुसूचित जातियों की शिक्षा
— शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य क्षेत्रों में वर्गों की शिक्षा
— अल्प संख्यकों की शिक्षा
— विकलांग/बालको/बालिकाओ की शिक्षा

सामाजिक भेदों और विषमताओ को दूर करने तथा समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु कदम उठाये जायें —

महिलाओं की समानता के लिए —

— स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना
— महिलाओ को पुरुषों के समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना

अनुसूचित जाति, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े समुदाय तथा अल्पसंख्यकों के लिए —

— उपयुक्त प्रेरकों का प्रयोग करना
— अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करना

विकलांगो के लिए —

— विकलाग छात्र/छात्राओं को अन्य सामान्य छात्रो के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

— विकलांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा के सहायता हेतु स्वयंसेवी संगठनो से सम्पर्क करना तथा योगदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा राज्य के विद्यालयों में शिक्षा के दौरान अध्यापकों द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं और उठाये जा रहे हैं —

पाठ्य पुस्तकों का उद्यतन तथा पुनर्निरीक्षण —

— अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण/अवलोकन कराया जाता है तथा भाषा, गणित, परिवेश अध्ययन भाग-1 तथा भाग-2 पुस्तको के अन्तर्गत् लिंग-भेद, वर्ग असमानता, साम्प्रदायिकता जैसी कमियों के क्षेत्रो को बारीकी से छाँट कर उन्हें दूर किया जाता है।

— जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरुकता को विकसित करने हेतु विभिन्न पाठ्य पुस्तको मे इससे सम्बन्धित विषय वस्तु का समावेश किया जाता है।

— पर्यावरण के प्रति जागरुकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पाठ्य पुस्तको में यथा स्थान संसोधन किया जाता है।

— ऑप्रेशन ब्लैक बोर्ड से सम्बन्धित किट सुविधाओं का शिक्षण में पूर्ण प्रयोग करते हैं।

कला — शिक्षण —

अध्यापक/अध्यापिका कक्षाओं में छात्रों को :-

— चित्रकारी में सहयोग देते हैं

— खिलौने/गुड़ियाँ बनाने मे सहयोग देते हैं।

— बालसभा का आयोजन कर छात्र/छात्राओ से कविता पाठ, नाटक मंचन, मोनोएक्टिंग, हास्य विनोद जैसी सहपाठी क्रियाओं को कराने पर बल दिया जाता है।

कार्यानुभव शिक्षण —

अध्यापक/अध्यापिका कक्षाओ में छात्र/छात्राओं को —

— विद्यालय प्रांगण तथा कक्षा की सफाई रखने के लिए उत्साहित करते हैं।

— शारीरिक सफाई/व्यक्तिगत सफाई के लिए प्रेरित करते हैं।

— व्यर्थ एवं कम लागत की वस्तुओं को प्रयोग कर उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

- भाषा, गणित, सामाजिक एवं विज्ञान विषयों में छात्र/छात्राओं से चार्ट बनवा कर कक्षा कक्ष की दीवारों पर प्रदर्शन करवाते हैं। इसी प्रकार शिक्षण सहायता सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करते हैं।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा –

- छात्र/छात्राओं की रुचि अनुसार खेल खिला कर उसके शारीरिक विकास में सहायक बनते हैं।
- खेलो के आयोजन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य के निर्माण में सहायक होने के साथ अनुशासन एवं सहकारिता के भाव को भी विकसित करते हैं।
- अल्पदृष्टि व कम सुनने वाले छात्र/छात्राओं को शिक्षण के समय कक्षा में आगे बैठा कर, उनके अधिगम में सहायक होते हैं।
- प्रातःकालीन प्रार्थना सभा मे स्वास्थ्य संबन्धी बाते बताकर, छात्र/छात्राओ को उन पर अमल करने को प्रेरित करते हैं।
- खण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहायता करते हैं तथा छात्र/छात्राओं को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तथा प्रशिक्षण भी देते हैं।

नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा –

- नैतिक मूल्यो के विकास हेतु प्रार्थना सभा मे भाषण, उपदेश आदि देते हैं।
- छात्र/छात्राओं के अच्छे कार्यो की प्रशंसा कर, उन्हें अच्छे कार्य करने को प्रेरित करते हैं।
- कला शिक्षण कार्यानुभव शिक्षण तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से छात्र/छात्राओं में सहभागिता का विकास करते हैं।
- नेतृत्व की भावना को विकसित करने हेतु बालसभा का आयोजन कर छात्रों को कविता, कहानी, चुटकले तथा गीत सुनाने को प्रेरित करते हैं।
- समग्रानुसार विद्यालयों मे राष्ट्रीय पर्व, त्यौहार, उत्सव आदि का आयोजन कर छात्र/छात्राओं को अपनी संस्कृति व विरासत से परिचित कराते हैं।
- पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तको को पढ़ने से अनेक नैतिक मूल्यों का अकुरण होता है।

पाठ्यक्रम में वर्णित उपरोक्त 'शिक्षक अन्तःक्षेप', सीधे एवं प्रत्यक्ष है। कुछ ऐसे भी शिक्षक अन्तःक्षेप हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम से सबंधित हैं :

- शिक्षक, विद्यालय प्रबन्ध एवं विद्यालय संचालन से संबंधित आवश्यक सुविधाओ के अभाव में समुदाय के ससाधनों को प्राप्त कराने में सहयोग देते हैं।
- शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने हेतु क्रियाशील रहते हैं।
- छात्र/छात्राओं की समस्याओ को पहचान कर, उनका निदान करते हैं।
- कमजोर छात्र/छात्राओं को अलग से समय प्रदान करते हैं।
- बीच में स्कूल छोड़ने वाले सम्भावित छात्रों की ओर ध्यान देते हैं।
- विद्यालय के विकास हेतु, छात्र/छात्राओं की समस्याओं के निदान हेतु अभिभावको तथा समुदाय से सम्पर्क रखते हैं।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा, सम्पूर्ण शिक्षा क्रम का आधार है। अतः प्राथमिक स्तर की शिक्षा का सार्वभौमीकरण नितांत आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब हर बाला पढ़ी लिखी हो। यही बाला कल की महिला होगी जो पढ़ी लिखी होने के कारण अपनी जिम्मेदारियो को बखूबी निभा पायेगी और राष्ट्र को योग्य नागरिक प्रदान करेगी। अतः महिला के स्तर के उन्नयन, छात्राओं के शिक्षा स्तर व उनकी शैक्षिणिक प्रगति के लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम के माध्यम से कुछ अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए ताकि छात्राओ को समानता एवं समता के लिए शिक्षित किया जा सके। इस सम्बन्ध में सुझाव इस प्रकार है –

अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा –

- प्रार्थना सभा से लेकर कक्षा, बाल सभा, बाल मेले, पर्वों, उत्सवों तक पाठ्य सहगामी क्रिया कलापों व पर्यटन आदि में बालिकाओं को बालकों के समान ही, समान सुविधाएँ और समान अवसर प्रदान किए जाएँ। अतः छात्र/छात्राओ को –
  - (अ) सहशिक्षा के रूप में पढ़ाया जाए।
  - (ब) लिंग भेद को ध्यान में न रखा जाए बल्कि उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता, योग्यता व रुचि का ध्यान रखा जाए।
  - (स) बाल सभा के नाटकों में अभिनय छात्र/छात्राओं से संयुक्त रूप से कराये जायें।
  - (द) छात्राओं में व्याप्त भीरुता, लज्जा, संकोच, हिचकिचाहट की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जाये।
  - (य) ऐसे पाठ तैयार किए जायें जिनमें जीवन की विविधता दिखाकर हर स्तर पर और हर स्थिति मे बालक, बालिकाएँ, पुरुष और महिलायें समान महत्व रखे और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में चरितार्थ हों।
  - (र) महापुरुषों तथा पुरुष जीवन के साथ-साथ महान नारियों के बार मे भी बताया जाए, जैसे शिवाजी – जीजा बाई – गौतम बुद्ध – यशोधरा, महात्मा गाँधी – कस्तूरबा, जवाहरलाल नेहरु – कमला नेहरु, राम – सीता, लक्ष्मण –उर्मिला।

1 *कक्षा स्तर*	2 *केन्द्रीय भाव*	3 *दृष्टिकोण का विकास*	4 *विषय विधा*	5 *प्रक्रिया*
प्राथमिक स्तर	1— बालक/बालिकाओ में समानता की भावना।	शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य विभाजन किया जाए, न कि बालक बालिकाओं के आधार पर।	कहानी, एकांकी नाटक, कविताएँ चित्र/चार्ट आदि के द्वारा।	— छात्र/छात्राओं के मध्य भेदभाव के आधार पर कोई उदारता या अनुदारता न दिखाई जाये। — भोजन के लिए दोनो को एक ही समय दिया जाये। — कक्षा मे उन्हें मिले जुले समूह में बैठाया जाये।
	2— विभिन्न व्यवसायो, कार्य क्षेत्रों स्त्री पुरुष दोनों को को समान अवसर प्रदान करने पर बल।	शारीरिक एवं मानसिक क्षमता तथा योग्यता के आधार पर कार्यक्षेत्र के चयन का समान अवसर प्रदान किया जाये।	पाठों मे छात्रो के चुनाव आदि के अवसर पर स्त्री पुरुष विभेद न किया जाए।	— बाल मेले के अवसर पर बालक/बालिकाओं को समान कार्यभार सौंपा जाये। — स्थानीय परिवेश से साहसी बालक/बालिकाओ के उदाहरण रखे जायें। — राजनीति, खेल, विज्ञान आदि क्षेत्रों मे प्रसिद्ध पुरुषों के साथ-साथ प्रसिद्ध महिलाओं के नाम भी बताये जायें।

1	2	3	4	5
	3— आत्म विश्वास एवं आत्म निर्भरता की भावना का विकास।	बालक बालिकाओं मे परस्पर सहयोग एव सहकारिता के समान विकास के अवसर।	विभिन्न पाठों, नाटको, कहानियो, कविताओ के द्वारा समानता की भावना को जाग्रत करने का प्रयास।	— छात्र/छात्रा दोनो को खेलकूद तथा सास्कृतिक कार्यक्रमों में समान अवसर दिए जायें। — लड़के/लड़की के विभेद को प्रोत्साहन न दिया जाये। — बालिकाओं के प्रति हीन भावना का प्रदर्शन न किया जाये। — शिक्षक, शिक्षण के समय प्रसंगो एवं उदाहरणों में नारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाले
	4— नारी में स्वाभिमान की भावना को जागृत करने का प्रयास	नारी को जननी तथा बहन के रूप में उभारा जाए और छात्र/छात्राओं में उसके सम्मान के लिए दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाये।	कल्पना और यथार्थ पर आधारित कहानियों, सस्मरण, कविताएँ, नाटक संवाद आदि के द्वारा इस दृष्टिकोण का विकास करना कि नारी अबला न होकर सबला है।	— स्वाभिमान एव सम्मान को प्रदर्शित करें। — शिक्षक स्वय अपने दृष्टिकोण तथा व्यवहार मे भी नारी के प्रति उचित सद्भाव को प्रदर्शित करे। आदि।

1	2	3	4	5
प्राथमिक स्तर	परिवार के विभिन्न सदस्यों द्वारा सम्बन्धित कार्यों का महत्व समान होता है।	श्रम के प्रति आस्था	माँ का घर "परिवार" से रह कर घर का कार्य करना उतना ही महत्व रखता है, जितना पिता का नौकरी करना।	— शिक्षक बताये कि घर के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का उतना ही महत्व है, जितना कि अन्य सदस्यों का।
	बालक बालिकाओ की समान भागीदारी तथा सामूहिक जिम्मेदारी।	सहभागिता के समान अवसर प्राप्त करने एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास	हमारे चारो ओर पौधे तथा जन्तु	— शिक्षक बताये कि पालतू जानवरो को घर के पुरुष व महिलाएँ दोनो ही सम्भालते हैं।
	बालक बालिकाओं की शारीरिक भिन्नताओ के बावजूद, न कोई श्रेष्ठ है और न कोई हीन, दोनो ही समान है।	"लिंग भेद" के आधार पर बालक बालिकाओ में भिन्नता को स्वीकार न करना।	"जीव-निर्जीव"	— वाद विवाद के माध्यम से शिक्षक समझाने का प्रयास करें।

1	2	3	4	5
	व्यक्तिगत एव सामाजिक स्वच्छता के प्रति चेतना।	स्वय को स्वच्छ रखना तथा घर को स्वच्छ रखने की हर सदस्य की जिम्मेदारी है।	"हमारा स्वास्थ्य"	– शिक्षक समझाये कि – बालक/बालिकाएं जब कपड़े धोती है तो माँ को सहयोग देना चाहिए। घर की सफाई में एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। – अपने घर के आसपास भी सफाई रखने मे पड़ोसियो को सहयोग देना चाहिए। आदि।

गणित शिक्षण –

प्राथमिक स्तर	घर के सचालन में घर के सभी सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी है।	संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का विकास।	"समस्त-कार्य" "जोड़ना, घटाना"	– शिक्षक इस प्रकार के प्रश्नो को हल करवाये – माँ के अस्वस्थ होने के कारण, सावित्री तथा उसके बड़े भाई को क्रमशः रोज़ाना 2 घंटे 15 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट कार्य करना पड़ा। कितने अधिक समय तक सावित्री के बड़े भाई को अपनी बहन से अधिक कार्य करना पड़ा।

1	2	3	4	5
	सामाजिक बुराईयों के प्रति चेतना जागृत करना।	दहेज देना व लेना दोनो अपराध हैं।	"भाग"	— शिक्षक इस प्रकार से प्रश्नो को हल करवायें — पूर्णिमा के पिता श्री गोपाल सिंह को दहेज देने के आरोप में अदालत ने 450 रु. का दण्ड दिया तथा उसके ससुर श्री मोहन लाल को रु. 1350 दहेज लेने के अपराध में दण्ड दिया। बताओं पूर्णिमा के ससुर को, पूर्णिमा के पिता से कितना गुना अधिक दण्ड मिला है।
	राष्ट्रीय संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा उनमे वृद्धि करने के प्रति चेतना बढ़ाना।	निर्णय लेने की योग्यता में विकास	"ब्याज"	शिक्षक इस प्रकार के प्रश्नों को हल करवाये — कल्पना को लाटरी जीतने के फलस्वरूप 10,000/- रु. प्राप्त हुए। उसने सोने चॉदी के गहने न खरीद कर 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष तक बैंक में जमा

1	2	3	4	5
			सामान्य शिक्षण कार्य	कराने का निर्णय लिया। बताओ कल्पना को 5 वर्ष बाद ब्याज का कितना रुपये मिलेगा ? आदि।
परिवेश अध्ययन भाग – 1 शिक्षण				
प्राथमिक स्तर	शारीरिक क्षमता एवं योग्यता के आधार पर पुरुष व महिलाएँ समान हैं।	पुरुष व महिलाओ में, समानता की भावना विकसित करना।		शिक्षक "विद्यालय", "स्वास्थ्य सुविधाएँ" "गॉव पंचायत" के माध्यम से समझाये कि सभी क्षेत्रो में नारियॉ पुरुषों की तरह नेता, डाक्टर, सरपंच, इन्जीनियर, समाज सेविका आदि के काम मे उभरती रही है और अब भी ऊभर रही हैं। अतः दोनों ही समान रूप से प्रशसनीय है।
	लड़को के साथ-साथ लड़कियो को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के बारे में जागृत करना।	लड़के लड़कियो को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करना।		शिक्षक विद्यालय, परिवेश से, समुदाय तथा पुस्तकों से उदाहरण देकर अपने कथन की सार्थकता को स्पष्ट करें।

1	2	3	4	5
	अनेक वीरांगनाओं की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानकारी देना।	स्वतन्त्र भारत के इतिहास को प्रत्यास्मरण कराकर, छात्राओ मे अबला भाव के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।		शिक्षक पाठ्य वस्तु पढ़ाते समय प्रसागिक विवेचना करे।
	माता-पिता की सम्पति पर लड़के व लड़कियो का समान अधिकार है, का जानकारी देना।	लड़कियो को लड़कों के समान, समानता के भाव को उजागर करना।		—सम— शिक्षक छात्राओ को हाऊस कैप्टन, स्टूडैंन्ट कौंसिल का सभापति तथा कक्षा में मानीटर बनने का समान अवसर प्रदान करे।
	महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।	लड़कियों को लडकों के समान अवसर प्रदान करना।		—सम— आदि।

उपरोक्त प्रस्तावित शिक्षण के अतिरिक्त बालक/बालिकाओ के विकास एव उन्नयन हेतु शिक्षकों को निम्न पग आवश्यक रूप से उठाने होंगे :-

- छात्र/छात्राओ के साथ मैत्रीपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर उनकी समस्याओं का पता लगा कर, निदान करना होगा।
- बालक/बालिकाओं के लिए सुधारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करनी होगी।
- छात्र/छात्राओं की उपलब्धियो का निरंतर मूल्याकन करना होगा।
- छात्र/छात्राओं के शिक्षण कार्य मे सुधार हेतु प्रयत्नशील रहना होगा।
- पूरक अधिगमीय सुविधाएँ जुटानी होगीं।
- पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले सम्भावित छात्र/छात्राओ की ओर विशेष ध्यान देना होगा।
- मेधावी छात्र/छात्राओ तथा कमजोर छात्र/छात्राओं हेतु अलग से अधिक समय देना होगा जिनसे उनका विश्वास और दृढ़ हो।
- छात्र/छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर हेतु प्रयास करना होगा।
- कक्षा में जाने से पूर्व अधिगम क्रियाओं हेतु शिक्षण की रुचिकर एव प्रभावी योजनाए बनानी होगी।
- प्रतिदिन कक्षा शिक्षण के परिणामो का मूल्याकन करना होगा।

हिन्दी (कक्षा एक से पाँच)

सामान्य-समीक्षा

हरियाणा राज्य की कक्षा एक से पाँच तक की हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों का पुनरवालोकन करने पर पता चलता है कि ये पुस्तकें "स्त्री-पुरुष-समानता" के सदर्भ को ध्यान मे रखकर बनायी गयी है और कुछ पाठ्य पुस्तकें तो लिंग भेद से लगभग मुक्त हैं। इन पुस्तको मे महिलाओं के आर्थिक योगदान, उनकी बुद्धिमतता तथा अधिकार को कथा/लेखों/कविताओ के माध्यम से उजागर किया गया है। कुछ खेलो मे भी उन्हें हिस्सा लेते दिखाया गया है। कुछ कहानियों में महिला पात्र प्रधान है, कुछ में उन्हें व बालिकाओं को पुरुषों तथा बालकों के साथ दिखाया गया है। परन्तु कहीं-कहीं असमानता रह गयी है, जैसे अधिकतर चित्रों मे बालक/पुरुष दिखाये गये हैं। चाहे वे त्यौहार मनाने के चित्र हों अथवा रोज़ की दिनचर्या। बाहर घूमने (जैसे मेले आदि में जाना) अथवा मनोरंजन करते हुए बालक का ही वर्णन है, जबकि यह अधिकार बालिका का भी है। हमारा समाज बालिकाओ को इस अधिकार से वंचित रखता है। अतः पुस्तको के माध्यम से उनको, उनका यह हक मिलना

ही चाहिये। किसान के रूप मे केवल पुरुष का ही वर्णन है जबकि कृषि कार्यों में महिलायें भी समान रूप से भागीदार हैं, पुस्तकों में यह भी परिलक्षित किया जाना चाहिये। अध्यापन क्षेत्र में काफी महिलायें हैं परन्तु अधिकतर जगह पुरुष ही अध्यापक दिखाये गये हैं। कुछ पुस्तको में पुरुष/बालक प्रधान पाठ बहुत अधिक हैं। स्त्री व पुरुष तथा बालिका व बालक दोनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पाठो का चुनाव भी किया जाना चाहिए जिससे महिलाओ/ बालिकाओ की बहुमुखी प्रतिभा का अनुमान हो सके। इन पुस्तको मे गीता एक सलौनी बाला, अधिकार व धनिया की बुद्धिमतता आदि इस दिशा मे सराहनीय प्रयास है।

हिन्दी -1

पाठ	*टिप्पणी*	*सुझाव*
पाठ - 13	रमेश मेला देखने गया। बालक को मेले मे मनोरंजन करते दिखाया गया है जबकि बालिका को घर पर दिखाया गया है।	मनोरजन बालक/बालिका दोनो का हक है। बालकों को भी दिखाना चाहिये था।
पाठ - 14	पाठ बालक पर है	बालक/बालिका — दोनो होने चाहिए।
पाठ - 15 पेज 27	चित्र में बालको को होली खेलते दिखाया गया है।	त्यौहार बालक-बालिका, स्त्री-पुरुष मिलकर मनाते है। अतः चित्रों में भी ऐसा ही दिखाया जाना चाहिये।
पेज 28	पुरुष पात्रों की प्रधानता है।	धोबिन-धोबी, दोनो ही धुलाई अथवा प्रेस करते हैं।
पाठ - 16	उपयुक्त है।	
पाठ - 19	पाठ के द्वारा दिखाया गया संदेश “माँ-बाप का कहना मानों” तो उत्तम है परन्तु पाठ मे केवल बालक ही दिखाया गया है।	ऐसे पाठों द्वारा बालकों में यह भावना दृढ़ होगी कि बाहर जाना व खेलना उनका अधिकार है साथ ही बालिकाओं मे हीन भावना का विकास होगा

पाठ	*टिप्पणी*	*सुझाव*
पाठ - 23	सभी चित्रो में बालक की दिनचर्या दिखाई गयी है।	ये सभी कार्य बालिकाओ के लिये भी उतने ही जरूरी हैं, जितने बालको के लिए/अतः चित्रो में उन्हे भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।
अभ्यास-1	हल जोतते किसान का चित्र है। उपयुक्त है।	हल जोतने के अलावा कृषि में और बहुत से काम होते है जिन्हे महिलाये करती है, का वर्णन भी होना चाहिये।
अभ्यास-2		

हिन्दी - 2

पाठ	*टिप्पणी*	*सुझाव*
हमारी प्रतिज्ञा	पाठ उत्तम है।	—
पाठ - 6	उत्तम है।	—
पाठ - 5 (साहसी बालक) पाठ-9 (घीसाराम) पाठ-10 (डाकिया) पाठ-11 (ईमानदार लकड़हारा) पाठ-13 (दया)	ये सभी पाठ पूर्ण रूप से बालक/पुरुष प्रधान है।	ऐसे पाठों का चुनाव किया जाये, जिनमें बालक/बालिका दोनो का विवरण हो।
पाठ-14 (दादी माँ) पाठ-16 (राखी) पाठ 23 (आजादी)	पाठ उपयुक्त है। परन्तु महिलाओ को परम्परागत भूमिकाओं में ही दिखाया गया है।	कुछ ऐसे पाठों का चुनाव किया जाना चाहिये जिनमें महिला पात्र प्रधान हों, साथ ही उन्हें नवीन रूपो में दिखाया गया हो।

पाठ	*टिप्पणी*	*सुझाव*
पाठ-3	पाठ में बालक मुख्य पात्र है। अध्यापक भी पुरुष है।	बालिकाओं को भी शामिल किया जा सकता था। अध्यापिकाओं की संख्या बहुत है। अतः पुस्तकों में भी यह परिलक्षित किया जाना चाहिये।
पाठ-7	पाठ में बालक ही प्रधान है।	बालिकाएँ तथा स्त्रियाँ भी मेला देखने जाती है। यदि नहीं जाती तो उन्हें ले जाना जाहिये। अतः पुस्तकों के ऐसे विवरणों में बालक/बालिका दोनों को शामिल करना चाहिये।
पाठ-9	पाठ अच्छा है।	
पाठ-13 कबड्डी	पाठ के चित्र मे लड़कें ही दिखाये गये हैं। विवरण में भी बालक ही हैं।	कबड्डी लड़कियाँ भी खेलती है, इसका विवरण भी होना चाहिये।
पाठ-20	होली के चित्र में केवल बालक ही है।	ऐसे चित्रों में बालक-बालिकाये दोनों को दर्शाना चाहिये।
पाठ-22 मेहनत का फल	पाठ का कथानक अच्छा है। इसमें एक ग्रामीण बालक को अपने परिश्रम तथा माता-पिता के सहयोग से आई.ए.एस. परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते बताया गया है। इससे ग्रामीण बालको का उत्साह बढेगा।	प्रतिभा की ग्रामीण बालिकाओ मे भी कमी नहीं है। उनको अवसर ही नहीं दिये जाते हैं। अतः उनका उत्साह बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है।

हिन्दी भाग - 4

पुस्तक लगभग लिंग असमानता से मुक्त है।

पाठ-2	धनिया की बुद्धिमता	विशेष रूप से सराहनीय प्रयास है।
पाठ-5	गीता एक सलोनी बाला	
पाठ-10	सखी को पत्र	
पाठ-19	खो-खो का मैच	
पाठ-23	यादवेन्द्र उद्यान पिंजौर	

हिन्दी भाग - 5

पुस्तक लगभग लिंग असमानता से मुक्त है।

अधिकतर कहानियां उत्तम हैं। यह महिलाओं के आर्थिक योगदान तथा उनके साहस को उजागर करती है। ऐसी और कहानियों/लेखों की आवश्यकता है।

गणित (कक्षा 2 से 5)

सामान्य समीक्षा

गणित की पुस्तकों में बालक/बालिका, स्त्री/पुरुष सभी पर प्रश्न हैं, परन्तु बालिकाओं/स्त्रियों पर प्रश्नों की संख्या बालक/पुरुषो पर प्रश्नो की अपेक्षा बहुत कम है।

महिलाओं की आर्थिक भूमिकाओं को प्रगट करने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। मजदूर, किसान, दुकानदार, बुनकर सभी पुरुष दिखाये गये हैं। जबकि यह सच्चाई नहीं है। घर का कार्य करने के साथ-साथ महिलायें मजदूरी व कृषि कार्य भी बहुतायत में करती हैं और पुस्तकों मे यह दिखाया जाना अति आवश्यक है। आज महिलायें दुकानदार भी हैं, क्रय-विक्रय के बहुत से कार्य करती है, तथा बैंक से लेन देन भी करती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलायें सहकारी समितियाँ तथा दुग्ध उत्पादन संस्थान आदि चलाती हैं। घर की आमदनी का लेखा जोखा रखती हैं व बचत करती है। पुस्तकों के माध्यम से उनकी इन भूमिकाओ की चर्चा की जानी चाहिये।

गणित की सभी पुस्तकों में धन सम्बन्धी प्रश्नों मे महिलाओं को बहुत कम दिखाया गया है। इससे बालिकाओं में ऐसा विश्वास दृढ होगा कि स्त्रियाँ/बालिकायें धन सम्बन्धी

कार्य करने में अथवा हिसाब-किताब रखने में सक्षम नहीं है, जबकि यह सत्य नहीं है। अतः पुस्तकों के माध्यम से इस असमानता को दूर किया जाना चाहिये।

गणित भाग -2

पुस्तक मे बालक/बालिका, स्त्री/पुरुष दोनों पर प्रश्न हैं, परन्तु बालक/पुरुषों पर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है।

महिलाओं को आर्थिक भूमिकाओं में बहुत कम दिखाया गया है। क्रय-विक्रय सम्बन्धी प्रश्नों में भी महिलायें बहुत कम दिखाई गयी हैं।

गणित भाग -3

प्रश्नावली/पाठ	*टिप्पणी*	*सुझाव*
प्रश्नावली 8	लगभग सभी प्रश्न बालक/पुरुषों पर हैं। दुकानदार, किसान, खरीददार विक्रयकर्त्ता, बैंक होल्डर सभी पुरुष हैं।	महिलायें मजदूर भी है, किसान भी हैं, क्रय-विक्रय का कार्य भी करती हैं तथा बैंक में खाता भी खोलती हैं। अतः गणित विषय द्वारा उनके आर्थिक योगदान का उल्लेख किया जाना चाहिए।
प्रश्नावली 10	दो उदाहरण तथा चार प्रश्न पुरुष/बालकों पर हैं, केवल एक मे महिलाओं का वर्णन है।	रुपये, पैसे और धन सम्बन्धी प्रश्नो मे महिलाओ/बालिकाओं के उदाहरण भी दीजिये।
प्रश्नावली 11	सभी प्रश्न तथा एक मात्र उदाहरण पुरुषों पर है।	क्रय-विक्रय के उदाहरणों में महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिये।
प्रश्नावली 18-19	पुरुषों/बालकों पर बहुत अधिक प्रश्न हैं, जबकि लड़कियों/महिलाओं पर केवल दो प्रश्न हैं।	प्रश्नों की संख्या की असमानता दूर कीजिये।

गणित भाग - 4

सम्पूर्ण पुस्तक मे बालिकाओं/स्त्रियो पर प्रश्नो की संख्या बालकों/पुरुषो की अपेक्षा काफी कम है। महिलाओ/बालिकाओ के ऊपर केवल तीन प्रश्न है, जबकि पुरुषों/बालकों के ऊपर 21 प्रश्न है।

मजदूर, किसान, दुकानदार के रूप में महिलाओं की पहचान नहीं करायी गई है। उन्हें केवल उपभोक्ता के रूप मे ही दिखाया गया है।

गणित भाग -5

प्रश्नावली	*टिप्पणी*	*सुभाव*
प्रश्नावली 9	एक मात्र उदाहरण तथा तीन प्रश्न बालकों/पुरुषो पर है। महिलाओं पर एक भी प्रश्न नहीं है।	महिलाओं पर भी प्रश्न दीजिये।
प्रश्नावली 21	मजदूरो पर दो प्रश्न हैं, दोनों में पुरुष मजदूर हैं।	महिला मजदूरों की कमी नहीं है। अतः प्रश्नों में भी यह बात आनी चाहिये।
प्रश्नावली 38	तीन प्रश्न मजदूरो पर है। सभी में पुरुष हैं। बाज़ार/डाकखाने जाने के लिए भी बालक को ही चुना गया है।	महिला मजदूरों पर भी प्रश्न दीजिए। बाज़ार जाने/डाकखाने बैक आदि के कार्यों में बालिकाओं को दिखाइये।
प्रश्नावली 39-40	मजदूर, बढ़ई पर 10 प्रश्न है। सभी पुरुष है।	इस असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं पर भी प्रश्न दीजिये।
इकाई 10	सभी उदाहरण बालक/पुरुषो पर हैं।	बालिकाओं/महिलाओ पर प्रश्नो की सख्या बढ़ाइये। महिलाओ को घरेलू

प्रश्नावली	टिप्पणी	सुझाव
प्रश्नावली 41	महिलाओं पर दो उदाहरण हैं, दोनो में उन्हें परम्परागत घरेलू कार्यों से संबंधित दिखाया गया है।	कार्यों के साथ-साथ अन्य रूपो मे भी दिखाइये जैसे महिला दुकानदार महिला कार्यकर्त्ता, महिला किसान, महिला मजदूर आदि। घरेलू कार्यों मे पुरुषो को शामिल कीजिये क्योकि ये जिम्मेदारी दोनो की है।
प्रश्नावली 42	परीक्षा सम्बन्धी प्रश्नो मे केवल बालक ही दिखाये गये हैं। गणित विषय मे केवल बालको का वर्णन है।	शिक्षा दोनो ही लेते हैं, स्कूलों मे दोनों ही होते है। गणित विषय में बालिकाये भी पीछे नही है। यह और बात है कि उन्हें इस विषय पर अधिक ध्यान देने का या तो समय नहीं दिया जाता अथवा माँ बाप या अध्यापक उन्हे यह विषय पढने के लिये उत्साहित नही करते। इन सामाजिक कठिनाइयो को ध्यान मे रखते हुए बालिकाओ का उत्साह, शिक्षा तथा गणित विषय बढ़ाने के लिए उन पर अधिक प्रश्न दिये जाने चाहिये।
इकाई 11	लाभ हानि पर दो उदाहरण हैं, दोनों पुरुषों पर है।	महिलाओ पर भी उदाहरण दीजिए।
प्रश्नावली 46	पुरुष दुकानदार पर 4 प्रश्न है, महिलाओ पर प्रश्न नही हैं।	महिलाओ पर भी प्रश्न दीजिये। महिलायें सब्ज़ी विक्रेता हैं, फल विक्रेता है, कृषि भडार चलाती है तथा अन्य छोटी-बड़ी दुकानदारी करतीहै।

प्रश्नावली 46	क्रय विक्रय वाले प्रश्न में पुरुषों पर 10 प्रश्न तथा महिलाओं पर केवल दो प्रश्न हैं।	इस तरह के प्रश्नो में महिलाओं को भी सम्मिलित कीजिये।
प्रश्नावली 48	ब्याज़ के प्रश्नों में 6 प्रश्न पुरुषों से सम्बन्धित हैं, जबकि केवल एक ही प्रश्न मे महिला को बैक से लेन-देन करते दिखाया या है।	आज के बदलते परिवेश मे महिलाये धन, सम्पति, बैंक आदि सभी कार्य करती हैं। अतः प्रश्नों से उन्हें इन कार्यो मे दिखाने की आवश्यकता है।
इकाई-15 पृष्ठ-135	विद्यार्थियों के पिता के व्यवसायों के चित्र हैं।	इनके स्थान पर माता-पिता के व्यवसायों के चित्र होने चाहिये।
पृष्ठ-138	जनसंख्या को दर्शाते चित्र में केवल पुरुष ही दिखाये गये है।	जनसंख्या सम्बन्धी चित्रों अथवा वर्णन मे महिला, पुरुष, बालक, बालिका सभी का विवरण होना चाहिये।
पृष्ठ-139	चित्र में कुछ खेलो के खिलाड़ी दिखाये गये हैं। सभी पुरुष/बालक खिलाड़ी है।	बालिकाओं/महिलाओं को खेलो के चित्रो में शामिल किया जाना चाहिये।

अध्याय 5

अन्तः क्षेप – शिक्षक प्रशिक्षण में

शिक्षा के क्षेत्र मे समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करके ही सार्वभौमिकीय प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। हरियाणा में वर्ष 91-92 के अन्तर्गत लगभग सभी बालको को विद्यालयो मे नामाकन किया जा चुका है परन्तु बालिकाएँ अभी भी विद्यालयो से बाहर है, केवल 90% के लगभग बालिकाओ का नामाकन किया गया है। इन बालको तथा बालिकाओ को विद्यालयो मे बनाए रखने के लिए, विभाग तथा शिक्षक दोनो को ही क्रियाशील एवं प्रयत्नशील रहना होगा। महिलाओ की समानता के लिए शिक्षा एक अत्याधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, विशेष रूप से विज्ञान, व्यावसायिक तकनीकी और वाणिज्य शिक्षा जैसे क्षेत्रो मे जिसमे महिलाओ का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, उनकी भागीदारी बढाई जानी चाहिए। महिलाओ मे समानता और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए समूचे शिक्षा तत्र को नया रूप दिया जाना जाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पहले शिक्षा तत्र के आधार, प्राथमिक शिक्षा को सभी प्रकार से सबल तथा सशक्त बनाया जाए।

वर्तमान स्थिति –

– प्रारम्भिक स्तर पर वर्ष 91-92 मे हरियाणा मे 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु की समस्त बालिकाओ का अभी तक विद्यालयो मे नामाकन नहीं हो पाया है, यद्यपि बालको का लगभग शतप्रतिशत नामांकन हो चुका है, ऐसा अनुमान है कि अभी भी सार्वभौमिक नामाकन नही है और न ही सार्वभौमिक प्रतिधारण।

– अल्प सख्यक वर्ग के अधिकाश बालक/बालिकाएँ, सभी वर्गों के विकलाग बालक/बालिकाएँ तथा अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाएँ अभी भी विद्यालयो से बाहर हैं।

अतः इस स्थिति से निपटने के लिए शैक्षिक प्रशासक तथा विद्यालयो मे कार्यरत शिक्षक दोनों ने मिलकर तथा क्रियाशील रह कर निम्न कदम उठाए हैं :-

पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना –

— राज्य मे सरकार द्वारा संचालित 8 ज़िला शिक्षा प्रशिक्षण सस्थान तथा नीजि संस्थाओ द्वारा संचालित 6 जे.बी.टी. ट्रेनिंग सेन्टर कार्यरत है, ये सभी सस्थान प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षकों की मॉग को पूरा करने में सहायक है।

सेवाकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन –

— राज्य शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद् हरियाणा, गुड़गॉव तथा ज़िला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान, गुडगॉव एवं सोनीपत द्वारा शिक्षको की शिक्षण प्रक्रिया मे अभिवृद्धि हेतु एव सुधार तथा उनके दृष्टिकोणो में अनुकूल परिवर्तन हेतु सभी स्तर के अध्यापको को प्रशिक्षित किया जाता है। इन प्रशिक्षणो के माध्यम से अध्यापक/अध्यापिकाओ को :-

  — वॉछित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु शिक्षा क्षेत्र मे हुए परिवर्तनों/नवाचारों से अवगत कराया जाता है।

  — वे इस उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किये जाते है कि वे भाषा शिक्षण, कला शिक्षण, परिवेश शिक्षण, कार्यानुभव शिक्षण तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण के माध्यम से (i) बालिकाओं के प्रति समानता व समता का भाव उत्पन्न कर सकें। (ii) विकलाग बच्चो के शिक्षण को प्रभावी बना सकें। (iii) अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति वर्ग के बालक बालिकाओं को उनकी रुचि एव आवश्यकतानुसार शिक्षित कर सकें।

  — पाठ्य वस्तु को रुचिपूर्ण सरलतम रूप मे छात्र/छात्राओ के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण सामग्री को प्रयोग करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

  — विद्यालय संचालन से संबधित प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया जाता है।

एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षको के प्रशिक्षण हेतु निम्न कदम उठाये जा रहे है :-

राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन –

शिक्षकों व छात्र/छात्राओ हेतु इन शिविरो का आयोजन –

— देश के प्रति प्रगाढ आस्था के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने हेतु किया जाता है।

— भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओ के गीतो को सिखाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा क्षेत्रीयता व प्रान्तीयता के आधार पर अलगाव के विचारो को त्यागने की भावना तथा एक दूसरे की भाषा के प्रति आदर प्रदर्शन करने की भावना का विकास होता है।

जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा —

जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरण प्रदूषण जैसी राष्ट्रीय समस्याओ से छुटकारा पाने हेतु शिक्षिक/शिक्षिकाओ को प्रशिक्षित किया जाता है जिससे वे अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्र/छात्राओं मे इन समस्याओ के प्रति जागरुकता विकसित कर सकें। इन क्षेत्रो में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाये शिक्षण के दौरान —

- छात्र/छात्राओ मे उनके भावी जीवन में छोटे परिवार की सकल्पना को स्थायी बना पाते है।
- छात्र/छात्राओ को पर्यावरण तथा जनसख्या विस्फोट के सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझा पाते हैं।
- छात्र/छात्राओ मे व्यक्तिगत तथा सामाजिक परिवेश से सम्बन्धित स्वच्छता के मूल सिद्धान्तो को आसानी से समझा पाते है।

भाषा विकास हेतु प्रशिक्षण —

अध्यापक/अध्यापिकाओ को भाषा शिक्षण मे विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ छात्र/छात्राओ मे —

- उच्चारण सम्बन्धी कमियो को दूर करते है।
- वर्तनी सम्बन्धी त्रुटियो को दूर करते है।
- सुलेख लिखने की भावना को विकसित करते है।
- व्याकरण सम्बन्धी कुशलताओ को विकसित करते है।

शैक्षिक प्रसारण कार्यक्रम —

शिक्षको/छात्र/छात्राओ हेतु आकाशवाणी रोहतक से उपयोगी विषयों/उपविषयो पर जो पाठ्यक्रम से सम्बन्धित होते है, या विशेष महत्व के होते है, पर चर्चा/वार्ता प्रसारित की जाती है। इन कार्यक्रमो की रूपरेखा बनाने हेतु तथा आलेख लिखने हेतु विशेषज्ञो को प्रशिक्षित किया जाता है। यह उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव का शैक्षिक तकनीकी अनुभाग सम्भालता है।

युवा संसद कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत् विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओ के सचालन हेतु प्रतिभागी विद्यालयो के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र/छात्राओं को संसद सम्बन्धी कार्यवाही के संचालन के बारे मे जानकारी, प्रश्नोत्तरकाल, विधेयक पर विचार विमर्श, आदि के बार मे जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार छात्र/छात्राएँ –

- ससद कार्य प्रणाली को भली भाँति समझ पाते हैं।
- अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों से अवगत होते है।
- समानता केभाव से परिचित होते हैं।
- अधिकारों की समानता के भाव से परिचित होते है।
- प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त करते हैं.
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं।
- नेतृत्व के गुणो के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त करते हैं।

संदर्शन एवं परामर्श –

संदर्शन एवं परामर्श अनुभाग द्वारा क्षेत्र के शिक्षकों को संसाधन व्यक्तियो के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षित अध्यापक छात्र/छात्राओं को –

- रुचि एव क्षमता के अनुकूल विषय चयन में सहयोग देते हैं।
- छात्राओं की विभिन्न समस्याओं को हल करने में सहायता देते है।

ज़िला अंग्रेजी शिक्षण केन्द्र –

इस योजना के अन्तर्गत ज़िला गुड़गाँव के सभी उच्च/उच्चतर विद्यलयों में अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा अन्य ज़िलो के अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षिण को देने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ विद्यालयो के छात्र/छात्राओ मे –

- अंग्रेजी भाषा को सीखने के प्रति रुचि विकसित करने का प्रयास करते हैं।
- अंग्रेजी भाषा में व्याकरण का उपयुक्त प्रयोग सिखाने के प्रयास करते हैं।
- अंग्रेजी लेखन में आने वाली कमियों को दूर करते हैं।
- अंग्रेजी के शुद्ध उच्चारण पर विशेष जोर देते हैं/प्रयास करते हैं।

कम्प्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम. –

क्षेत्र के अध्यापक/अध्यापिकाओ के लिए प्रशिक्षण के "क्लास प्रौजैक्ट" के अन्तर्गत् कम्प्यूटर लिटरेसी सम्बन्धी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते है। ये प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाएँ विद्यालयो मे जाकर छात्र/छात्राओ के लिए कम्प्यूटर सम्बन्धी शिक्षण प्रदान करते हैं।

पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन/अद्यतन –

कक्षा एक से आठवी तक विभिन्न विषयो की पाठ्य पुस्तको का वाछित उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय समय पर क्षेत्र के आमन्त्रित अध्यापक/अध्यापिकाओ को प्रशिक्षण/मार्गदर्शन देकर पुनरवालोकन कराया जाता है। जनसख्या शिक्षा, बचत योजना, पर्यावरण शिक्षा, महिला पुरुष समानता का भाव इत्यादि से सम्बन्धित विचारो को पाठ्य पुस्तको के उन हिस्सो में उभारा जाता है जहाँ उनको आवश्यक समझा जाता है।

समेकित शिक्षा –

अशक्त बालको हेतु समेकित शिक्षा प्रदान करने हेतु उन अध्यापक/अध्यापिकाओ को प्रशिक्षित किया जाता है जो निर्योग्य, अशक्त तथा अपग छात्र/छात्रों को विद्यालय मे लाकर –

- उनका नामाकन करवाते है।
- उनको विद्यालय मे बनाये रखने का प्रयास करते है।
- उनकी विकलागता के अनुसार वाछित उपकरण दिलवाकर उनकी सहायता के प्रयास करते है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरियाणा मे वर्तमान मे विद्यालयी शिक्षा मे गुणात्मक सुधार लाने हेतु तथा शिक्षा के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण अन्तःक्षेप के माध्यम से काफी प्रयास किए गये है। परन्तु सार्वभौमिक नामाकन एवं प्रतिधारण तथा उपलब्धियो से सम्बन्धित उद्देश्यो की प्राप्ति के सदर्भ मे विचार किया जाए तो प्रगति सन्तोषजनक प्रतीत नही होती। समाज मे व्याप्त अधविश्वासी मान्यताए, लड़के तथा लड़कियो के प्रति असमानता का व्यवहार, वचित वर्ग के छात्र/छात्राओ के प्रति शिक्षको का उदासीन व्यवहार तथा विकलाग बच्चो के प्रति अवहेलना का भाव यह सोचने पर बाध्य करता है कि हमारे शिक्षको मे कही न कही कोई अपूर्णता अवश्य है। इस कटु सत्य को ध्यान मे रख कर हमे शिक्षकों के लिए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन करना होगा जिनमे इन मुद्दो पर खुलकर चर्चा हो सके तथा उन शिक्षक इन बिन्दुओ को उभार सके जिनके कारण

वे अपने शिक्षण को उद्देश्यों की पूर्ति के अनुकूल क्रियात्मक रूप नहीं दे पाये है। इन प्रशिक्षण शिविरो में इन बिन्दुओं पर उभरी विषमताओ को दूर किया जाये तथा शिक्षको को उचित प्रशिक्षण देकर उनके शिक्षण को प्रभावी तथा उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाये। इस सन्दर्भ मे निम्न बिन्दुओ पर ध्यान देना होगा –

छात्र/छात्राओं में समानता एवं समता का व्यवहार विकसित करने हेतु –

– शिक्षक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये कि वह कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाते समय सभी संदर्भों में छात्र/छात्राओ की सामूहिक भागीदारी को प्रेरित करे तथा प्रयोगात्मक रूप मे छात्र/छात्राओ को उसे निभाने हेतु समान रूप से अवसर प्रदान करे तथा उसे पूरा करने हेतु उन्हे समान उत्तदायित्व सौपे।

– प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षको मे महिला पुरुष के भेदभाव के पूर्वाग्रहो को दूर किया जाये। ऐसा इसलिए सोचा जा सकता है, क्योकि अधिकांश शिक्षक ग्रामीण अचल से है और महिला-पुरुष मे भेद के भाव उन्हे विरासत मे प्राप्त होते है। अतः उनका दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है और यह प्रशिक्षण द्वारा ही सम्भव है। ऐसे प्रशिक्षण के बाद ही शिक्षक छात्र/छात्राओ को समानता का व्यवहार करने की शिक्षा दे सकेगा।

शिक्षक प्रशिक्षण की संस्थाओं को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों से और तकनीकी उपकरणों से सुदृढ़ किया जाये जिससे –

– शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक योग्य हो जो प्रशिक्षण के दौरान आम प्राविधियो के स्थान पर नए नवाचारो से युक्त प्राविधियों को बता पायें।

– शिक्षक शैक्षिक प्रौद्यागिकी में उचित प्रशिक्षण लेकर उनका प्रयोग अपने शिक्षण में कर सकें और जिन केन्द्रिक तत्वों से सम्बन्धित मूल्यों को छात्र/छात्राओं मे स्थायी रूप से विकसित करना चाहते है, उसमें सफल हो सकें।

– प्रशिक्षक एवं शिक्षण के दौरान शिक्षक, इन्टरेक्टिव लर्निंग में इन ससाधनो का अत्याधिक प्रयोग कर सकें। इससे प्रशिक्षण एवं शिक्षण दोनों ही प्रभावी हो सकेंगे।

विकलाग बच्चों के अध्यापकों को प्रशिक्षण

– एस.सी.ई.आर.टी. हरियाणा, गुड़गाँव के आई.ई.डी. अनुभाग द्वारा विगलाग बच्चो के अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार के प्रकोष्ठ सभी ज़िलों के ज़िला प्रशिक्षण संस्थानो (डी.आई.ई.टी.) में भी स्थापित किए जाये तथा उनमें प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएँ, जिससे राज्य के समस्त विकलाग बच्चों को शिक्षा तथा उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की ओर पूरा पूरा ध्यान दिया जा सके।

— सभी सेवारत शिक्षको मे अभिविन्यास कार्यक्रमो मे विकलांग बच्चो की शिक्षा के प्रति जागरुकता का भाव पैदा किया जाये। सस्थानो, विद्यालयों और शैक्षिक प्रशासकों को भी प्रशिक्षण दिया जाये। यह इसलिए आवश्यक है कि जो विकलाग बच्चों को सहायता दे सकता है, वह दे दे जिससे उनकी जरूरत पूरी हो सकें। यह कदम विकलाग बच्चो के प्रतिधारण मे अत्यन्त सहायक सिद्ध होगा।

अल्पसंख्यक वर्ग एवं वंचित वर्ग के छात्र/छात्राओं के शिक्षा के लिए —

— शिक्षको को उपचारी कोचिग देने हेतु प्रशिक्षित किया जाये। इस प्रकार की कोचिंग मे सवर्धन कक्षाओ (इनरियमेट क्लासिज़) की सकल्पना को स्थान दिया जा सकता है।

— इन वर्गो की लड़कियों को शिल्प सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के लिए महिला शिक्षकाओ को प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वे शिल्प सीखने के लालच मे विद्यालय आती रहे। यह प्रतिधारण हेतु एक आवश्यक कदम है।

शिक्षक प्रशिक्षण एवं महिला शिक्षा प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम शिक्षण शैली एवं कार्यक्रम में महिला शिक्षा का स्थान :-

महिला शिक्षा को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे स्थान देने की आज के परिप्रेक्ष्य मे अत्यधिक आवश्यकता है। क्योकि गिरता हुआ राष्ट्रीय चरित्र, रोजगार प्राप्ति की होड़ में भ्रष्टाचारी को महत्वपूर्ण स्थान, मानस मन पर हिसात्मक प्रवृत्ति का बोलबाला, मन की सकीर्णता से उत्पन्न साप्रदायिकता व धर्म जाति के नाम पर सघर्ष, भारतीय सस्कृति से विमुख बाल शिक्षा व राष्ट्र मे व्याप्त आर्थिक वातावरण प्रदूषण से उत्पन्न संकट, ऊर्जा सकट, आदि अनन्त समस्याओ से यदि सुलझने की ताकत भावी नागरिको को देनी है तो कुल नागरिकता मे 50 प्रतिशत सख्या महिलाओ की भी है। जिन्हें कई कारणो से पीछे ढकेला गया है और अवसर की समानता नही मिली है, घर की चार दीवारो तक उसे सीमित कर दिया गया है। स्त्री को अयोग्य मानकर उसे जो उपेक्षित व्यवहार मिला, बचपन से ही पुरुषो के अधीन रहने के सस्कार डाले गये, पुरुषो की दया एव कृपा पर निर्भर रहकर उसे सदैव परावलम्बी बनाये रखा गया। इसलिए महिला समाज में निहित उसकी आत्म शक्ति, मातृशक्ति, मनोबल छिपा का छिपा रहा तथा समाज मे उसकी सृजनात्मकता का उपयोग नहीं हुआ। इसलिए शिक्षा प्रणाली मे निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ बालिकाओ एव महिलाओ की शिक्षा को महत्व मिलना चाहिए। यह कथन शाश्वत सत्य है कि "यदि माँ को सुशिक्षित करते है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, यदि पिता को शिक्षित करते है तो केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है।" अतः प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में महिला शिक्षा को निम्न उद्देश्यो से डाला जाना चाहिए

1. पर-नारी, स्त्री, पुरुष, लड़के-लड़कियो का भेद मिटाना, सबको समाज में समान स्थान प्राप्त हो।
2. पुरुष समाज का नारी जीवन के प्रति सम्मान जागे, उसकी मातृ शक्ति, प्रेम, करुणा के प्रति पुरुष समाज प्रेरित हो।

(अ) पाठ्यक्रम का स्वरूप :-

पाठ्यक्रम में दो तरह की विषयवस्तु सम्मिलित की जानी चाहिए :-

1. नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने, उसे जागृत करे, तथा जीवन मे उसका उपयोग सृजनात्मकता मे लाये।
2. पुरुषों का नारी के प्रति दृष्टिकोण बदलने वाले कार्यक्रम, पुरुष व समाज को मातृ शक्ति, नारी शक्ति के बारे मे अहसास कराने वाली विषयवस्तु।

(1) नारी की आत्म निर्भरता के लिए निम्न विषय हो सकते है :-

आय प्राप्ति के साधन, कुटीर, लघु उद्योग व्यापार शैली, ग्रामीण शैली, आय प्राप्ति के रोजगार के स्त्रोत, नई-नई वस्तु के निर्माण की शैली तथा व्यावसायात्मक महिला प्रशिक्षण।

(2) नारी को निडर, निर्भीक व दृढ़ निश्चयी बनाने वाले पाठ्यक्रम में :-

प्रेरक व नेतृत्व करने वाली महिला चरित्र, महिला सगठन क्यों, कैसे, महिलाओ के नेतृत्व के विधि क्षेत्र, उन महापुरुषो के चरित्र जिसके पीछे महिलाओं का हाथ रहा है, जैसे – गांधी के पीछे कस्तूरबा, शिवाजी के पीछे उनकी माँ जीजा बाई, जय प्रकाश नारायण के पीछे उनकी बहन प्रभावती आदि के जीवन प्रेरक प्रसग।

3. *नारी को संगठित करने वाले पाठ्यक्रम :*
सगठित महिला शक्ति के आदोलन, क्रांति के विभिन्न प्रसंग, स्वतंत्रता संग्राम में गॉधी जी के साथ महिलाओ की भूमिका, महिला संगठन व उनकी उपलब्धियॉ, विभिन्न महिलाओ द्वारा सचालित सस्थाएँ।

4. *महिला समाज को जागरुक बनाने वाले पाठ्यक्रम :*
विभिन्न विषयों सबधी जानकारी जैसे – संतुलित आहार, स्वास्थ्य, पोषण, बाल मनोविज्ञान, ग्रामीण घरेलू साधनो की तकनीकी, कृषिगत साधन व विधि का परिचय, अनाज सरक्षण की नवीनतम तकनीकी, विभिन्न प्रकार की वस्तु निर्माण का प्रत्यक्ष प्रयोग।

5. *महिलाओं को सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाए व लाभ दिलाने वाले पाठ्यक्रम :*
ग्रामीण व शहरी महिला व बाल कल्याण से संबधित सरकारी योजना, महिला श्रम के सरक्षण कानून, महिला की सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी, महिला ग्रामीण कुटीर उद्योग सबधित ऋण सुविधा, बैकिंग सुवधिा।

6. *महिलाओ को समाज के उत्पीड़न से बचाने वाले पाठ्यक्रम :*
विभिन्न सती नारियो के प्रेरक प्रसंग, उनमे वेशभूषा, रहन सहन, सोच विचार को प्रभावित करने वाले तत्व, अश्लील विज्ञापन, मॉडलिंग का विरोध करने वाले तथ्य, बलात्कार एव महिला उत्पीड़न करने वाले कारक व उससे बचने के उपाय मे महिला की भूमिका, हिंसात्मक व अश्लील फिल्मों के प्रति विरोध, उपभोग सस्कृति की क्षण भगुरता के साथ सादा शीलवती, गुणवती जीवन का महत्व।

7. *हिसात्मक शक्ति के विरोध मे मातृत्व शक्ति (प्रेम करुणा की शक्ति) उत्पन्न करने वाले पाठ्यक्रम :*
प्रभुसत्ता मे नारी की निष्ठा, नारी देह के सहज उपलब्ध गुण, स्नेह, वात्सल्य, सहनशीलता, धीरज, क्षमा प्रवृत्ति, दया व्यसनों से मूक जीवन जीने हेतु हिसा मुक्ति कार्यक्रम, शाति सेना का महत्व एवं उसमे महिला की भूमिका, आवश्यकता एव आकांक्षाओ को सीमित करने के संस्कार।

8. *नारी और न्याय सम्बन्धित पाठ्यक्रम :*
नारी को जीवन पर्यन्त सुरक्षा एव न्याय दिलाने हेतु जो कानून बने हैं उस कानून की जानकारी पाठ्यक्रम में आ सकती है। भ्रूण हत्या विरोधी कानून, उत्तराधिकार कानून, दहेज प्रथा उन्मूलन, वृद्धावस्था पेशन, विधवा-असहाय अवस्था का संरक्षण, महिला, बालिका मजदूर, संरक्षण कानून, तलाक सबंधी कानून, एक पति एक पत्नी सबधी हिन्दू विवाह अधिनियम आदि।
उचित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपर्युक्त आठ बिन्दुओ को सम्मिलित करते हुए पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है।

(ब) अध्यापन शैली :-

इसे व्याख्यान, समूह चर्चा, बातचीत, सेमिनार, कार्यपूरक अनुभव, स्वाध्याय, प्रत्यक्ष प्रदर्शन, सस्थाओ के प्रत्यक्ष दर्शन व अनुभव आदि द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(स) नारी को समाज में सम्मान देने एवं लिंग भेद मिटाने के कार्यक्रम :-

1. प्रत्येक शिक्षक अपने घर मे लडके एव लडकी के भेद को समाप्त करे।

2. कक्षा शिक्षण द्वारा महिलाओ को प्राथमिकता देने वाले, समानता स्थापित करने वाले जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करे।
3. शिक्षण सस्थाओ में विभिन्न गतिविधियो मे नेतृत्व के अवसर व प्रेरणा लडकियो को समान रूप से मिले।
4. नारी को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने हेतु कोई भी व्यावहारिक कला अवश्य सिखाई जाये।
5. महिला सगठन बनाकर, महिलाओ के नेतृत्व मे सरकारी सहायता से कार्यक्रम अपनाया जाये।
6. महिला के प्रति शोषण, बलात्कार एवं अभद्र व्यवहार के प्रति संगठित होकर दहेज प्रथा आदि का अहिंसात्मक ढंग से सामाजिक बहिष्कार करे।
7. नशा प्रवृत्ति के कारण महिलाओं पर होने वाले अत्याचारो के विषय पर नारिया संगठित हो तथा मिलकर नशेड़ी पति, भाई और पिता का विरोध करें।
8. नशाबदी हेतु शराब की दुकानो को हटाने का आदोलन करे।
9. महिलाओ द्वारा सचालित संस्थाओं, उद्योग व कृषि आदि अन्य गतिविधियो की प्रत्यक्ष भेट कराई जाये।

(1) जे.बी.टी.सी. के पाठ्यक्रम निर्माण हेतु दिशा निर्देश :-

1. प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर बालिका शिक्षा की उन्नति एवं उन्नयन हेतु शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को, अर्न्तदृष्टि एव कौशल का प्रदान करना।
2. भारतीय समाज में महिला की भूमिका, महत्व एवं योगदान की सराहना करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को प्रोत्साहित करना।
3. सूक्ष्म स्तर पर, प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापिकरण के परिप्रेक्ष्य मे, बालिका शिक्षा की स्थिति को समझना।
4. बलिकाओ की शिक्षा को, सूक्ष्म एवं वृहत्त स्तर पर, प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं जनसंख्या विषयक कारणों के निदान हेतु, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को सक्षम बनाना।
5. महिलाओं में, विकासात्मक आवश्यकताओ की पूर्ति की दृष्टि से शैक्षिक कार्यक्रमों को विकसित करने की क्षमता का विकास करना।
6. महिला शिक्षा की उन्नति हेतु अभिभावको एवं समुदाय के अभिमत एव सहयोग को गतिशीलता प्रदान करने हेतु, व्यूह रचनाये एव क्रियात्मक कार्यक्रमों की पहचान करना।

7. समुदाय में, विकासात्मक क्रियाकलापो के साथ, महिलाओ के शैक्षिक कार्यक्रमो को एकीकृत करना।
8. भारत मे शिक्षा प्राप्त कर रही एव शिक्षा से वचित बालिकाओ के तुलनात्मक साख्यिकी से शिक्षक प्रशिक्षणार्थियो को अवगत कराना।

विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक की भूमिका :

उदाहरणार्थ निम्नाकित पूरी इकाई जोड़ी जाये :

इकाई (क) 1. वैदिक काल से अब तक समाज मे स्त्री-पुरुष के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एव धार्मिक अधिकारों व कर्त्तव्यो का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन।

2. स्त्री-पुरुष मे भेदभाव के क्षेत्र। सामाजिक दोष तथा दहेज, बाल विवाह, सती प्रथा तथा इनका महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव। सन्तान हीनता, आजन्म अविवाहित स्त्री तथा नारी शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण। यह स्त्री जाति के दोष नही है वरन् पुरुष प्रधान समाज के दोष हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन –

3. भेदभाव से होने वाली हानियॉ –
(1) व्यक्तिगत (2) पारिवारिक (3) सामाजिक (4) सास्कृतिक (5) राष्ट्रीय हानियॉ

4. विकासोन्मुख भारतीय समाज मे स्त्री शिक्षा तथा स्त्री पुरुष समानता का महत्व –
(1) पारिवारिक (2) सामाजिक (3) राजनैतिक (4) राष्ट्रीय (5) मानवीय सदर्भो मे।

5. बालिकाओ के सदर्भ मे शिक्षक के दृष्टिकोण एव व्यवहार मे सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता।

6. विकासोन्मुख भारत मे सस्कृति, कला, कृषि, उद्योग, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रो, मे महिलाओ का योगदान।

इकाई 3 : बालिका शिक्षा का महत्व। शिक्षित बालिका द्वारा भविष्य मे बेहतर नागरिकता, मातृत्व तथा शिशु पोषण सबंधी उत्तरदायित्वो का निर्वहन।
बलिका शिक्षा का जनसख्या, बालमृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर पर प्रभाव :

इकाई 4 : "नैतिक शिक्षा" के स्थान पर "मानवीय मूल्यो की शिक्षा" यथा –

(1) सत्य

(2) स्नेह भाव

(3) सदाचरण

(4) एकता

(5) समानता आदि।

इकाई-8 में जोड़ें :

बालिका शिक्षा, विशेषतः ग्रामीण, पर्वतीय एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रो मे। संबंधित व्यवहारिक कार्य में जोड़े :

1. किसी एक ग्राम मे 6 से 14 आयु समूह के बालक बालिकाओ की प्राथमिक शिक्षा सबधी स्थिति का सर्वेक्षण।

2. किसी एक ग्राम में बालिका शिक्षा पर ग्रामीण स्त्रियो और पुरुषो के दृष्टिकोण, अपेक्षाओं का मूल्याकन, विश्लेषण व शिक्षक का मत।

3. भर्ती, शाला त्यागी तथा अपव्यय एवं अवरोध के विशिष्ट संदर्भों मे किसी एक ग्राम मे बालिका शिक्षा की स्थिति।

4. विद्यार्थियों, विशेषतः बालिकाओं में उचित नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु एक व्यवहारिक योजना का निर्माण एव क्रियान्वयन।

बाल — मनोविज्ञान

प्रथम वर्ष

प्रश्न पत्र -2

इकाई 3 — में जोड़ें —

(अ) पारिवारिक पक्ष।

(ब) बाल विकास के पारिवारिक एव सामाजिक पक्षो में बालक-बालिका में भेदभाव के दुष्परिणाम।

इकाई 5 — विषयांश (1) मे जोड़ें —

शिक्षित एव अशिक्षित माता-पिता के परिवारो मे परिलक्षित अन्तर है।

इकाई 6 — संशोधन करें —

बालक-बालिकाओ की व्यवहार संबंधी समस्याएँ।

जोड़े —

बालिकाओ की विशिष्ट समस्याए।

इकाई 7 — शीर्षक सशोधन —

बालक एवं बालिकाओ का मानसिक स्वास्थ्य।

(7) 4 संशोधन —

घर एव सुशिक्षित माता।

व्यवहारिक कार्य — जोड़े —

किन्ही दस बालिकाओ की परिवार में स्थिति, परिणाम स्वरूप विकसित मानसिकता एवं व्यवहार का प्रश्नोत्तर विधि द्वारा संकल्प विश्लेषण तथा निष्कर्ष।

विद्यालय प्रबन्ध एव नियोजन

प्रथम वर्ष

प्रथम पत्र - 3

इकाई 1 — जोड़ें —

मूत्रालय एव शोचालय विशेषत. महिलाओ के लिये।

बाल-केन्द्रित शिक्षा एव शैक्षिक प्रौद्योगिकी

इकाई 5 (1) — सशोधन करे —

औसत भारतीय परिवार तथा परपराओं के अन्तर्गत्

(अ) बालक कैसे सोचते है ?

(ब) बालिकाए कैसे सोचती है ?

5 (III) (V) मे "बालक" के स्थान पर "बालक-बालिका" लिखे

इकाई 6 (I) के बाद जोडे —

(अ) बालिकाओ तथा बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षक का पुरुष्कृत तथा प्रोत्साहन करने वाला दृष्टिकोण।

(ब) बालको एव बालिकाओ हेतु अभिव्यक्ति, सृजनात्मक गतिविधि, सहभागिता एव नेतृत्व के अवसरो की व्यवस्था एव प्रोत्साहन।

हिन्दी भाषा शिक्षण

प्रश्न पत्र — 5

इकाई 6 (स) अन्त मे जोड़े —

बालक एव बालिकाओ को अभिव्यक्ति के समान अवसर प्रदान किये जाए। स्थानीय बोली/नामक हिन्दी दोनो मे अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए।

6.2 (स) जोड़े —

अभिव्यक्ति के लिए स्थानीय बोली का भी आवश्यकतानुसार उपयोग।

गणित एवं उसका शिक्षण

प्रथम वर्ष

प्रश्न पत्र - 6

इकाई 1 जोड़ें – ("नोट-दैनन्दिनी, लेन-देन तथा वास्तविक समस्याओ, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र से संबंधिक इबारती प्रश्न भी सम्मिलित किये जाए। स्त्री-पुरुष की असमान मजदूरी, असमान वेतन तथा असमान श्रम से संबंधित भाषा एवं प्रश्नों का निर्माण नहीं किये जाए।

प्रश्न पत्र - 7 शिक्षा मनोविज्ञान

इकाई -2 वशानुक्रम एवं वातावरण –

(1) वशानुक्रम तथा वातावरण का बुद्धि एवं व्यक्तित्व के विकास में प्रबाव।

(2) समान अवसरो तथा दशाओं की उपलब्धता में बालक-बालिकाओ को बुद्धि तथा व्यक्तित्व के एक समान प्राणी के शरीर विज्ञान संबंधी प्रमाण।

इकाई -4 (1) थकान

जोड़े – थकान दूर करने के उपाय। परिवार मे महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कार्यों के उचित वितरण का औचित्य एव आवश्यकता।

इकाई - 7 जोड़े – व्यैक्तिक भिन्नताओं के बावजूद स्त्री-पुरुषो के समान विकास की आवश्यकता में मानवीय दृष्टिकोण।

इकाई - 8 बुद्धि सिद्धान्त –

पुरुष एव महिला वर्ग में बुद्धि का विकास समान होता है।

प्रश्न पत्र - 8 पोषण, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा :-

इकाई -2 पोषण एवं आहार –

जोड़े –

(अ) कक्षा में शैक्षिक गतिविधि के रूप मे एक खुली बहस का आयोजन किया जाए जिसमे बालिकाओ के गर्भावस्था एवं छात्रावस्था में पोषण संबंधी विशेष आवश्यकताएं बताई जाये।

(ब) इस अवधारणा को समाप्त करना कि महिला सदस्यों को परिवार में सबसे बाद मे तथा बचा हुआ भोजन करना चाहिए।

इकाई - 3 भोजन पकाना केवल महिला सदस्य की जिम्मेदारी न होकर एक सामुहिक दायित्व है।

इकाई - 7 हटाना

"लिंग" शब्द हटाना उचित होगा।

अर्थात्

आयु, लिग एव रुचि के अनुसार ..... के स्थान पर आयु, शारीरिक क्षमता एव रुचि के अनुसार लिखना उचित होगा।

प्रश्न पत्र – 9 प्रारभिक शिक्षा की समस्याए :-

इकाई – 9 प्रतिभाशाली बालिकाओ के विशेष प्रशिक्षण की जिला स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रश्न पत्र – 10 अग्रेजी :-

सुझाव अग्रेजी को द्वितीय भाषा कहा गया है जो सविधान मे वर्णित भाषा मे हिन्दी को छोडकर अन्य प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। अंग्रेजी को तृतीय भाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए।

प्रश्न पत्र – 12 सामाजिक विज्ञान (सामा. पर्यावरण) एवं उसका शिक्षण :-

इकाई – 2 विदेशो का अध्ययन हटाकर, भारत के विभिन्न क्षेत्रो के भूगोल की तुलना अन्य देशों से एव एक दूसरे की पारम्परिक निर्भरता का अध्ययन किया जाए।

जोडे – महिलाओ के सदर्भ मे विभिन्न प्रातो की महिलाओ के रहन सहन, खान-पान एवं व्यवसाय संबंधी तुलनात्मक अध्ययन।

"एक लव्य" द्वारा विकसित किए गये सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को देखकर, उचित अशो का समावेश किया जाना उचित होगा।

इकाई – 8 सशोधन करे –

चार्ट ---- ग्राफ तथा इनमे बालिकाओ एव बालको का समान प्रतिनिधित्व।

निर्दिष्ट कार्य –

क्रमांक 4 जोड़ें – नियत करना। बालिकाओ की विशिष्ट समस्याओ का बालिकाओं द्वारा ही समाधान कराना।

प्रतिवेदन तैयार करना।

अनुसंधान एवं सेवा विस्तार

महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र के विकास का कोई कार्य उनके बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति मे ज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, आर्थिक, राजनैतिक धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों मे उनकी भागीदारी अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य भी है। अतः वर्तमान मे उनकी पिछड़ी हुई स्थिति को सुधारने व उन्हें पुरुषों के समान स्तर पर लाने के लिए शिक्षण - प्रशिक्षण एक सशक्त माध्यम हो सकता है। क्योंकि अंततोगत्वा देश का भविष्य शिक्षक को ही गढ़ना है। इसलिए शिक्षा जगत मे महिलाओं से सम्बन्धित सभी विषयो मे अनुसंधान एव सेवा-विस्तार के कार्यक्रमो का समावेश 'शिक्षक - प्रशिक्षण' में किया जाना चाहिए।

महिलाओं की स्थिति पिछड़ती और बिगड़ती क्यों चली गई? और आज उनकी प्रगति में कौन-कौन से अवरोध है? उन्हें हटाने के लिए सुझाव एवं कार्य योजना, 'शोध कार्य एव सेवा - विस्तार' का प्रमुख क्षेत्र है। इस क्षेत्र के प्रमुख शोध-विषय निम्नानुसार अंकित किए जा सकते हैं :-

1 सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा में झूलाघरों की भूमिका (बालिकाओ के विशेष सदर्भ मे)

2. शत-प्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में आगनवाड़ियों का योगदान (बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)

3. औपचारिकेतर शिक्षा योजना, हरियाणा मॉडल के अतर्गत् दर्ज सख्या वृद्धि अभियान की समीक्षा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)

4. औपचारिकेतर शिक्षा योजना हरियाणा मॉडल के अंतर्गत दर्ज संख्या वृद्धि अभियान के आकलन (पिछड़े वर्ग अल्पसख्यक एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओ के विशेष संदर्भ में)

5. औपचारिक शालाओं तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में बालक/बालिकाओं के शैक्षिक अपव्यय एवं अवरोध की समस्या तथा उसका समाधान।

6. ग्रामीण एवं दूरस्थ अचलों मे बालिका-शिक्षा की समस्या एक (महिला शिक्षक की अनुपलब्धता के विशेष सदर्भ में)

7. ग्रामीण क्षेत्रों एवं वनांचलों में शिक्षण कार्य हेतु महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या और उसका निदान।

8. ग्रामीण अभियान मे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका (महिला शिक्षकों के विशेष संदर्भ मे)

9. ग्रामीण क्षेत्रों एवं वनाचलों में स्वास्थ्य शिक्षा एव जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता (अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति की महिलाओं बालिाओं के विशेष संदर्भ में)

10. ग्रामीण क्षेत्र की औपचारिक शालाओं एव औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों में खेलकूद की सुविधाओ का विस्तार (बालिका शालाओ के विशेष सदर्भ में)
11. बालिका शिक्षा के विस्तार क्षेत्र शालाओ तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रो में पढ़ाई के साथ कमाई की सुविधा की सभावनाए।
12. शालाओ तथा औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों को बच्चों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाये जाने के विशेष उपागम।
13. शिक्षक प्रशिक्षण संख्याओ मे एन.एस.एस. एव एन.सी.सी. सुविधाओं का प्रारंभ, विस्तार एव उनके माध्यम से साक्षरता अभियान के सचालन की सभावनाए।
14. खेलकूद की गतिविधियों मे बालिकाओं/महिलाओ की भागीदारी मे बाधक तत्वो का अध्ययन और निदान।
15. महिलाओ की शिक्षा प्रसार मे ग्रामीण शिक्षिका एव ग्राम सेविका की भूमिका।
16. हरियाणा मे पर्यावरण सरक्षण एव पर्यावरण सुधार हेतु शिक्षा मे महिलाओ की भूमिका व योगदान।
17. महिला शिक्षा प्रसार मे जन जागरण की विधियां और उनका महत्व।
18. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अतर्गत रद्दी सामान से शिक्षण सामग्री के निर्माण में शिक्षिकाओ एव बालिकाओं की भूमिका।
19. सामाजिक जीवन मे महिलाओ/बालिकाओ के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहारों एवं परिस्थितियो, रीतिरिवाजो का निदानात्मक अध्ययन।
20. शिक्षा प्रसार मे विस्तार की सभावनाओ के सदर्भ मे महिला सगठनो का अध्ययन।
21. शैक्षिक प्रशासन मे महिलाओ का प्रतिनिधित्व और योगदान का अध्ययन।
22. महिला शिक्षा शास्त्री और शिक्षा जगत को उनकी देन तथा योगदान की समीक्षा।
23. शिक्षा के प्रसार मे लोक माध्यमो का योगदान (महिला शिक्षा के विशेष सदर्भ में) एव मूल्याकन।
24. शिक्षा के प्रसार मे बाल साहित्य की भूमिका (बालिका शिक्षा के सदर्भ में)
25. शिक्षा के प्रसार प्रचार मे सास्कृतिक एव साहित्यिक कार्यक्रमों की भूमिका (बालिकाओ की सहभागिता के विशेष संदर्भ में)
27. बालाधिकारो एव मानवाधिकारो का महिला शिक्षा मे योगदान।
28. महिलाओं को प्रदत्त कानूनी अधिकारो की शिक्षा के प्रसार प्रचार की समस्या और उसका निदान।
29. इक्कीसवी शताब्दी और महिला अध्ययन व विकास की दशा एवं दिशा।

30. भविष्य और महिला अध्ययन विकास की नई बदलती हुई अवधारणा और नवीन क्षितिज।
31. महिला अध्ययन व विकास को कक्षा से जन तक ले जाने के प्रयासों तथा प्रयोगो का विवरण एव विवेचन।
32. सहशिक्षा के माध्यम से महिलाओ के दृष्टिकोणो में बदलाव का प्रभाव।
33. बालिकाओ में समस्या निदान की क्षमताओ के विकास हेतु सुझाव (गणित शिक्षा के विशेष संदर्भ मे।)
34. ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों मे आत्म सम्मान एवं आत्म विश्वास के विकास की समस्याए और निदान।
35. बालिकाओ/महिलाओ के लिए व्यावसायिक एव तकनीकी प्रशिक्षण/शिक्षण के विभिन्न क्षितिज एवं सभावनाए।
36. स्वतत्रता प्राप्ति के बाद बालिकाओं/महिलाओ की विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा अन्य नवीन विषयो के प्रति अभिरुचियों के विकास का समीक्षात्मक अध्ययन।
37. स्त्री शिक्षा के विकास एव भविष्य में यूनेस्को का योगदान।
38. विश्व व्यापी समस्याओं/रोगों का महिलाओ की पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव एवं उसका भविष्यपरक अध्ययन।
39. कामकाजी महिलाओं की समस्याए और उनका बच्चों की शिक्षा पर भविष्य में पड़ने वाला प्रभाव।
40. देश-विदेश की स्थानीय, क्षेत्रीय, उत्कृष्ट एवं आदर्श महिलाओ की जीवनियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और जीवन की शिक्षा की संभावनाएं।
41 बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक समाज द्वारा सचालित शिक्षा-सस्थानों मे बालिका शिक्षा का स्वरूप।

उपर्युक्त *विषय सूची केवल सुझावात्मक है।* इसके अतिरिक्त भी अनेक महत्वपूर्ण विषय शोध अथवा अनुसंधान का विषय बनाये जा सकते हैं। जैसे महिलाओ की शिक्षा से संबंधित अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से चार क्षेत्रो में विभाजित कियाजा सकता है :

1. शिक्षण
2. प्रशिक्षण
3. अनुसंधान एव
4. सेवा-विस्तार।

इन क्षेत्रो मे वर्तमान महिला शिक्षा के स्वरूप में सुझाव और विस्तार की अनेक सभावनाए हैं, जिन्हे खोजा जाना अपेक्षित है।

नये शोध कार्य के समानान्तर अब तक किए गए अनुसंधान कार्य की समीक्षा करते हुए उनके निष्कर्षों और सुझावो को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरूप मे परिणित करना अतिआवश्यक है, अन्यथा हमारे शोध प्रबंध केवल पुस्तकालय की आलमारियो की शोभा बनकर रह जायेगे।

अब तक किये गये शोध कार्य का सूचीबद्ध प्रकाशन एवं संबंधित शोध सस्थाओ का प्रेक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। ताकि एक ही विषय पर बार-बार अनुसंधान की पुनरावृत्ति में समय और धन का अपव्यय न हो।

अनुसधान कार्य के लिए निरतर नवीन विषयों की तलाश, जो समाजोपयोगी भी हो, कम महात्वपूर्ण नही है। इनकी विषय-सूची का संवर्धन-परिवर्धन करते हुए प्रकाशन भी अत्यत महत्वपूर्ण है। यह कार्य राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर किया जाना उचित होगा। यह कार्य शिक्षा सस्थान तथा पाठ्यक्रमो के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है। ज़िला स्तर पर महिला शिक्षा सूचना केन्द्र बनाये जाये।

अनुसधान के निष्कर्षों और सुझावो को सबधित शिक्षण सस्थाओ और उनमे कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओ तक पहुँचाना जितना आवश्यक है, उससे कही अधिक महत्वपूर्ण है, उनका कार्य क्षेत्र मे प्रयोग किया जाना। इसीलिए शिक्षक प्रशिक्षण सस्थाओं मे सेवा विस्तार की सुविधाओ को नये सिरे से व्यवस्थित किये जाने और सुसज्जित किये जाने की आवश्यकता है। आज कक्षा शिक्षण को लोक शिक्षण बनाने हेतु दूरदर्शन, कम्प्यूटर, सिनेमा के अतिरिक्त पुस्तक-प्रकाशन, शैक्षिक पत्रकारिता तथा नाटक, गीत, कविता आदि के परंपरागत लोक माध्यमो का भी सहारा लिया जाना चाहिए। इस हेतु आवश्यक साज-सामान सभी शिक्षण प्रशिक्षण सस्थाओ मे उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उसके समुचित उपयोग का प्रशिक्षण भी हमारी शिक्षा का अनिवार्य अग होना चाहिए।

समस्त शिक्षण-सामग्री एव अनुभवी शिक्षको का लाभ शिक्षण प्रशिक्षण सस्था से दूर-दराज की कक्षाओ तक पहुचाने के लिए आवश्यक धनराशि की सुगम और त्वरित व्यवस्था, महिला शिक्षा प्रसार की अनिवार्य शर्त है। इस हेतु शैक्षिक प्रशासन का नये सिरे से गठन तथा अधिकारो का विकेन्द्रीकरण अत्यत आवश्यक है।

अध्याय 6

सामुदायिक प्रतिभागिता –शिक्षा के लिए

सरकारी तंत्र द्वारा प्रायोजित शैक्षिक नीतियो एवं कार्यक्रमो को सफलतापूर्वक लागू करने तथा उनके माध्यम से वांछित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु समुदाय का समर्थन, सहयोग एवं प्रतिभागिता आवश्यक ही नही, अनिवार्य भी है।

समुदाय की प्रतिभागिता एक परस्पर सहयोगी प्रक्रिया है। अतः उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु विद्यालय का समुदाय मे तथा समुदाय का विद्यालय मे पहुंचना अति आवश्यक है। यह प्रक्रिया जितनी अधिक ऐच्छिक होगी उतनी ही उपयोगी भी। विद्यालय तथा समुदाय दोनो मे परस्पर अपनत्व की भावना नितांत आवश्यक है, ताकि यह प्रक्रिया सरल एवं स्वाभाविक रूप से निरंतर चलती रहे।

समुदाय के साथ प्रगाढ़ एव मैत्रीपूर्ण सबध बनाने में विद्यालय की मुख्याध्यापिका/मुख्याध्यापक, अन्य अध्यापक/अध्यापिकाएँ एवं विद्यार्थी वर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारे कुशल अध्यापक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से उन के घर एवं गाँव तक सरलता से पहुच सकते हैं तथा इसी प्रकार समुदाय के लोग, बच्चों के माता-पिता/संरक्षक एव सबधी भी सुविधा से विद्यालय तक पहुँच सकते हैं।

निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता नितांत आवश्यक है :

- शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, सार्वभौमिक नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु।
- सार्वभौमिक प्रतिधारण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु।
- छात्र/छात्राओ की संख्या में वृद्धि हेतु।
- किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए विद्याथियो को पुनः विद्यालय लाने के सफल प्रयास हेतु।

- न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु।
- भौतिक एव आर्थिक सहयोग के लिए।
- विद्यालय मे आयोजित की जाने वाली विभिन्न शैक्षिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के संगठन एव आयोजन हेतु।
- शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओ के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से विचार विमर्श करने के लिए।
- विद्यार्थियों की सवेगीय समस्याओ के समाधान एवं उनके सर्वांगीण विकास के मार्ग मे आने वाली रुकावटों के निवारण हेतु।
- विद्यालय द्वारा दी गई विभिन्न शैक्षिक गतिविधियो एव अन्य क्रिया कलापो के निरंतर मूल्याकन मे भी समुदाय की प्रतिभागिता से काफी योगदान मिल सकता है।
- विद्यालय के परिवेश, शैक्षिक प्रक्रिया, प्रबधकीय व्यवस्था एव कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु भी समुदाय के सुझाव उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- विद्यालय के वातावरण को रुचिकर एव अनुकूल बनाने मे सहायता मिलती है।
- श्रमदान एव उपयोगी परामर्श हेतु।
- साक्षरता के लिए समुदाय की प्रतिभागिता से काफी योगदान मिल सकता है।
- अब हम इस बात पर विचार करते है कि समुदाय को विद्यालय मे कैसे लाया जाए तथा स्वय विद्यालय के निकट कैसे जाएँ।

समुदाय को विद्यालय में लाने के उपयुक्त अवसर

- विद्यालय के द्वारा आयोजित विभिन्न शैक्षिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक समारोहो/पर्वों के अवसरो पर समुदाय के सदस्यो तथा छात्र/छात्राओं के अभिभावको को आमत्रित करना चाहिए जैसे कि किसी महापुरुष का जन्म दिवस, स्वतत्रता दिवस, सयुक्त राष्ट्र सघ दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, अध्यापक दिवस, पारितोषिक वितरण समारोह इत्यादि इन विशेष दिनो के महत्व के विषय में जन समुदाय को जानकारी देनी चाहिए। इससे एक ओर उनके ज्ञान मे वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर ये स्वय को सम्मानित महसूस करेगे।
- समय समय पर शिक्षक-अभिभावक सभाओ का आयोजन करते रहना चाहिए ताकि बच्चे की व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य सबधी समस्याओं का पता लगा कर तथा उनका समाधान करके उनके विकास मे सहायता की जा सकती है।
- हर महीने बच्चे की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट से माता-पिता/सरक्षको को अवगत करवाने के लिए उन्हे विद्यालय में बुलाते रहना चाहिए।

- विद्यालय की किसी भौतिक आवश्यकता एवं समस्या का समाधान करने के लिए भी समुदाय को विद्यालय मे लाया जा सकता है।
- समुदाय के किसी शिक्षक युवक/युवती एव किसी सेवा निवृत्त शिक्षक की सहायता विद्यालय के पढ़ने में कमजोर बच्चों को पढ़ाने में सहायता ली जा सकती है।
- समुदाय के किसी सेवा निवृत्त सैनिक की सेवाओं का विद्यार्थियो की शारीरिक शिक्षा के लिए, देश प्रेम तथा अनुशासन संबंधी भावनाओ को अंकुरित एवं विकसित करने मे सहयोग लिया जा सकता हैं। इससे वह सफल भावी नागरिक बन सकते हैं।
- विद्यालय के भवन निर्माण एव अन्य किसी कार्य हेतु श्रमदान एवं आर्थिक सहयोग लिया जा सकता है। समुदाय के किसी इंजिनियर, ड्राफ्टसमैन जैसे व्यवसाय वाले लोगो से बहुमूल्य परामर्श लेकर उनकी योग्यता का लाभ उठाया जा सकता है।
- बच्चों को समाज उपयोगी उत्पादन कार्यों से संबधी क्रियाओ को सिखाने के लिए समुदाय के ऐसे लोगो को विद्यालय में बुलाया जा सकता है जो चारपाई बुनने, मुढ़े बनाने, चटाई बुनने या कढ़ाई सिलाई संबंधी कार्यों मे निपुण हो।
- सास्कृतिक कार्यों के आयोजन हेतु भी, समुदाय में इस प्रकार की योग्यता प्राप्त लोगो से परामर्श एवं सहयोग लिया जा सकताहै।
- सरकारी या किसी सरकारी विभाग द्वारा चलाई गई नई नीतियों एव कार्यक्रमो से अवगत करवाने के लिए भी समुदाय के लोगो को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। इससे नीतियो एवं कार्यक्रमो को सफलतापूर्वक लागू करने मे सहायता मिल सकती है।

"विद्यालय समुदाय के निकट कैसे जाएँ"

- गाँव/बस्ती में आयोजित विभिन्न समारोहों में विद्यालय की प्रतिभागिता समुदाय के साथ निकट के संबंध बनाने मे काफी उपयोगी हो सकता है।
- बस्ती/गाँव या क्षेत्र के लोगों के सुख दुःख के अवसरो पर उनके यहाँ जाकर उनकी भावनाओ को बाँटने से मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो को प्रगाढता मिल सकती हैं।
- गाँव/बस्ती मे विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय लोगों की समितियाँ एवं संगठन होने चाहिए जो उनकी भावनाओ का प्रतिनिधित्व कर सके। इन समितियों में जहां तक हो सके, 50% की भागीदारी महिलाओ की हो ताकि उनमें भी निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके तथा आत्म विश्वास की भावना जागृत हो सके। इस प्रकार की समितियो से विद्यालय को निरतर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए।

- विद्यालय सर्वेक्षण द्वारा उपयोगी सामुदायिक साधनो का पता लगा कर आवश्यकता एव समयानुसार उनका सदुपयोग कर सकता है। यह साधन मानवीय एवं भौतिक किसी भी प्रकार के हो सकते है।
- यदि विद्यालय समुदाय की किन्ही समस्याओं के समाधान मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हो सकता है तो ऐसा अवश्य करना चाहिए।
- विद्यालय बदलते समय के अनरूप बदलती धारणाओ एव मूल्यों को क्षेत्रीय समितियों एवं संगठनो के माध्यम से जन समुदाय में अकुरित एवं विकसित करके उनके विचारो एव दृष्टिकोण मे वाछित परिवर्तन ला सकते हैं।
- यदि बस्ती/गाँव के कुछ लोगों को अज्ञानता के कारण कोई ऐसी अप्रिय घटना घट जाए जो कि वहाँ के लोगो के लिए हानिकारक सिद्ध हो तो ऐसी अवस्था में स्थानीय समितियों/ मण्डलो की विद्यालय मे सभा बुलाकर सबधित विषय पर चर्चा की जा सकती है तथा अत मे सद्भावना पूर्ण वातावरण में इसे इस संकल्प के साथ समाप्त किया जा सकता है कि विद्यालय एव समुदाय दोनो ही इस बात के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि भविष्य मे किसी दुःखद घटना की पुनरावृत्ति न हो।
- वर्ष के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों मे विशेष उपलब्धि प्राप्त लोगो/पुरुष/महिलाओ के जीवन एव कार्यों से जन समुदाय को अवगत करवाने हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। यह उनके लिए प्रेरक सिद्ध हो सकता है।
- उस क्षेत्र विशेष के किसी महिला/पुरुष, बाल/बालिका द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में प्राप्त किसी विशेष उपलब्धि के लिए उस को सम्मानित करने हेतु किसी कार्यक्रम का आयोजन कर जन समुदाय का उत्साह बढ़ाया जा सकता है।
- विशेष पर्वो/उत्सवो पर विद्यार्थियो एव अध्यापकों के सामूहिक प्रयासों के स्थानीय लोगो मे सद्भावना एव जागरुकता पैदा करने हेतु प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी महापुरुष के जन्मदिवस के अवसर पर, यह महापुरुष कोई भी धार्मिक नेता, समाज सुधारक एव राष्ट्रपुरुष हो सकता है। गाँव मे स्थानीय लोगो की सुविधा एव कल्याण हेतु किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए विद्यार्थी रूपी मानव से साधन का सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे कि किसी स्थान विशेष की सफाई, सजावट एव वृक्षारोपण जैसे कार्य।
- विद्यार्थियो की सहायता से छुट्टियो के दौरान या दिवाली के अवसर पर सफाई अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन समुदाय के हित एव जागरुकता के लिए किया जा सकता है।

– स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित उपयोगी जानकारी देने के लिए विद्यालय द्वारा गाँव के किसी सार्वजनिक स्थान पर समुदाय के लोगों को इक्कट्ठा करके उचित प्रदर्शन (डिमोसट्रैशन) का आयोजन किया जा सकता है।

अंत में यह बता देना आवश्यक है कि *समुदाय का समर्थन, सहयोग एवं प्रतिभागिता प्राप्ति के लिए विद्यालय एवं समुदाय के संबंध समानता के आधार पर होने चाहिए।* यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपसी सम्मान की गहन भावना पर टिकी रह सकती है। ध्यान रहे कि बच्चो की किसी समस्या को लेकर यदि माता-पिता या अभिभावक विद्यालय में आयें/या उन्हें बुलाया जाए तो उसके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करें तथा विद्यार्थी के प्रति हमारे विचार शिकायत के रूप में न होकर केवल सुझाव के रूप में ही हों।

अध्याय 7

उद्धरण – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 व कार्य योजना 1992 से

1. महिला समानता के लिए शिक्षा

1. भूमिका

1.1.1 महिला समानता के लिए शिक्षा, शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की सम्पूर्ण रणनीति का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन॰पी॰ई) 1986 के पैरा 4.2 और 4.3 में शिक्षा की प्रभावकारी और अधिकार प्रदान करने संबंधी भूमिका के संबंध में ठोस और सपाट विवरण हैं। इसके अतिरिक्त वे विशेष सहायता सेवाओं के प्रावधान और ऐसे कारकों को दूर करने पर बल देते हैं जिनसे शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रति भेदभाव होता है। कार्रवाई योजना में उन कदमों के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है जो महिला समानता के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। समय की मांग यह है कि जहां भी उपयुक्त समझा जाए कार्रवाई योजना की सामग्री में संशोधन किया जाए। इतना तो स्पष्ट है कि कार्यान्वयन के लिए इच्छाशक्ति और संस्थागत तंत्र की जरूरत है ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों में कार्यन्वयन में महिला-पुरुष में भेदभाव संबंधी संवेदनशीलता प्रतिबिंबित हो। महिला समानता के लिए शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले प्रभारी व्यक्तियों की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता या झुकाव पर नहीं छोड़ा जा सकता। शिक्षा के क्षेत्र के प्रत्येक स्तर पर सभी व्यक्तियों, एजेंसियों और संस्थाओं के लिए महिला-पुरुष में भेदभाव के प्रति संवेदनशील होना और यह सुनिश्चित करना आवश्क है कि सभी कार्यक्रमों और कार्यकलापों में महिलाओं का भी हिस्सा है।

2. वर्तमान स्थिति

1.2.1 1991 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 39.42 है जबकि पुरुष साक्षरता दर 63.86% है। 197 मिलियन महिला निरक्षर है जबकि पुरुष निरक्षर 127 मिलियन हैं। ऐसे देश में जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से 32 मिलियन अधिक है, 70 मिलियन महिला निरक्षर पुरुषो की तुलना में अधिक हैं। महिलाओं में उल्लेखनीय ग्रामीण-शहरी असमानतायें हैं अर्थात ग्रमीण निरक्षर महिलाओं की संख्या शहरी निरक्षर महिलाओं की संख्या की आधी है। एक चौंकाने वाला निष्कर्ष यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब 100 लड़कियां कक्षा-I में दाखिला लेती हैं तो उनकी संख्या क्रमशः घटकर कक्षा-V में केवल 40, कक्षा I/II में 18, कक्षा-IX में 9 और कक्षा-XII में केवल I रह-जाती है—शहरी क्षेत्रों के लिए समतुल्य आंकड़े क्रमश: 82,62,32 और 14 है। यदि तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकता 10 से 12 वर्ष सामान्य शिक्षा अवधि हो तो ग्रामीण लड़कियां छंट जाती हैं। व्यावसायिक और शहरी तकनीकी शैक्षणिक सुविधाओं का बड़ा भाग शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इन क्षेत्रों में लड़कियों की सहभागिता काफी कम है और लैंगिक अनुपात यथापूर्ण बना रहता है। इसी प्रकार इंजीनियरी और कृषि आधारित पाठ्यक्रमों में भी महिलाओ और लड़कियों का अनुपात काफी कम है।

1.2.2 यह और गंभीर बात हो जाती है जब हम पाते हैं कि कम साक्षरता वाले राज्यों में अध्यापिकाओं की संख्या बहुत कम है। अध्यापिकाओं का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 21% और 23% तथा शहरी, क्षेत्रों में क्रमशः 56% और 57% है।

1.2.3 इसलिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली को शैक्षिक असमानताओं के लैंगिक और शैक्षिक आयामों के प्रति सचेष्ठ बनाया गाए।

3. नीति प्राचल और कार्यनीतियां

1.3.1 रा॰शि॰नी॰ के अनुसरण में कार्यान्वयन रणनीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:—

(i) सम्पूर्ण प्रणाली को इस प्रकार तैयार करना कि यह महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में सकारात्मक हस्तक्षेप का साधन बन सके।

(ii) महिलाओं का स्तर बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के और अधिक विकास हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

(iii) महिला-पुरूष में भेदभाव के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यावसायिक तकनीकी और पेशेगत शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं को शामिल करना

(iv) गतिशील प्रबन्ध ढांचे का सृजन करना जिससे इस जनादेश द्वारा सामने आई चुनौतियों का सामना किया जा सके।

4. कार्रवाई योजना

1.4.1 नीचे दी गई कार्यनीतियां मुख्य रुप से कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित प्रचालन ब्यौरों के विषय में है:—

(i) शिक्षा विभाग के सभी ब्यूरो अगस्त 1993 तक ठोस कार्रवाई योजना तैयार करेंगे। जिसमें उनके अपने क्षेत्र में लिंग संबंधी चिन्ताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। वि॰अ॰आ॰, अ॰आ॰त॰शि॰प॰, आई॰सी॰एस॰एस॰आर॰, भा॰ऐ॰अ॰प॰, के॰मा॰शि॰बो॰, आई॰सी॰ए॰आर॰, आई॰सी॰एम॰आर॰ आई॰ए॰एम॰आर॰ राज्यों के बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा ब्यौरो आदि जैसी संबंधित शीर्ष संस्थायें भी इसी प्रकार की कार्रवाई योजनायें तैयार करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग IX का पैरा 4.1 से 4.3 और कार्रवाई योजना का अध्याय XII कार्रवाई योजना के मार्ग निर्देशन का काम करेगा।

(ii) विभाग के आयोजना विभाग में एक मानिटरिंग एकक या महिला ब्यूरो का सृजन किया जाएगा ताकि नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों में लिंग संबंधी मसलों को समाहित किया जा सके। यह एकक कार्यान्वयन की मानिटरिंग के लिए संकेतक तैयार करेगा, सूचना के प्रभावी प्रसार को सुनिश्चित करेगा और कार्य में समन्वय करेगा। यह कार्य अगस्त, 1993 तक कर लिया जाएगा।

(iii) राज्य स्तर पर इसी प्रकार के मानिटरिंग एकक/ब्यूरो गठित किए जाएंगे।

(iv) सभी ब्यूरो और संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्टों में उन कदमों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी जाएगी जो उन्होंने शिक्षा में महिलाओं और लड़कियों की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए हों। साथ ही उनमें सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा सामग्री और प्रक्रिया में महिलाओं की बारे में ध्यान रखा जाए और सभी स्तरों पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराये जायें।

5. महिलाओं को अधिकार प्रदान करना

1.5.1 शिक्षा महिलाओं को अधिकार प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम हो सकती है और इसके निम्नलिखित घटक होंगे:—

— महिलाओं का आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास बढ़ाना,

— समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाना,

— समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना,

— सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और कार्रवाई करना।

— शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य (विशेषकर प्रजनन स्वास्थ्य) जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना,

— विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान सहभागिता सुनिशचित करना,

— आर्थिक आत्मनिर्भुरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना,

— समाज में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी और सूचना तक उनकी पहुंच बढ़ाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सके।

1.5.2 उपर्युक्त प्राचलों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाएंगे और जैसा कि ऊपर 4.1 में कहा गया है शिक्षा विभाग के संबंधित ब्यूरो और संस्थायें प्रगति के बारे में रिपोर्ट देंगे।

(i) महिला विकास के लिए प्रत्येक शिक्षा संस्था सक्रिय कार्यक्रम प्रारंभ करेगी।

(ii) सभी शिक्षकों और प्रशिक्षकों को महिलाओं को अधिकार प्रदान करने वाले एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। रा०शै०अ०प्र०प०, नीपा डी०ए०ई०एस०आर०सी०, डी०आई०ई०टी० राज्य शै०अ०प्र०प० और विश्वविद्यालय तंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करेंगे। सम्बद्ध संगठनों और महिला दलों की सहायता से नवाचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

(iii) शिक्षक -प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए लिंग और निर्धनता के प्रति संवदेनशील होने के कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षा क्षेत्र के सभी अनुभाग लिंग-भेद के आधार पर असमानता दूर करने में शिक्षा की भूमिका के प्रति सचेष्ट और संवेदनशील होंगे।

(iv) आर्थिक आत्मविश्वास उत्पन्न करने तथा अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को प्ररित करने के लिए अध्यापिकाओं, की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी।

(v) सामान्य कोर पाठ्यचर्या महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाने का एक सशक्त माध्यम है। महिला अध्ययन विभाग, रा०शै०अ०प्र०प० लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील पाठ्यक्रम विकसित करने, पाठ्यपुस्तकों से इससे संबंधित पूर्वाग्रह दूर करने और प्रशिक्षकों/शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में पहले ही प्रारम्भ की गई गतिविधियों को तेज करेंगे। राज्य शै०अ०प्र०प० तथा राज्य स्तर के संबंधित बोर्ड और संस्थाएं इसी प्रकार के कार्य प्रारम्भ करेंगे।

(vi) ऐसी चेतना और समर्थन से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए सभी शिक्षा बजटों में धन आवंटित किया जाना चाहिए।

. अनुसंधान और महिला अध्ययन

1.6.1 महिलाओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसका उद्देश्य सामाजिक, प्रौद्योगिकीय और पर्यावरणात्मक परिवर्तन में महिलाओं के ‍ोगदान, उनके संघर्ष और आकांक्षायें तथा वैज्ञानिक खोज के अनेक क्षेत्रों में उन्हें "लुप्त रखने वाली अवधारणात्मक बाधाओं की बेहतर समझ को प्रोत्साहन ‍ा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव के संगठनात्मक, सांस्कृतिक और दृष्टिकोण संबंधी बाधाओं को दूर करके

महिलाओं को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में प्रभावी सहभागिता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करना है। इसके लिए 4 आयाम है जिनका समर्थन किया जाना है:—

(i) ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के मानव संसाधन विकसित करने और उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पठन/पाठन सामग्री तैयार करने के लिए अनुसंधान।

(ii) महिलाओं और पुरूषों में समानता के लिए महिला और पुरूषो के वर्तमान रुख और मूल्यों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा। पाठ्यक्रम के विद्यमान पूर्वाग्रहो और कमियों को भी दूर किया जाएगा।

(iii) शिक्षकों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों और योजना निर्माताओं का प्रशिक्षण ताकि वे महिला पुरूष में समानता लाने के लिए सकारात्मक मध्यस्थ भूमिका निभा सकें।

(iv) समुदाय के महिला विकास कार्यकलापों में संस्थाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी का विस्तार।

1.6.2 20 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों में स्थापित महिला अध्ययन केंद्रों में कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देकर उन्हें और प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएगे। विद्यमान केंद्रों/इकाईयों को पुनः सक्रिय बनाने और नए केंद्रों की स्थापना में सहायता देने की प्रक्रिया में विख्यात संस्थाओं और सुविख्यात महिला संगठनों को शामिल किया जाएगा।

1.6.3 अनुसंधान, विस्तार और सूचना प्रसार के लिए विभिन्न संस्थाओं के बीच नेटवर्क स्थापित करना काफी लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ इससे समन्वित वृद्धि की संभावना बनी है। ऐसे नेटवर्कों का प्रारम्भ विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषा में उत्तम कोटि की शिक्षण सामग्री संवर्धन, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम और हस्तक्षेप हेतु विकेन्द्रित क्षेत्र-विशेष मॉडल तैयार करने के लिए किया जाएगा।

1.6.4 अवर स्नातकों के लिए आधार पाठ्यक्रम तैयार कर प्रारम्भ किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह आठवीं योजना अवधि के दौरान ही किया जाएगा।

7. प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा का सर्वसुलभीकरण

1.7.1. जब तक बालिकाओं को शामिल करने के लिए संगठित प्रयास नहीं किए जाते तब तक प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण असंभव है। जो लड़कियां औपचारिक शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं पढ़ पाती या बीच में स्कूल छोड़ जाती हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्कूल न जाने वालो और किशोरियों के लिए विशेष अनौपचारिक शिक्षा तैयार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि उन्हें औपचारिक धारा में वापस लाया जा सके या उन्हें तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य बनाया जा सके। खुला विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली और अन्य नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों और शहरों की गंदी बस्तियों तक पहुंचाये जाएंगे। इस क्षेत्र में स्वैच्छिक और सामुदायिक आधार पर होने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सार्क के बाल-कन्या दशक में उपर्युक्त कार्य का अधिक महत्व है।

1.7.2 ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं दो प्रकार से घाटे में रहती है। एक तो उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, दूसरे उन्हें घर के बाहर के ईधन, चारा, पानी छोटे भाई-बहन की देखरेख से संबंधित कार्य भी करना पड़ता है। अन्य विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी सहभागिता बढ़ाने के लिए सहायता सेवा प्रदान की जा सके। सहायता सेवाओं और बाल देखभाल सुविधाओं के प्रावधान को प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के आवश्यक और अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए।

1.7.3 महिलाओं की शिक्षा को अवरूद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापकों की कमी बनी हुई है। संशोधित नीति निर्धारण में यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में भर्ती किए जाने वाले कम-से-कम 50% अध्यापक महिलाएं होंगी। इसलिए महिला अध्यापकों की भर्ती और महिलाओं के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने होंगे ताकि गणित और विज्ञान सहित विभिन्न विषयों में योग्य महिला अध्यापकों की समुचित सख्या उपलब्ध हो सके।

1.7.4 पूर्ण साक्षरता अभियानों (टी.एल.सी.) में 15-35 आयुवर्ग की महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि बहुत से जिलों में इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को पूर्ण साक्षरता अभियानों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए ताकि 10-20 आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जा सके।

1.7.5 सतत शिक्षा के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए कि नव-साक्षरों और स्कूल जाने वाले लड़कियों को पठन सामग्री उपलब्ध हो सके तो यदि आवश्यक हो तो महिलाओं को उनके आवासी क्षेत्रों में पुस्तकें और पत्रिकायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उत्साह और प्रेरणा को बनाये रखने के लिए रेडियो माध्यम का प्रयोग जारी रखा जाएगा।

1.7.6 औपचारिक शिक्षा प्रणाली और अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रारम्भ की गई विभिन्न स्कीमों के समन्वय के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं।

8. व्यावसायिक, तकनीकी, पेशेवर शिक्षा और विद्यमान तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों में महिलाओं को शामिल करना।

1.8.1 तकनीकी, व्यावसायिक और पेशेगत शिक्षा में महिलाओं को अधिक से अधिक शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की आवश्यकता है जिससे लड़कियों के लिए सभी स्कूलों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई प्रारम्भ करके सुदृढ़ बनाई जा सके। लड़कियों के स्कूल में विज्ञान और गणित की

अध्यापिकाओं की कमी को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जाएंगे। गैर-परम्परागत और उदीयमान प्रौद्योगिकियों के सभी स्तरों पर लड़कियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजना बनाने वालों, पाठ्यक्रम का विकास करने वालों तथा प्रशासकों को गंभीर प्रयास करना चाहिए। सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए मार्गदर्शन और सलाह को एक आवश्यक पूर्वशर्त के रूप में लेना चाहिए।

1.8.2 तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के प्रवेश की स्थिति में गुणवत्ता और संख्या दोनों दृष्टियों से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे सुधार लाया जाएगा। महिला आई०टी०आई० और पालिटेक्निक तथा सामान्य पालिटेक्निक और आई०टी०आई० में महिला खण्डों को सशक्त बनाया जाएगा जिससे कि विषय क्षेत्रों, व्यवसायों और पाठ्यक्रमों में वैविधय लाया जा सके और इस प्रकार नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

1.8.3 तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में क्रेडिट, बैंकिंग उद्यम क्षमता के संबंध में योग्यता विकसित की जाएगी। अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रशिक्षुता स्कीम को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

9. जन-संचार माध्यम

1.9.1 महिलाओं और लड़कियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए माहौल बनाने हेतु इलैक्ट्रानिक, प्रिंट और परंपरागत जन-संचार माध्यमों का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार यह जन-चेतना जगाने, सूचना और संप्रेषण के प्रसार में पूरक की भूमिका निभाएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो का प्रसारण हो रहा है महिलाओं तक पहुंचने के लिए इस माध्यम का उपयोग करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएगे।

10. केन्द्र और राज्य स्तर पर प्रबन्ध ढांचा

1.10.1 पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों में महिला सेल गठित किए जाएंगे।

1.10.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के आयोजना ब्यूरो में एक मानिटरिंग सेल अथवा महिला ब्यूरो स्थापित किया जाएगा। मानिटरिंग और मूल्यांकन की प्रगति की जिम्मेदारी इसी प्रकार की इकाइयों को लेनी चाहिए।

1.10.3 शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा प्रयोजनों से एक उच्च स्तरीय मंत्रालयीय समिति का गठन करेगा:—

(i) सतत् आधार पर कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा,

(ii) लड़कियों की शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को सलाह देना,

(iii) एक-दूसरे से परामर्श करके आयोजना तंत्र को सक्रिय बनाना ताकि शिक्षा में लड़कियों और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

1.10.4 राज्य स्तर पर इसी प्रकार की समितियों का गठन किया जाएगा।

7. प्रारंभिक शिक्षा

1. वर्ष, 1986 तक की स्थिति

7.1.1. 14 वर्ष की आयु पूरा करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान, संविधान का एक नीति निदेशक तत्व है। वर्ष 1950 से इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। कुछ वर्षों में संस्थाओं की संख्या तथा उनके प्रसार तथा नामांकन में प्रभावी बढ़त्तोरी हुई है। शिक्षा संस्थाओं के सर्वसुलभ प्रावधान को आंशिक तौर पर प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से V) पर प्राप्त कर लिया गया है। पांचवें अखिल भारतीय शिक्षा (शैक्षिक) सर्वे, 1986 के अनुसार, 94.5% ग्रामीण जनसंख्या के पास एक किलोमिटर पैदल रास्ते की दूरी में स्कूल हैं, 3 किलोमिटर के पैदल रास्ते की दूरी में लगभग 83.98% ग्रामीण जनसंख्या के पास मिडिल स्कूल/सैक्शन है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1950-51 में 2.10 लाख से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 5.29 लाख हो गई। इसी तरह, अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1950-51 में 13,600 से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 1.35 लाख हो गई। 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन वर्ष 1950-51 में 43.1% से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 62.4% तथा 1970-71 में 76.4% तथा वर्ष 1980-81 में 80.5% तथा वर्ष 1985-86 में 85.% हो गया। इसी तरह 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कुल नामांकन 1950-51 में 12.9% से बढ़कर वर्ष 1960-61 में 22.5% 1970-71 में 33.4% 1980-81 में 41.9% तथा वर्ष 1985-86 में 48.3% हो गया।

7.1.2. प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यू.ई.ई.) कुल मिलाकर अभी तक अप्रश्य लक्ष्य है तथा इसका काफी रास्ता अभी तय करना बाकी है। पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर काफी अधिक बनी हुई है। स्कूलों में बच्चों को रोके रखने की दर कम होना तथा अपव्यय विचारणीय विषय है। वर्ष 1985-86 में कक्षा I से V तक पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर 47.6% तथा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के पढ़ाई बीच मे छोड़कर जाने वाले बच्चों की दर 64.4% थी। लड़कियों की सहभागिता में वृद्धि होने के बावजूद, समानता अभी भी विद्यमान है। यद्यपि प्राथमिक शिक्षा (चार कक्षाओं) में लड़कियों की सहभागिता वर्ष 1950-51 में 28.1% से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 40.2% होने पर भी यह प्रतिशतता 50% की सामान्य प्रतिशतता से अभी भी कम है। अपर प्राथमिक कक्षाओं (छठी से आठवीं) में लड़कियों की सहभागिता कम है, यह वर्ष 1950-51 में 16.1% से बढ़कर वर्ष 1985-1986 में 35.1% हो गई। प्राथमिक स्तर पर अनु. जाति व अनु.जन जाति के बच्चों (छात्रों) की सहभागिता अब कुछ हद तक उनकी जनसंख्या के भाग के अनुपात में है लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के बच्चों में लड़के-लड़कियों की (लैंगिक) असमानता विद्यमान है। अनुसूचित जाति के कुल बच्चों (छात्रों) में पहली से पाचवीं तक की कक्षाओं में अनुसूचित जाति की लड़कियों की प्रतिशतता 37.5% तथा छठी से आठवीं कक्षा में यह प्रतिशतता 29.9% (1985-86) है। अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को संदर्शी प्रतिशतता क्रमशः 36.6% तथा 30.4% है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा उनकी कार्रवाई योजना

7.2.1. रा.शि.नी. तथा कार्रवाई की योजना ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी है तथा इस संबंध में नए कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सबसे पहले नामांकन जिसे हम विस्तार (वृद्धि) भी कह सकते हैं, की ओर से ध्यान हटाया गया। जैसा कि कार्रवाई योजना, 1986 ने नामांकन की परिभाषा इस प्रकार की है:—

"नामाकन की अपने आप में कुछ महत्ता नहीं है क्योंकि अगर बच्चे एक वर्ष से अधिक लगातार स्कूल नहीं जाते तथा उनमें से अधिकतर केवल कुछ ही दिनों के लिए स्कूल जाते हैं दूसरी बात यह है कि रा.शि.नी. 1986 में सूक्ष्म आयोजना पर आधारित नीतियों प्रतिपादित तथा देश भर उन्हें आधार स्तर पर लागू किया ताकि स्कूल में बच्चों के नामांकन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। कार्रवाई योजना, 1986 में सहभागी आयोजना द्वारा नामांकन की धारणा प्रतिपादित की है जिसमें शिक्षक तथा ग्रामीण लोग परिवार-वार तथा बच्चा-वार, ऐसे कार्यक्रम प्रतिपादित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक बच्चा नियमित रूप से स्कूल या (अनौपचारिक) शिक्षा केन्द्र में अस्थित रहा है तथा वहां उसने कम से कम 5 वर्ष तथा इसके समकक्ष अनौपचारिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी की है। तीसरी बात यह है कि रा.शि.नी. में यह अनुभव किया गया है कि स्कूल के वातावरण का अनुकूल न होना, स्कूल भवनों की असन्तोषजनक दशा तथा शिक्षण सामग्री की अपर्याप्ता, कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चों तथा अभिभावकों को स्कूल जाने तथा भेजने के लिए प्रेरित नहीं करते अतः इस नीति में प्राथमिक स्कूलों के आंशिक सुधार के लिए एक कार्यक्रम चलाया है तथा सहायता सेवाओं का प्रावधान भी रखा है। इस उद्देश्य के लिए आप्रेशन ब्लैक बोर्ड योजना आरम्भ की गई। इस योजना को आरंभ करने का अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह शिक्षा राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारियों तथा संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से उत्पन्न जिम्मेदारी का वहन करने की केन्द्रीय सरकार की उत्कण्ठा का आमुख (घोषणा-पत्र) है। चौथे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर पर बल केन्द्रित तथा प्रक्रिया आधारित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाने का सुझाव दिया है। पांचवें, रा०शि०नी०, 1986 तथा कार्रवाई योजना ने सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन (सेवारत) शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पुर्नसंरचना के कार्यक्रम को शुरू किया है जिसका विवरण इस दस्तावेज के अध्याय 22 में दिया गया है। अन्तिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व के बारे में रा०शि० नीति में शिक्षा की पहुँच यानि सामाजिक आर्थिक बन्धनों के कारण स्कूल न जा सकने वाली लाखों लड़कियों तथा कामकाजी बच्चों की शिक्षा तक पहुँच , जैसे महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख किया गया है। जैसा कि रा०शि० नीति पुनर्विचार समिति ने ठीक ही बताया है कि सर्वप्रथम वर्ष 1986 में एक ऐसी शिक्षानीति स्वीकार की गई जिसमे यह माना गया कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते अत. नीति में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए अनौपचारिक शिक्षा के व्यापक तथा प्रणालीबद्ध कार्यक्रम को शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण तत्व समझा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना में परिकल्पित अनौपचारिक शिक्षा में

इतनी अधिक नम्यता है कि इससे शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही साथ अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता औपचारिक शिक्षा के बराबर (तुलनीय) होगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्रवाई योजना की उपलब्धियाँ

7.3.1 केन्द्र सरकार तथा राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने रा०शि० नीति कार्रवाई योजना के सभी नीति-निर्देशों को व्यवहार में लिया है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या वर्ष 1985-86 में 5.29 लाख से बढ़कर वर्ष 1990-91 में 5.58 लाख हो गई तथा इसी अवधि में अपर प्राथमिक स्कूलों की संख्या 1.35 लाख से बढ़कर 1.46 लाख हो गई। कुल नामांकन अनुपात में वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

कुल नामांकन अनुपात

		1986-87	1990-91
कुल नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	79.21	85.97
	कुल	95.96	101.03
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	38.95	46.13
	कुल	53.14	60.11
अनुसूचित जाति नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	64.8	80.6
	कुल	84.8	102.2
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	26 .5	33.3
	कुल	40.0	47.7
अनुसूचित जन जा० नामांकन			
कक्षा-पहली से पांचवी	लड़कियाँ	68.0	78.6
	कुल	90.1	103.3
कक्षा-छठी से आठवीं	लड़कियाँ	21.9	27.5
	कुल	34.1	39.7

पहली से पांचवीं कक्षा के संबंध में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की दर वर्ष 1985-86 में 47.61% से घटकर वर्ष 1987-88 में 46 .97% हो गई तथा छठी से आठवीं कक्षाओं में यह दर वर्ष 1985-86 में 64.42% से घटकर वर्ष 1987-88 में 62.29% हो गई। आगे के वर्षों (उत्तरवर्ती वर्षों) के आंकड़े उपलब्ध नहीं है इससे आंकड़ा संग्रहण पद्धति की कमजोरी का आभास होता है।

7.3.2. पूरा समय स्कूल में उपस्थिति न हो सकने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को एक स्वीकृत विकल्प माध्यम समझा गया। अनौपचारिक शिक्षा योजना की विषय-वस्तु में संशोधन किया गया तथा उसे वर्ष 1987-88 में लागू किया गया। इस योजना को आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल, शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में शुरु किया गया था। इस योजना में शहरी बस्तियों, पर्वतीय, जनजातीय तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। सह-शिक्षा केन्द्रों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी का वहन केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 50:50 के अनुपात में तथा केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की वित्तीय जिम्मेदारी केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने 90:10 के अनुपात में वहन की। प्रयोगात्मक तथा नवीन परियोजनाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की गई। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या वर्ष 1986 में 1.26 लाख से बढ़कर मार्च, 1992 में 2.72 लाख हो गई तथा नामांकन 36.45 लाख से बढ़कर 68 लाख हो गया। इस अवधि के दौरान, लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 20,500 से बढ़कर 81,600 हो गई। इस कार्यक्रम में लग भग 390 स्वैच्छिक एजेंसियों ने भाग लिया तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता अनुदान भी दिया गया। 50 प्रयोगात्मक तथा नवीन परियोजना तथा 19 जिला संसाधन इकाइयों को अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में गहन कार्य के लिए संस्वीकृत किया गया।

7.3.3. मार्च, 1992 तक आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 5385 (84%) सामुदायिक विकास खण्डों तथा 1142 (29%) म्युनिसिपल क्षेत्रों के लगभग 4.14 लाख (77%) स्कूलों में शुरू की गई। जैसा कि परिकल्पना की गई थी कि देशभर के सभी प्राथमिक स्कूलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा लेकिन संसाधन की कमी के कारण यह सम्भव न हो सका। इस योजना में शामिल किए जाने वाले 1.52 लाख एकल शिक्षक स्कूलों में लगभग 70000 (46%) शिक्षक नियुक्त किए गए। 2.39 लाख कक्षा-कक्षों के लक्ष्य के स्थान पर केवल 1.00 लाख (43%) श्रेणी कक्षों का निर्माण किया गया।

7.3.4. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के दिशा निर्देशों के अनुकरण में रा.शै.अनु. व प्र. परि. ने स्कूल पाठ्यक्रम में पूरी तरह से संशोधन किया तथा

पहली से बारहवीं कक्षा की संशोधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कीं। कई राज्यो तथा संघशासित प्रशासनों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना तथा रा.शै.अनु. व प्र. परि. के पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकों पर आधारित, स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम नवीकरण तथा नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के तरीके अपनाएं ताकि स्कूल पद्धति में ये पुस्तकें एक चरणबद्ध रूप में लगाई जा सकें।

7.3.5. सूक्ष्म आयोजना को व्यवहार में लाने के दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं तथा राज्य सरकारो को भेज दिए गए हैं। सूक्ष्म आयोजना तथा सामान्य स्तर के क्षमता निर्माण सिद्धान्त को नई योजनाओं या प्रयोगात्मक परियोजनाओं के तहत शैक्षिक आयोजना तथा प्रबन्ध को विकेन्द्रित करने के लिए, वित्तीय सहायता दी गई तथा प्रयास किए गए। इन तरीकों का परिणामप्रद प्रभाव, आगामी वर्षो में अनुभव किया जाएगा।

7.3.6. पूर्ण साक्षरता अभियानों की सकारात्मक बर्हिमुखता प्रत्याशा से कहीं अधिक है, पूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा कवर किए गए कई जिलों ने प्राथमिक शिक्षा के लिए अत्याधिक मांग की गई है। 9 से 14 आयु वर्ग के "स्कूल न जाने वाले बच्चों" के कुछ ही जिलों में ये अभियान चलाए गए हैं। इन जिलों में अभिभावकों में जागृति पैदा होने के कारण प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ रही है। इस सुखद अनुभव ने प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की नीतियों के "मांग पक्ष" की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत को सुस्पष्ट किया तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की समस्या के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण की जरुरत पर प्रकाश डाला जिससे राज्य नहीं, केवल जिले तथा विशेष रूप से लाभ न उठा सकने वाले वर्ग-अनुसूचित जाति तथा अनु.जनजाति की लड़कियां, भावी योजना का आधार बनें।

7.3.7. शिक्षार्थी की उपलब्धि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रा.शि.नीति 1986 में शिक्षा के न्यूनतम स्तरों की व्याख्या की गई है तथा कहा गया है कि समानता को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी होगा कि सभी को न केवल उनकी पहुंच तक ही समान अवसर प्रदान किए जाएं अपितु इस शर्त पर कि वे इन अवसरों से सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सभी की अर्न्तनिहित समानता की जागृति कोर (मुख्य) पाठ्यक्रम के माध्यम से पैदा होगी। शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम स्तरीय शिक्षा निर्धारित की जाएगी। इस नीति के अनुसरण में तथा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1990 में गठित समिति की रिपोर्ट तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित की गई है कि पाठ्यक्रम का भार कम हो तथा इस पाठ्यक्रम को, उन बच्चो जिन्हें घर या स्कूल से बाहर शिक्षण की कोई सुविधा नहीं है तथा जो इस स्तर से आगे की शिक्षा के अवसर प्राप्त करना नहीं चाहते तथा जो यह सीखे कि उन्हे जीवन भर स्वयं को जीवन्त रखने के लिए क्या कुछ अपेक्षित है तथा जो उन्हें इस योग्य बनाए कि वे समाजिक रूप से लाभप्रद तथा योगदान देने वाले नागरिक की भांति अपने जीवन में कार्य कर-सकें, के लिए अधिक व्यावहारिक तथा संगत बनाना है। इस तथ्य को अब स्वीकार किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण कार्यक्रम को तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक स्कूल से पास होने वाले बच्चे न्यूनतम स्तरीय शिक्षा प्राप्त करे। शिक्षा सर्वसुलभ तभी समझी जाएगी जब अधिगत (पहुंच) तथा विस्तार (वृद्धि) को समान महत्व दिया जाएगा।

7.3.8. इस संबंध में सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन का मार्च, 1990 में जोमतियन, थाईलैण्ड में आयोजित होना, एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। यह सम्मेलन यूनेस्को, यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी. तथा विश्व बैंक द्वारा आयोजित किया गया था तथा इसमें संयुक्त राष्ट्र पद्धति के 155 सदस्य राज्यों तथा कई दानी एजेंसियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी सदस्य राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने 20वीं सदी तक सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की घोषणा की। इस सम्मेलन में अलग-अलग खण्डों में प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा आदि विभिन्न विषयों को एक वर्गीय (क्षेत्रीय) दृष्टिकोण प्रदान करने के रूप में बुनियादी शिक्षा के व्यापक सिद्धान्त का समर्थन किया है। बुनियादी शिक्षा के लिए वर्णित धनराशि के ब्याज को काम में लेने के कारण, सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि व्यापक बुनियादी शिक्षा परियोजनाएं शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में प्रतिपादित की जाएं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8-9 मार्च, 1991 को हुई 46वीं बैठक में, बुनियादी शिक्षा के लिए बाहरी (वित्तीय) सहायता प्राप्त करने की संरचना विकसित की गई तथा 5-6 मई 1992 को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 47वीं बैठक में उसे फिर दोहराया गया।

7.3.9. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचार से प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता को सर्वसुलभ बनाने में असफलता, न केवल संसाधनों की कमी के कारण हुई है बल्कि प्रणालीबद्ध कमियों के कारण भी हुई है। बाहरी वित्तीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त संसाधनों को शैक्षिक पुनर्निर्माण जैसे नए स्कूल खोलना, स्कूल भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों की नियुक्ति जैसे रूढ़िगत, साधनों से भी ऊपर है, के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना तथा सह सम्बोधित करना अनिवार्य है कि:—

I) कामकाजी बच्चों, लड़कियों और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों की शैक्षिक जरुरतें।

II विषयवस्तु प्रक्रिया तथा गुणवत्ता के मामले।

बुनियादी शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रमों के जीवन्त तथा परिवर्तनीय माडल विकसित करने के लिए परियोजनाओं को प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अतः इन परियोजनाओं को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित केन्द्र तथा राज्यों की सार्थक सहभागिता की सच्ची भावना से विकसित तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अतः इन परियोजनाओं के प्रभावी तथा सहयोगी प्रबन्ध संरचना तथा स्थानीय समुदाय, शिक्षक तथा एन.जी.ओ. के सहयोग से मिशनरी तरीके के कार्यान्वित करना आवश्यक है।

7.3.10 यूनेस्को से सहायता प्राप्त बिहार शिक्षा परियोजना तथा स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से राजस्थान राज्य में लोक जुम्बिश परियोजना, जैसी दो बाहर (विदेशों) से सहायता प्राप्त परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि परियोजना का प्रतिपादन, क्षमता निर्माण की एक प्रक्रिया होना चाहिए।

4. संशोधित नीति निर्माण

7.4.1 प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए प्राथमिकताओं के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के द्वारा तैयार की गई नीति को दोहराते हुए संशोधित नीति निर्माण में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) अध्ययन के अनिवार्य स्तरों को प्राप्त करना, एक विशेष महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में विशेष रूप से पैरा 5.5 में सम्मिलित किया गया है। यह इस बढ़ते हुए महत्व के तर्कसंगत परिणाम हैं, जोकि शिक्षा तक पहुंच तथा पढ़ाई में रोके रखने के साथ-साथ शिक्षण के न्यूनतम स्तरों के साथ जोड़े जाने हैं।

(ii) प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में पर्याप्त रूप से तीन बड़े कमरे तथा तीन शिक्षकों को उपलब्ध कराकर आपरेशन ब्लैकबोर्ड के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को उच्च प्राइमरी स्तर तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया था।

(iii) यह भी विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि भविष्य में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

(iv) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के विशाल कार्य की वास्तविक स्थिति तथा इसका सम्पूर्णता (उपलब्धियों के साथ-साथ पहुंच तथा स्कूलों में रोके रखना) को ध्यान में रखते हुए संशोधित नीति में यह परिकल्पना की गई है कि इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ होने से पहले 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चो को सन्तोषजनक कोटि की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।

(v) सामाजिक क्षेत्र में, विशेषकर साक्षरता, मिशन पद्धति की प्रभावीनीयता को ध्यान में रखते हुए संशोधित नीति निर्माण में वर्ष 2000 तक प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने की परिकल्पना की गई है।

अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेन्द्रित आयोजना

7.4.2 आठवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए नीति मे अलग-अलग लक्ष्य निर्धारण तथा विकेन्द्रित आयोजना की परिकल्पना की गई है। शैक्षिक सूचकांकों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में, यहां तक शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों मे भी कुछ ऐसे क्षेत्र तथा जिले होते हैं जोकि प्रायः सर्वसुलभीकरण की पहुंच में होते हैं तथा जबकि शैक्षिक रूप से अच्छे राज्यों में भी कुछ जिले ऐसे हैं जोकि अभी तक पिछड़े हुए हैं। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि शिक्षुओं में उपलब्धि में सुधार करने के लिए स्कूलों मे शिक्षण के न्यूनतम स्तरों को शुरू करने तथा लोगों की सहभागिता के जरिए सूक्ष्म आयोजना की व्यापक नीति के अन्तर्गत जिला-विशिष्ट, जनसंख्या-विशिष्ट योजनाएं तैयार की जानी चाहिए। सूक्ष्म आयोजना सभी की पहुंच तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा प्रदान करेगा जबकि अध्ययन के न्यूनतम स्तर सभी के लिए उपलब्धियों का एक नीति ढांचा प्रदान करेगा।

7.4.3 इन विसंगतियों को कम करने के लिहाज से जिला आयोजना के रूप में निम्न प्रकार से एक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। इन जिलों को चार श्रेणियों में बांटा, जाएगाः

(i) उच्च साक्षरता वाले जिले जिनमें लगभग सभी की शिक्षा तक पहुंच और दाखिला प्राप्त है तथा शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता पहले से ही अधिक है,

(ii) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिले जहां पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है,

(iii) कम साक्षरता वाले जिले जिनमें शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धतता असंतोषजनक है तथा प्रदत्त कार्य प्रणाली समुदाय की सहभागिता बिना है, और

(iv) बाहरी रूप से सहायता प्राप्त परियोजना वाले जिले जिनका प्रबन्ध ढांचा भिन्न है तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त है।

7.4.4 इन चार श्रेणियों के जिलों की पहुंच, सहभागिता, उपलब्धियों, पर्यावरण निर्माण, सामुदायिक सहभागिता, आदि के लिए नीतियां अलग-अलग होंगी। इन नीतियों को जिला स्तर की निकाय/समिति द्वारा तैयार किया जाएगा जिसका गठन प्रत्येक राज्य सरकार करेगी।

7.4.5 जिला आयोजना की इस व्यापक नीति के अन्तर्गत तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वियन पर प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा संशोधित नीति के दिशा निर्देशों के अंतर्गत निम्नलिखित नई नीतियों का प्रस्ताव किया गया है।

(i) उन लोगों के लिए जो परम्परागत पूर्णकालिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं हो पाते उनके लिए स्वैच्छिक स्कूलों और अनौपचारिक जैसी वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली को अपनाना।

(ii) परिवार वार, बाल वार कार्य योजना तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए सूक्ष्म आयोजना के माध्यम से शिक्षकों तथा समुदाय की सहभागिता। यह सभी की पहुंच/दाखिला तथा सभी की सहभागिता के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराएगा।

(iii) अभिभावकों में, उनके बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दिलाने के प्रति उनकी विशेष जिम्मेदारी के लिए रूचि पैदा करना तथा बच्चों की प्रभावी शिक्षा की प्रक्रिया में घर तथा स्कूल की संयुक्त जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अभिभावकों को भी शामिल करना।

(iv) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों तथा अनौपचारिक शिक्षा में स्कूल पूर्व कार्यक्रमों तथा प्राइमरी शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमो के बीच सम्पर्क स्थापित करना।

(v) आपरेशन ब्लैकबोर्ड शुरू करने तथा उसे अध्ययन के न्यूनतम स्तरों की नीति से जोड़ने के माध्यम से स्कूल की सुविधाओ में सुधार करना। इसे उच्च प्राइमरी स्तर तक भी बढ़ाया जाएगा।

(vi) स्कूल कार्य प्रणाली की ओर विशेष ध्यान देते हुए शैक्षिक प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण।

(vii) गैर-औपचारिक शिक्षा प्रणाली सहित प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्तर पर अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को शुरू करना।

(viii) शिक्षण अध्ययन को बाल केन्द्रित तथा क्रियाकलाप आधारित और रूचिकर बनाने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की प्रक्रिया तथा विषयवस्तु मे संशोधन करना।

(ix) उपचारात्मक उपायो पर ध्यान देते हुए सतत और विस्तृत मूल्याकन शुरू करना।

(x) परिवर्तित नीति और कार्यक्रमों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संशोधन करना।

(xi) प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए अनुवीक्षण प्रणाली में सुधार करना।

(xii) संशोधित नीति में परिकल्पित साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करना।

7.4.6 विशेष कार्यकलापों, स्पष्ट रूप से उल्लिखित उत्तरदायित्वों, निर्धारित समय सीमा (सूची) तथा विशेष लक्ष्यों के साथ जिला विशिष्ट परियोजनाओं को विकसित करने के लिए और प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक जिला परियोजना प्रमुख कार्यनीति के अन्तर्गत रूपरेखा तैयार करेगी तथा जिले मे विशिष्ट आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को पूरा करेगी। प्रभावी प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभी बनाने के अलावा, शैक्षिक आयोजना के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिला परियोजना का लक्ष्य शैक्षिक पहुंच में विद्यमान खामियों को कम करना, सुविधाहीन वर्गो के लिए तुलनात्मक मानदण्डों की वैकल्पिक प्रणाली का प्रावधान, शाला-सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार स्कूल चलाने में वास्तविक समुदाय की भागीदारी प्राप्त करना, तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता का निर्णग करना शामिल होगा। अतः कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि चुनिंदा जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा का उद्देश्य रचनात्मक होने के अलावा थोड़ा-थोडा योजनाओं का कार्यान्वियन भी होगा। विभिन्न कार्यक्रम संघटकों के बीच सहयोग प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की अधिकाधिक संभावना है।

5. सभी की पहुंच का प्रावधान

7.5.1 विद्यमान योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे तथा नई नीति को कार्यान्वित करने के लिए कुछ नए उपाय किए जाएंगे।

(क) औपचारिक स्कूल

7.5.2 पद्धति के अनुसार नए प्राइमरी स्कूल, बिना स्कूल वाली बस्तियों में खोले जाएंगे तथा छोटी बस्तियों में तथा उन बच्चों के लिए जो स्कूल प्रणाली से लाभ नहीं उठा सकते वहां अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे इसके अलावा, सभी पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक स्कूलों की नई योजना भी शुरू की जाएगी।

7.5.3 प्राइमरी स्कूलः

वर्ष 1986 में यह अनुमान लगाया गया था कि 300 अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाली 32,000 बस्तियों में प्राइमरी स्कूल खोलना अपेक्षित है। जबकि काफी नए स्कूल खोले भी गए हैं और कुछ नई बस्तियां भी बस गई हैं तथा यह अनुमान लगाया गया था कि 35,000 नए स्कूल खोलना जरूरी है। इन स्कूलों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अन्तर्गत निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा खोला जाएगा।

उच्च प्राइमरी स्कूल

7.5.4 उच्च प्राइमरी स्तर पर दाखिले में वृद्धि करने के लिए उच्च प्राइमरी स्तर की सुविधाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा। तीन किलोमीटर की पैदल दूरी पर एक उच्च प्राइमरी स्कूल मुहैया कराने की विद्यमान पद्धति से काफी संख्या में लड़कियां इस स्तर की शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाती हैं। सभी को प्राइमरी शिक्षा प्रदान करने का तर्क, विशेषकर लड़कियों के लिए, इसमें कुछ छूट देने की जरूरत है तथा प्राइमरी तथा उच्च प्राइमरी स्कूलों के बीच विद्यमान अनुपात को 2:1 तक बढ़ाना होगा। प्रत्येक दूसरे प्राइमरी स्कूल को उच्च प्राइमरी स्तर तक स्तरोन्नत करने के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान कार्रवाई की जाएगी। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी।

7.5.5 सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए स्कूल प्रणाली से लगभग 18 करोड़ बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके शिक्षक छात्र 1:40 के अनुपात के आधार पर वर्तमान 27 लाख शिक्षकों की सख्या को 45 लाख तक बढ़ाना होगा। छात्रो की संख्या में वृद्धि होने से अगले 7 वर्षों में अतिरिक्त 11 लाख कमरों की आवश्यकता होगी।

सवैच्छिक स्कूलों की योजना

7.5.6 स्कूल न जाने वाले पर्वतीय, आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों, जहां कि औपचारिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक स्कूलों की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से ये स्वैच्छिक एजेन्सियां उच्च प्राइमरी शिक्षा/उच्च प्रारम्भिक शिक्षा के लिए स्कूल चलाएगी तथा एक मूल्य प्रभावी तरीके से स्कूलों की आयोजना तथा इन्हें संचालित करने में समुदाय की सहभागिता को जागृत करेगी।

7.5.7 ये स्वैच्छिक स्कूल एक प्रदत्त ग्राम/बस्ती के सभी स्कूलों बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये क्षेत्र कम से कम 150 की जनसख्या वाले सुपरिभाषित क्षेत्र होंगे ताकि एक स्वैच्छिक स्कूल में कम-से-कम 30 बच्चे हों। स्वैच्छिक स्कूलों से यह आशा की जाती है कि वे एक निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित स्तर तक की प्राइमरी/प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे छात्रों की पाठ्यचर्या के लिए पर्याप्त होगी। स्वैच्छिक स्कूलों में दाखिल किए गए छात्रों की औपचारिक स्कूल की किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए बाह्य छात्र के रूप में भाग लेना होगा। इन स्कूलों को चलाने के लिए स्वैच्छिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन स्वैच्छिक स्कूलों के पर्य वेक्षण की जिम्मेदारी ग्राम शिक्षा समिति की होगी।

7.5.8 पांच मुख्य मानदण्ड-दाखिला, हाजिरी, स्कूलों में रोके रखना, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना तथा सामुदायिक सहभागिता-के आधार पर स्कूल के कार्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए अनुदान देने वाली एजेंसी द्वारा अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

7.5.9 स्कूल चलाने के लिए पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

(ग) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

7.5.10 अनौपचारिक शिक्षा योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई जाएगी:

(i) प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए की गई सूक्ष्म आयोजना प्रक्रिया के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रावधान किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से उन बच्चों की, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की जूरूरतों को पूरा करेगी जो कि औपचारिक स्कूलों में भाग नहीं ले सकीं हैं।

(ii) सभी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पता लगाने तथा गठन करने तथा पर्यवेक्षण के लिए समुदाय को शामिल किया जाएगा।

(iii) समुदाय की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों का पता लगाया जाएगा। जहां कहीं भी संभव होगा महिला अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

(iv) अनौपचारिक कार्मिकों, विशेषकर अनुदेशकों के प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। पर्याप्त प्रशिक्षण तथा अनुस्थापना प्रदान की जाएगी।

(v) प्रशिक्षण की जिम्मेदारी परियोजना जिला स्तरीय संस्थानों जैसें कि डी॰आई॰ई॰टी॰, डी॰आर॰यू॰, राज्य स्तरीय संस्थानों जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्, तथा राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी।

(vi) प्रबन्ध के प्रभावी विकेन्द्रीकरण को प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रशासन को मजबूत बनाया जाएगा। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर आवश्यक प्रशासनिक तथा प्रबन्ध निवेश उपलब्ध कराए जाएंगे।

(vii) अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के छात्रों के लिए बाद में औपचारिक प्रणाली में प्रवेश के लिए विशेष अनुदेश जारी करने तथा औपचारिक प्रणाली के संमकक्ष स्तर की शिक्षा के संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति में बच्चों के लिए प्रबन्ध किए जाएंगे।

(viii) खुले स्कूलों के साथ अनौपचारिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे।

(ix) अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सार्वजनिक पुस्तकालयों, जन-शिक्षण निलायमों आदि की योजना से जोड़ा जाएगा।

(x) समपर्ण साक्षरता अभियान वाले जिलों में, जिसमें 9—14 आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए गए हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पद्धति से आगे भी अनुवर्ती कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह जिले के एक उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम के रूप में होगा।

(xi) उन बच्चों तथा युवाओं के लिए जो अनौपचारिक पधति से पास होते हैं उन्हें विभिन्न व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। श्रमिक विद्यापीठ तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

(xii) स्वैच्छिक एजेन्सियों को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां औपचारिक शिक्षा प्रणाली प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकी है, अनौपचारिक शिक्षा की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7.5.11 ऐसा प्रस्ताव है कि संशोधित परियोजना में निम्नलिखित वित्तीय पद्धति का अनुसरण किया जाएगा:

(क) अनौपचारिक (लडके और लड़कियां) केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हे चलाने के लिए राज्य सरकार को 75:25 के आधार पर सहायता।

(ख) केवल लड़कियों के लिए अनौपचारिक केन्द्रो का गठन तथा उन्हें चलाने के लिए राज्य सरकार के 90:10 के आधार पर सहायता।

(ग) अनौपचारिक केन्द्रों की स्थापना तथा उन्हें चलाने के लिए स्वैच्छिक एजेंन्सियोंको शत-प्रतिशत सहायता।

(घ) अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन परियोजनाओं तथा अनुसंधान और मूल्यांकन क्रियाकलापों के लिए शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेन्सियो को शत-प्रतिशत सहायता और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को शतप्रतिशत आधार पर सहायता।

7.5.12 अनौपचारिक शिक्षा का मूल्यांकन केन्द्र आधारित होगा तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों से संबंधित होगा। परियोजना मूल्यांकन स्तर पर किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यान्वियन से संबंधित विभिन्न संस्थाओं जैसे कि रा०शे०अ०प्र० परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, जिला प्रशिक्षण संस्थानों, जिला संसाधान एकको द्वारा मूल्यांकन तकनीक तथा प्रणालियां तैयार की जाएंगी। अनौपचारिक शिक्षा का अनुवीक्षण केन्द्र आधारित होगा। पहले से तैयार किए गए माडलों को अनुवीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) सूक्ष्मायोजना

7.5.13 सूक्ष्मायोजना "एक परिवार और शिशु-वार कार्रवाई योजना" तैयार करने की एक प्रक्रिया है जिससे" प्रत्येक शिशु नियमित रूप से स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र में उपस्थित होता है, अपनी शिक्षा अपने सुविधाजनक स्थान पर जारी रखता है, और कम के कम 8 वर्ष तक स्कूल शिक्षा अथवा अनौपचारिक केन्द्र, पर उसके समकक्ष शिक्षा पूर्ण करता है।" सूक्ष्मायोजना में क्षेत्र विशिष्ट आयोजन अनिवार्य तौर पर शामिल होती है जिसमें क्षेत्र आदर्शतः एक राजस्व गांव, परन्तु व्यावहारिक रूप से एक ब्लाक, तालुक अथवा जिला होता है। इस क्षेत्र में यह उपाय जिनमें सूक्ष्म स्तरीय आयोजना संचालित की जाएगी, निम्नलिखित हैः—

(1) सूक्ष्म आयोजना के संचालन में ब्लाक, तालुक तथा जिला स्तरों पर ग्राम शिक्षा समिति तथा उसी तरह का सहभागी स्वरूप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(2) वातावरण निर्माण क्रियाकलापों जैसेः—जत्थो, नुक्कड़ नाटकों, लोकगीतों आदि के माध्यम से समुदाय/लोगों की सहभागिता संघटित करना।

(3) लोगों की सहायता के किए गए परिवार-वार सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना,

(4) उन सभी बच्चों जिनकों दाखिल किया जा सकता है, को सकलों में लाना और जो स्कूल नहीं आ सकते उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम अथवा अन्य नवाचारी और सहायक उपायों द्वारा शिक्षित करना;

(5) यह देखना कि सभी बच्चे, विशेषकर बालिकाएं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे नियमित और वास्तविक रूप में प्रारम्भिक शिक्षा में भाग लेते हैं;

(6) स्कूलों अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो के सुधार के लिए आयोजना ताकि शिक्षण प्रभावशाली हो सके;

(7) स्थानीय स्तर के प्रशासनिक और संसाधन सहायता प्रणालियों का पुनः अनुस्थापना करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना;

(8) शैक्षणिक प्रशासन को विकेन्द्रित करना,

(9) क्षेत्र में कार्यानिवत की जा रही सभी योजनाओं को समेकित करना, इससे स्कूल प्रणाली) जैसेः आपरेशन ब्लैकब्बोर्ड, जवाहर रोजगार योजन. समन्वित बाल विकास योजना, सामाजिक वानिकी, स्वास्थ्य जांच आदि) के सुघार में योगदान हो सकेगा।

7.5.14 पूर्ण साक्षरता अभियान वाले अधिकतर जिलों में सूक्ष्मायोजना परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए एक रचनात्मक वातावरण का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। बहुत सी जिला साक्षरता समितियों जिन्होंने पूर्ण साक्षरता अभियान आरम्भ कर दिए हैं, ने प्रारम्भिक शिक्षा में तीव्र रुचि दिखाई है और उनमे से कुछ ने सूक्ष्मायोजना के अधीन परियोजना संबंधी प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। इन समितियों द्वारा दिखाई पहल को प्रेरित करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जिला शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में और स्वैच्छिक एजेसियो को भी शामिल किया जाएगा।

7.5.15 सूक्ष्मायोजना में सभी क्षेत्रों से मानव और वित्तीय संसाधनों और प्रयासों के प्रभावशाली संयोजन की आवश्यकता है। जबकि केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जैसेः—आपरेशन ब्लैकब्बोर्ड, जवाहर रोजगार योजना, अनौपचारिक शिक्षा आदि स्कूल सुविधाओं के सुधार और अभिवृद्धि के लिए धनराशि का मुख्य भाग उपलब्ध करवायेंगी राज्य सरकारें नए स्कूल खोलने के लिए संसाधन प्रदान करेंगी। इस योजना के तहत सर्वेक्षण, वातावरण निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा केन्द्र के सदस्यों के प्रशिक्षण आदि के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संसाधन केन्द्र उपलब्ध करवाएगा।

7.5 16 1992-93 के दौरान सूक्ष्मायोजना को लगभग 20 परियोजना क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर परिचालित किया जाएगा। कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर आठवीं योजना के दौरान प्राप्त लगभग 100 जिलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। कुछ समय बाद यह योजना समस्त देश को शामिल कर लेगी ताकि सर्वसुलभ पहुच और नामांकन और सबको स्कूल में पढ़ाई जारी रखने के लिए रोके रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

(ङ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड

7.5.17 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना देश के सभी प्राथमिक स्कूलों की न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-कार्रवाई योजना के अनुसरण में 1987 में आरम्भ की गई थी।

7.5.18 योजना के बाहरी मूल्यांकन से पता चला है कि योजना के कार्यान्वयन में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में शिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव, उपलब्ध कराई जाने वाली एक समान विशिष्ट सुविधाओं की बड़ी संख्या में टूट-फूट के प्रावधान का अभाव जैसी कुछ कमियां रही हैं।

7.5.19 नए नीति निर्धारिणी को परिचालित करने के लिए, संशोधित आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना में निम्नलिखित तीन उप-योजनाएं होंगी:—

(i) शेष सभी प्राथमिक स्कूलों को शामिल करने के लिए चालू आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को जारी रखना,

(ii) राथमिक स्कूलों में जहां भी नामांकन से उचित सिद्ध हो, तीन शिक्षक और तीन कमरे उपलब्ध करवाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार, और

(iii) अपर प्राथमिक स्कूलों को (क) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग को कम से कम एक कमरा (ख) एक प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष, (ग) लड़कियों और लड़कों के लिए पृथक शौचालय संबंधी सुविधाएं (घ) एक पुस्तकालय सहित अनिवार्य अध्यापन शिक्षण उपकरण (ङ) प्रत्येक कक्षा/अनुभाग के लिए कम से कम एक शिक्षक और (च) वस्तुओं को बदलने तथा छोटी-मोटी मरम्मत आदि के लिए एक आकस्मिकता अनुदान प्रदान करना।

7.5.20 आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाएंगे:—

(i) विशेष रूप से तैयार किए गए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को ओप्रेशन ब्लैकबोर्ड शिक्षण सामग्री प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकारें उपकरण की टूट-फूट और उन्हें बदलने के लिए प्रावधान करेंगी।

(iii) पाठ्यचर्या और स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बद्ध अध्यापन शिक्षण सामग्रियों की खरीद के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान किया जाएगा।

(iv) नियुक्त किए गए शिक्षकों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी। इससे बालिकाओं के नामांकन और उन्हें स्कूल में रोके रखने में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(v) जहां भी सूक्ष्मायोजना परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना सूक्ष्मायोजना का एक अभिन्न भाग बनेगी।

(vi) जहां तक संभव होगा, स्कूल भवनों के लिए कम लागत वाले और स्थानीय स्थितियों से सम्बद्ध स्थानीय तौर पर उपलब्ध डिजाइन अपनाए जाऐंगे। इस प्रयास में निर्मित केन्द्रों और स्थानीय तकनीकी संस्थानों को सम्बद्ध किया जाएगा।

7.5.21 जैसा कि पहले भी होता रहा है, योजना अवधि के लिए उपकरणों और शिक्षकों के वेतन के लिए धनराशि केन्द्र सरकार प्रदान करेगी। राज्य सरकारें प्रधानाध्यापक सह-कार्यालय कक्ष और शौचालय सुविधाओं सहित स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना और अन्य योजनाओं के अधीन संसाधनों को एकत्रित करेंगी। राज्य सरकारें उपकरणों के लिए आकस्मिकता और अनुस्थापन धनराशि भी प्रदान करेंगी।

7.5.22 मौजूदा आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना 1993-94 तक सभी स्कूलों को इसमें शामिल कर लेगी। अन्य दो उप-योजनाएं आठवीं योजना के दूसरे अर्ध में आरम्भ की ज़ाएंगी। आठवीं योजना के अन्त तक बढ़ाई गई आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन पात्र स्कूलों के लगभग 30 प्रतिशत को 3 कमरे और 3 शिक्षक, प्रदान किए जाएंगे और शेष स्कूलों को 2000 ईसवीं तक शामिल कर लिया जाएगा। चलाई गई आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अधीन अपर प्राथमिक स्कूलों के एक छोटे भाग को आठवीं योजना के दौरान शामिल कर लिया जाएगा।

6. विषयवस्तु तथा कार्यविधि

(क) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर एक सामान्य कोर के साथ-साथ अन्य लचीले घटकों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई कार्यक्रम में शिक्षा के लिए बाल केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई है। इस परिप्रक्ष्य में सभी बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने तथा नामांकित किए गए उन सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक स्कूलों में रोक कर रखने और शिक्षा की कोटि में पर्याप्त सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति/कार्रवाई कार्यक्रम, के अनुसरण में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1980 में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा तैयार किया। आधुनिकीकरण और प्रासंगिता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संशोधित पाठ्यक्रम में पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने की जरूरत पर विशेष ध्यान दिया गया है।

7.6.2 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने समूचे स्कूली

पाठ्यक्रम को संशोधित करके कक्षा I से XII तक के लिए संशोधित पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की। राष्ट्रीय पाठ्य ढांचे और रा॰शै॰अ॰प्र॰ परिषद के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के आधार पर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने भी पाठ्यक्रम में संशोधन करने में तथा स्कूल प्रणाली मे चरणबद्ध ढंग से नई पाठ्यपुस्तकें विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) स्कूली बस्ते का बोझ

7.6.3 कुछ स्कूलों विशेषकर शहरी क्षेत्र के स्कूलों की यह प्रवृत्ति रही है कि वो भारी मात्रा में पुस्तके लगाने की सिफारिश कर देते हैं और इसका परिणाम होता है छात्रों पर अधिक बोझ। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से यह आग्रह करते हुए स्कूलों को अनुदेश दिया हैं कि वे आवश्यकता से अधिक पुस्तकों का निर्धारण न करे।

7.6.4 अभी हाल ही में ही विभिन्न मंचों जिसमें संसद के दोनों सदन भी शामिल हैं, के द्वारा स्कूलो मे विशेष रूप से जूनियर कक्षाओं में शैक्षिक बोझ के बढ़ने को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। पाठ्यचर्या बोझ का पूरा प्रश्न ही एक जटिल मामला है। इसका समाधान इतना सरल नहीं है। इसे विस्तृत रूप से समझना होगा जिसमें पाठ्यचर्या सुधार, परीक्षा सुधार बेहतर शैक्षिक परंपराओं तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद् द्वारा दिशा-निर्देश तो दिए गए हैं किन्तु राज्य शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, बोर्डों तथा अन्य शैक्षिक निकायों को इन अवाश्यकताओं को अपनाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने होंगे। इस चिन्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रोफेसर यशपाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति निर्धारित समय के भीतर स्कूली छात्रों के ऊपर लादे गए शैक्षिक बोझ को कम करने के तरीके सुझाएगी। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) न्यूनतम शिक्षण स्तर (एम॰एल॰एल॰)

7.6.5 न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित करने की आवश्यकता इस मूलभूत संबंध से प्रकट होती है कि जाति, धर्म स्थान अथवा लिंग का विचार किए बिना सभी बच्चों को एक तुलनीय कोटि की शिक्षा तक पहुंच हो जानी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा की कोटि में सुधार के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर नीति गुणवत्ता और समानता को जोड़ने का एक प्रयास है। ये नीति प्रारम्भिक शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर क्षमताओं अथवा शिक्षण स्तरो के रूप में शिक्षण परिणामों को निर्धारित करती है। ये नीति-उपायों के अधिग्रहण को भी निर्धारित करती है जिससे बच्चों द्वारा औपचारिक स्कूलों और अनौपचारिक केन्द्रों दोनों में इन स्तरों को प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाए।

7.6.6 न्यूनतम शिक्षण स्तर कार्य नीति में मुख्यध्यान समग्र आधारित अध्यापन और शिक्षण के विकास पर दिया जाएगा। स्कूलो में न्यूनतम शिक्षण प्रारम्भ करने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नलिखित होंगे:—

(i) मौजूदा स्तरों को जानने के लिए शिक्षण उपलब्धियों का प्रारम्भिक मूल्यांकन,

(ii) यदि अनिवार्य हो, तो स्थानीय उपलब्धियों के अनुकूल बनाने के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तरों में संशोधन,

(iii) क्षमता आधारित शिक्षण के लिए शिक्षकों का प्रारम्भिक और पुनरावर्तक अनुस्थापन,

(iv) न्यूनतम शिक्षण स्तरों पर आधारित शिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण पुस्तिकाएं तैयार करना,

(v) छात्रों के सतत और बोधगम्य मूल्यांकन को आरम्भ करना और मूल्यांकन परिणामों को उपचारी कार्रवाई के लिए प्रयोग मे लाना,

(vi) यनिट परीक्षाएं और अन्य मूल्यांकन सामग्रियां तैयार करना और उन्हें मद सघ में रखना ताकि जब भी आवश्यकता हो, उन्हें प्रयोग में लाया जा सके,

(vii) जब भी पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में संशोधन किया जाए, न्यूनतम शिक्षण स्तर मानदण्डों को प्रयोग में लाना, और

(viii) शैक्षणिक प्रक्रिया को क्रियाकलाप आधारित और रुचिकर बनाने के लिए क्षमता आधारित अध्यापन शिक्षण सामग्रियों का प्रावधान।

7.6.7 शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए कार्यनिष्पादन विश्लेषण का आवधिक और सुव्यवस्थित कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

7.6.8 1991-92 के दौरान अनुमोदित न्यूनतम शिक्षण स्तर परियोजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, कार्यक्रम का विस्तार चरणबद्ध ढंग से अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद/जिला शै॰प्रौ॰ संस्थानों को न्यूनतम शिक्षण स्तर परियोजनाओं का कार्य भार सम्भालने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि ये नीति सेवा पूर्व और शिक्षक प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग बन जाए। परियोजना क्षेत्र वाले शिक्षकों को आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत उपलब्ध कराई गई शिक्षक सहायक सामग्री को प्रयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/कालेजों में भी न्यूनतम शिक्षण स्तर परिकल्पना को आरम्भ किया जाएगा। अभी तत्कालिक कार्य यही है कि अपर प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शिक्षण स्तर निर्धारित किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक समिति गठित की जाएगी।

7.6.9 राष्ट्रीय स्तर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा मंत्रालय का प्रशिक्षण, निदेशात्मक और मूल्यांकन सामग्री के विकास प्रलेखन आदि में सहायता देने के लिए संसाधन केन्द्रों का एक नेटवर्क निर्धारित किया जाएगा। राज्य स्तर पर, शिक्षा विभाग और राज्य शै॰अनु॰व॰प्र॰प॰ कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व सम्भालेगे। भिन्न-भिन्न शैक्षिक संस्थाओं से लिए गए संसाधन व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय संघ बनाया जाएगा। इसी

तरह का संघ का राज्य स्तर पर भी स्थापित किया जाएगा। न्यूनतम शिक्षण स्तर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन संस्थान व्यक्तियों के पुन अनुस्थापन के लिए प्रबन्ध किए जाएगें।

7.6.10 जबकि पहले परियोजना के रूप में कार्यनीति का कार्यान्वयन हो जाएगा पहले चरणों में धनराशि केन्द्र सरकार उपलब्ध करवायेगी और, राज्य सरकारें इस कार्यनीति का कम से कम आठवीं योजना के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के एक अभिन्न अंग के रूप में अपना लेगी।

7. राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करना

7.7.1 संशोधित शिक्षा नीति, प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने का आह्वान करती है। एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्य होने के कारण, प्रस्तावित राष्ट्रीय मिशन के उद्देश्य नीतियों, कार्यों स्वरूप आदि को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों, स्वैच्छिक एजेन्सियों, शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों, शिक्षाविदों, महिला कार्यकर्ताओं आदि से व्यापक परामर्श किया जाएगा। इस प्रस्तावित मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सभी मानव, वित्तीय और संस्थागत संसाधनों को एकत्रित करना होगा।

7.7.2 वर्ष 1993-94 के दौरान मिशन को कार्यशील बना दिया जाएगा। एक बार मिशन का कार्यचालन शुरू हो जाने पर, सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसा कि सूक्ष्मायोजना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, गुणवत्ता सुधार के लिए न्यूनतम शिक्षण स्तर आदि को मिशन में अन्तरित कर दी जाएगी। कार्यान्वयन का मिशन ढंग राज्य, जिला ब्लाक और ग्राम स्तरों पर परिचालित होगा।

8. प्रणाली कार्य को बनाना

(क) नीति

7.8.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त बौद्धिक साधना, विषय की गंभीरता, तथा साथ ही स्वतन्त्रता जो कि नवीनतमा तथा सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है, के वातावरण में की जानी चाहिए। नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि इस प्रणाली में तुरंत अनुशासन लागू किया जाए। नीति में यह स्पष्ट शब्दों मे उल्लेख किया गया है कि इस प्रणाली को सुचारू रुप से कार्यशील बनाने के लिए सभी शिक्षकों को चाहिए कि वे ठीक ढंग से पढ़ाएं तथा सभी-छात्र अध्ययन करें।

7.8.2 तंत्र को क्रियाशील बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित कार्यनीतियों का सुझाव दिया गया है।

(i). अधिक जिम्मेदारियों के साथ शिक्षकों के प्रति बेहतर बर्ताव।

(ii) परिवर्धित छात्र सेवाओं का प्रावधान तथा सदाचार के स्वीकार्य मानदण्डों के अनुपालन पर जोर देना।

(iii) संस्थानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान और राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय ढांचे के मानक तथा मानदण्डो के अनुसार संस्थानों के कार्य मूल्यांकन प्रणाली का निर्माण।

(ख) प्रस्तावित कार्रवाई

यद्यपि कड़ी, एकरूपता अथवा बेजान अनुशासन थोपने पर जोर देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सामान्य दिशा के अनुरूप नहीं होगा और नई शैक्षिक व्यवस्था के सृजन की प्रक्रिया पूर्ण भागीदारी के साथ होनी चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कठिन कार्य के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएं:—

(I) प्रणाली के भीतर उत्तराधिकार में मिली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए स्कूल प्रशासनिक ढांचे के कार्यान्वयन का अध्ययन किया जाएगा। स्कूल तथा प्रशासनिक ढांचे को चौकस तथा जवाबदेह बनाया जाएगा ताकि वे प्रणाली में आनेवाली कमियों को सुधार सकें। शैक्षिक प्रशासन में कार्यरत लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा इस प्रणाली के अधीन सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों तथा छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान शैक्षिक प्रशासन अपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और अधिक तेज करेंगे।

(II) इस शैक्षिक प्रक्रिया में आस-पास के लोगों को शामिल किया जाएगा। यह कार्य माइक्रोप्लानिंग (सूक्ष्म आयोजना) के माध्यम से किया जाएगा। इससे समाज के प्रति शिक्षकों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा तथा इसके साथ-साथ स्कूल प्रणाली के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। समाज का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हो जाएगा1.

(III) शिक्षकों के कार्यकारी वातावरण में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक योजनाओं को आयोजना तथा क्रियान्वयन में शिक्षकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। वे शिक्षा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर गठित की गई समिति के सदस्य बनाए जा सकते हैं।

(IV) स्कूल संबंधी कार्यों का प्रबंध करने के लिए शिक्षकों को अधिकाधिक स्वायतता दी जाएगी।

(V) छात्रों को बुनियादी सुविधाएं जैसे पीने का पानी, शौचालय, खेलकूद के सामान आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

(VI) ...न छात्रों को समय-समय पर छात्रवृ... IN अन्य प्रोत्स... OF EDUCATION

(VII) आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के तहत सभी प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान कराई जाएं।

(VIII) केन्द्रीय तथा राज्य संगठन, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान आदि परारंभिक शिक्षा स्कूलों के कार्य मूल्यांकन के मानदण्ड निर्धारित करेंगे। स्कूलों तथा समुदाय की एक प्रोत्साहन योजना शुरू की जा सकती है ताकि प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें प्ररित किया जा सके।यह योजना ब्लाक तथा जिला स्तर पर शुरू की जा सकती है।

9. मूल्यांकन तथा अनुवीक्षण

7.9.1 प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाए जाने के साथ-साथ प्रतिभागीदारी तथा नामांकन के लिए अलग से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एक अनुवीक्षण तन्त्र को विकसित करना आवश्यक होगा जो नामांकन बच्चों को स्कूल में बनाए रखने, पूरी करने तथा उपलब्धि का अनुवीक्षण करने के लिए सामयिक तथा विश्वसनीय सूचना भेजेगी। इस समय आंकड़ा संकलन प्रणाली ब्लाक तथा जिला स्तरीय आंकड़ी के मैनुअल मिलान पर निर्भर, करती है। इसके अलावा आकड़ा संकलन में काफी समय लगता है। यह प्रक्रिया मुख्य सूचकों का अनुवीक्षण करने के लिए अवरोध उत्पन्न करती है जिसके कारण आन्तरिक दक्षता का मूल्यांकन करने जैसे कुल नाभांकन आंकड़े, छात्रों की वर्षवार उपलब्धि, स्कूल छोड़ जाने वालों की दर, संक्रमण दर आदि के आवश्यक आंकड़ प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आठवीं योजना में, जिला स्तर पर आंकड़ा संकलन प्रणाली को कंप्यूटरीकृत करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन संस्थान की सी॰ ओ॰ पी॰ ई॰ परियोजना के तहत उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित साफ्टवेयर शुरू किया जाएगा। जिला तथा ब्लाक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को कंप्यूटर संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा प्रत्येक जिला कार्यालय के कंप्यूटरों में आंकड़े प्रविष्ट कर एकत्र किए जाएंगे तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क इन आंकड़ों को राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए इस्तेमाल करेगा। शैक्षिक सांख्यिकी को कंप्यूटरीकरण करने के लिए यह योजना शुरू की गई है किन्तु यह योजना और आवश्यकताओं को भी सरल और कारगर बनाएगी। सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर एक सैल का गठन किया गया है। जिला स्तर-स्तर पर कंप्यूटरीकरण का कार्य चरणों में शुरू होगा जिसमें पहले वर्ष में 415 जिलों को शामिल किया जाएगा तथा आठवीं योजना के अन्त तक धीरे-धीरे मैनुअल सिस्टम को कंप्यूटरीकृत सिस्टम के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। आंकड़ा आधार को धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा ताकि शैक्षिक प्रणाली की आन्तरिक क्षमता को संबंधित सूचना का ही मूल्यांकन न हो सके बल्कि जिला प्रबंध कार्यकरण की सूक्ष्म आयोजना का सुधार तथा सूचना भी प्राप्त की जा सके।

7.9.2 इसके अलावा, गुणात्मक उपलब्धि का अनुवीक्षण करने के लिए परिणात्मक आंकड़े भी शुरू किए जाएंगे। प्राथमिक तथा अपर प्राथमिक स्तरों को पूरा करने के पश्चात् बच्चों द्वारा अपेक्षित शिक्षण का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना की गई है जो इस कार्य को पूरा करने के लिए आकड़ा पूरा करेगा।

7.9.3 कार्यक्रमों का वाह्य मूल्यांकन करने में ख्यातिप्राप्त एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद् राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना प्रशासन संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद आदि को शामिल किया जाएगा।